भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/33/2024-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19.03.2026

अंतिम निष्कर्ष

मामला सं.-एडी (ओआई)-31/2024

विषय: यूरोपीय संघ और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पेस्ट रेजिन" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/33/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) केम्पलास्ट सनमार लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यूरोपीय संघ और जापान (जिन्हें यहां आगे 'संबद्ध आयात' अथवा 'संबद्ध सामान' के रूप में उल्लिखित संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के साथ 'संबद्ध देश' कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से आयातित *पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन ("पीवीसी पेस्ट")* (जिसे यहां आगे "विचाराधीन उत्पाद", "पीयूसी", "पीवीसी पेस्ट" अथवा "रेजिन" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने की मांग की गई है।

ख. प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र की जांच की और *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य में पाया कि संबद्ध देशों से निर्यात पाटित कीमतों पर थे और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी। तदनुसार, नियमावली के नियम 5 और 6 के अनुसरण में, अधिसूचना फा. सं. 06/33/2024 - डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी 2025 द्वारा, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के किसी भी तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए एक जांच शुरु की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

1. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

1.1 शुरूआत

i. नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।

ii. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन-पत्र की जांच करने पर, प्राधिकारी को पाटन और परिणामस्वरूप क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले। अत:, नियम 5 और 6 के अनुसार, अधिसूचना फा.सं. 06/33/2024 - डीजीटीआर दिनांक 24 जनवरी 2025 ("जांच शुरुआत अधिसूचना") द्वारा, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही शुरू की।

iii. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति साझा करके जांच की शुरुआत के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया।

1.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसारण

i. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को, संबद्ध आयात के ज्ञात निर्यातकों को और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति प्रदान की, जिन्होंने आवेदन-पत्र की एक प्रति के लिए लिखित में अनुरोध किया था।

1.3 विषय देश के निर्यातकों द्वारा सहभागिता

i. निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों ने इन कार्यवाहियों में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में खुद को पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	देश	उत्पादक/निर्यातक
1	यूरोपीय संघ	इनोस इनोविन वेस्टोलिट जीएमबीएच ट्राइकोन ड्राई केमिकल्स एलएलसी वेस्टलेक विन्नोलिट जीएमबीएच एंड कंपनी केजी
2	जापान	कनेका कारपोरेशन मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड

1.4 आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा सहभागिता

i. निम्नलिखित आयातकों, प्रयोक्ताओं और प्रयोक्ता एसोसिएशनों ने वर्तमान कार्यवाही में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में खुद को पंजीकृत किया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता/एसोसिएशन
1	मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड
2	जास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3	क्लासिक लैमिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	मार्वल विनाइल लिमिटेड,
5	हलोल लेदर क्लॉथ प्राइवेट लिमिटेड
6	प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड
7	मनीष विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
8	पोलिनोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9	गिरिराज कोटेड फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
10	एचबी पॉलीकोट एंड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
11	डेलिट कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
12	एचआर पॉलीकोट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	अरोड़ा विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
14	टीमेशिया टेक्निकल टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड

15	यूनाइटेड डेकोरेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
16	लैदर क्लॉथ एंड प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन("एलसीपीएमए")
17	कंफेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज (सीआईएफआई)
18	आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड

1.5 जांच शुरुआत और क्षति की अवधि

i. जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि ("पीओआई") 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2024 (18 महीने) तक मानी गई थी। क्षति की अवधि 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की अवधि को कवर करने के लिए निर्धारित की गई थी।

1.6 अन्य

i. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ii. नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने जांच के लिए सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत के बारे में सूचना मांगने के लिए निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली जारी की।

iii. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अपने देशों में संबद्ध सामानों के उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

iv. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के सार्वजनिक हित और प्रभाव का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति प्रत्येक संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को भेजी गई थी। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। घरेलू उद्योग के साथ-साथ एचआर पॉलीकोट्स प्राइवेट लिमिटेड, जैस्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्लासी

लैमिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मार्वल विनाइल लिमिटेड, मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड और पॉली नोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

v. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।

vi. जांच की शुरुआत अधिसूचना में, हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद ('उत्पाद क्षेत्र') और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियां दायर करने का निर्देश दिया गया था। पक्षकारों के अनुरोध पर 14 फरवरी, 2025 तक समय बढ़ाया गया था। दायर किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए विचार की जाने वाली उत्पाद व्याप्ति और पीसीएन पद्धति को दिनांक 13 मई 2025 ("पीयूसी सूचना") की अपनी सूचना के माध्यम से अधिसूचित किया, जिसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था।

vii. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 3 सितंबर 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के मद्देनजर, 15 दिसंबर, 2025 को एक और मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी की स्वीकृत परिपाटी के अनुसार, पक्षकारों द्वारा प्रत्युत्तर अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर परिचालित नहीं किए गए थे।

viii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान समय पर सूचना देने से इनकार किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

ix. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की प्राधिकारी द्वारा दावा की गई गोपनीयता की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था, वहां गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना

गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का अगोपनीय सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

x. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन किया, जो वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक माना गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xi. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए, भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टतम उत्पादन लागत और उत्पादन करने और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है।

xii. प्राधिकरण ने दिनांक 4 फरवरी 2026 को सभी हितबद्ध पक्षों को सभी आवश्यक तथ्यों सहित प्रकटीकरण वक्तव्य प्रसारित किया। प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए सभी प्रकटीकरणोत्तर अभिमतों/टिप्पणियों का, जहाँ तक प्रासंगिक समझा गया, परीक्षण किया है। जो प्रस्तुतियाँ मात्र पूर्ववर्ती प्रस्तुतियों का पुनरुत्पादन थीं तथा जिनका प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त परीक्षण/विचार पहले ही किया जा चुका था, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः नहीं दोहराया गया है।

xiii. प्राधिकारी ने इस अंतिम निष्कर्षों को तैयार करने में, कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की, जहां तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान जांच के लिए संगत थे।

xiv. *** गोपनीय आधार पर किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xv. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ. =83.85 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

2. विचारधीन उत्पाद के क्षेत्र, समान वस्तु और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए:

   i. कनेका विशेषीकृत क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन करता है, जो पारंपरिक होमोपोलीमर पेस्ट रेजिन से मौलिक रूप से भिन्न है। पॉलीमराइजेशन के दौरान क्रॉस-लिंकिंग एजेंटों को लगाने से क्रॉस-लिंकिंग प्राप्त की जाती है। क्रॉस-लिंक्ड पॉलिमर में विशिष्ट तकनीकी गुण और वाणिज्यिक उपयोग हैं और भारत में इनका उत्पादन नहीं किया जाता है। अत:, क्रॉस-लिंक्ड ग्रेड को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

   ii. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, केवल होमोपोलिमर प्रकार का पीवीसी पेस्ट रेजिन शामिल है। पीवीसी पेस्ट के सह-पॉलिमर और मिश्रणों को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अन्य उत्पादकों द्वारा निर्मित विशिष्ट सह-पॉलिमर और मिश्रणों को अपवर्जनों की सूची में शामिल किया गया है। कनेका अनुरोध करता है कि उसके सह-पॉलिमर और मिश्रणों को भी विशेष रूप से बाहर किए गए उत्पादों की सूची में शामिल किया जाए।

   iii. कनेका का होमोपॉलिमर ग्रेड पीएसएच-10 एक उच्च कीमत वाला उत्पाद है जिसके विशिष्ट अनुप्रयोग हैं और इसकी कीमत आईएचएस बेंचमार्क कीमत से काफी अधिक है। इस प्रकार, यह घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है और इसे उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

   iv. वेस्टलेक विन्नोलिट सह-पॉलिमर ग्रेड ई 70 एससी, पीए 5470/5, सी12/62वी, और एसए 1062/7 और सम्मिश्रण रेजिन एक्सईटी और सी 65 वी का उत्पादन करता है। इन ग्रेडों को विशेष रूप से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है।

   v. वेस्टलेक विन्नोलिट ने यह भी दावा किया है कि वह पीवीसी पेस्ट रेजिन के कुछ विशेष ग्रेड का उत्पादन करता है जिसका उपयोग विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है और उसका मानना है कि घरेलू उद्योग इसकी आपूर्ति करने में असमर्थ है। उत्पादक ने कुछ विशेष ग्रेडों को बाहर करने की मांग की। चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और यूएसए (2018) से कोटेड पेपर में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर भरोसा किया गया है, जिसमें प्राधिकारी ने कुछ ग्रेडों को बाहर करने की

अनुमति दी थी, जब सत्यापन के दौरान यह निर्धारित किया गया था कि ऐसे ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए गए थे।

vi. इनोविन और इसकी सहयोगी कंपनियां बायोविन, नियोविन और रिकोविन के उत्पादन में लगी हुई हैं, जो नवीकरणीय फीडस्टॉक से बने पीवीसी पेस्ट रेजिन के कम कार्बन ग्रेड हैं। इनोविन ने इन उत्पादों के लिए कम कार्बन प्रमाणन प्राप्त किया है और वह तीसरे पक्षकार के लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित कठोर प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

vii. तकनीकी विशेषताओं या पीवीसी पेस्ट के इन निम्न कार्बन ग्रेड और अन्य ग्रेड के अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। हालाँकि, नवीकरणीय फीडस्टॉक की उच्च लागत और प्रमाणन से संबद्ध खर्चों के कारण इन ग्रेडों के उत्पादन की लागत अधिक है।

viii. पीवीसी पेस्ट, चीन जन.गण. , कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (2024) से पीवीसी पेस्ट रेजिन से संबद्ध प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच में, प्राधिकारी ने माना कि बायोविन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों की समान वस्तु नहीं थी। इसी दृष्टिकोण को इस मामले में अपनाया जाना चाहिए और कम कार्बन ग्रेड को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

ix. बीआईएस ने पीवीसी पेस्ट रेजिन के लिए मानक आईएस 17658:2021 अधिसूचित किया है। इनोविन द्वारा निर्मित कुछ रेजिन की श्यानता अधिसूचित मानक के अंतर्गत कवर की गई श्यानता सीमा से अधिक है। इन ग्रेडों को बीआईएस के साथ पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और तदनुसार, 24 दिसंबर 2025 को मानक लागू होने के बाद भारत में निर्यात नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इन ग्रेडों को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं।

x. पीवीसी पेस्ट के सभी सह-पॉलिमर और मिश्रणों को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसलिए, सह-पॉलिमर ग्रेड ई 70 एससी, पीए 5470/5, सी12/62वी और एसए 1062/7 के लिए विशिष्ट रूप से बाहर रखना अनावश्यक है। यदि विशिष्ट ग्रेड के सह-पॉलिमर के लिए बाहर रखने की स्वीकृति दी जाती है, तो इनवोविन अपने सह-पॉलिमर ग्रेड 560एससी, 675एलए और 683एचए को बाहर रखने का अनुरोध करता है।

xi. इनोविन द्वारा निर्मित ग्रेड पीवीसी 173जीबी और पीवीसी 174जीवाई गैर-पिसे हुए इमल्शन ग्रेड हैं जो पेस्ट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, इन्हें उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने पीयूसी सूचना में पीवीसी

173जीबी को शामिल करने की अनुमति दी है। पीवीसी 174जीवाई के लिए भी छूट दी जानी चाहिए।

xii. डब्ल्यूटीओ एडीए का अनुच्छेद 2.6 और नियमावली के नियम 2(घ) 'समान उत्पाद' को परिभाषित करते हैं। किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के लिए 'समान उत्पाद' या 'समान वस्तु' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, इसे या तो विचाराधीन उत्पाद के साथ पूर्ण समानता प्रदर्शित करनी चाहिए, या, ऐसे उत्पाद के अभाव में, विचाराधीन उत्पाद की विशेषताओं से निकटता से मिलते-जुलते हों।

xiii. प्राधिकारी के व्यापार उपचार जांच ("मैनुअल") के लिए प्रचालन परिपाटियों के मैनुअल के पैराग्राफ 3.34 में विस्तार से बताया गया है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित मानी जाने वाली समान वस्तुएं, सामानों को भौतिक, तकनीकी विनिर्देशों, प्रकार्यों या अंतिम प्रयोगों के संदर्भ में तुलनीय और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होना चाहिए। पैरा 3.35 कुछ कारकों की एक सूची प्रदान करता है जिन पर ऐसा निर्धारण करने में विचार किया जाए।

xiv. वर्तमान उत्पाद क्षेत्र में कुछ विशिष्ट ग्रेड शामिल हैं जो घरेलू स्तर पर उत्पादित नहीं किए जाते हैं और जो न तो समान हैं और न ही घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के प्रतिस्थापनीय हैं।

xv. आईएस 17658:2021, वर्तमान उत्पाद के लिए बीआईएस द्वारा तैयार मानक, उत्पाद को आठ ग्रेडों में वर्गीकृत करता है। ग्रेड अलग-अलग हैं और अलग-अलग गुण हैं, जिससे लागत, अंतिम प्रयोग, कीमत निर्धारण, उपभोक्ता धारणा आदि में अंतर होता है। केम्प्लास्ट उत्पाद के आठ अलग-अलग ग्रेड भी प्रदान करता है, केम्प्लास्ट के ग्रेड बीआईएस द्वारा पहचाने गए ग्रेड के अनुरूप हैं।

xvi. यह तथ्य कि बीआईएस और केम्प्लास्ट ने आठ अलग-अलग ग्रेडों की पहचान की है, यह सिद्ध करता है कि इनमें से प्रत्येक ग्रेड दूसरे ग्रेड से अलग है और वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। यदि लागत, अंतिम प्रयोग, कीमत निर्धारण, उपभोक्ता धारणा आदि में कोई अंतर नहीं होता तो चेम्पलास्ट ने आठ अलग-अलग ग्रेड विकसित और पेश नहीं किए होते।

xvii. चीनजन.गण.(2023) से टेम्पर ग्लास में, प्राधिकारी ने व्यापार उपचारात्मक जांच में बीआईएस मानकों के महत्व और संगतता को मान्यता दी। चीन जन.गण., इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ताइवान, थाईलैंड और यूएसए से पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (2025) में, प्राधिकारी ने ग्रेड की तुलनीयता सिद्ध करने के लिए बीआईएस मानदंडों पर भरोसा किया और बीआईएस मानदंडों के तहत

मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले विशिष्ट ग्रेड के बाहर रखने की बात खारिज कर दी।

xviii. भारतीय मानक ब्यूरो ("बीआईएस") तकनीकी मानकों के विकास के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। बीआईएस द्वारा तैयार किए गए मानक किसी उत्पाद की उन आवश्यक विशेषताओं की पहचान और मानकीकरण करते हैं जो उत्पाद के समग्र निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। गौतम उद्योग बनाम भारत संघ (2014) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि बीआईएस एक विशेषज्ञ प्राधिकारी है और बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों पर गैर-विशेषज्ञ मंचों द्वारा दूसरी बार संदेह नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को, एक गैर-विशेषज्ञ मंच होने के नाते, उत्पाद के संबंध में बीआईएस द्वारा किए गए तकनीकी निर्धारणों को उल्लिखित करना चाहिए।

xix. चूँकि आठ ग्रेड परस्पर समान वस्तुएं नहीं हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक ग्रेड का उत्पादन किया गया है और जांच की अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में बेचा गया है। यह टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2023) में सेस्टैट के आदेश के अनुरूप है। वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादित नहीं किए गए किसी भी ग्रेड को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

xx. प्रयोक्ता उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान आठ ग्रेड में से छह का निर्माण या बिक्री नहीं की है। केम्प्लास्ट का ग्रेड 124 (आईएस 17658:2021 के अनुसार ग्रेड 2 के बराबर) घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का 90% से अधिक है।

xxi. पीवीसी पेस्ट रेजिन का निर्माण या तो सूक्ष्म-निलंबन बहुलकीकरण या इमल्शन बहुलकीकरण द्वारा किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित रेजिन की अंतर्निहित रसायन विज्ञान, कण संरचना और रेजिन निष्पादन में काफी अंतर होता है। इमल्शन बहुलक द्वारा उत्पादित रेजिन उच्च श्यानता, कम कोहरा और छद्मप्लास्टिक रियोलॉजी प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें विशेष अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसके विपरीत, सूक्ष्म-निलंबन बहुलकीकरण द्वारा उत्पादित रेजिन कम श्यानता प्रदर्शित करते हैं और सामान्य-उद्देश्य अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। सूक्ष्म-निलंबन और इमल्शन बहुलक द्वारा उत्पादित रेजिन की तकनीकी विशेषताएं तुलनीय नहीं हैं, और उत्पाद प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। इस प्रकार, इन दो प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित रेजिन समान वस्तु नहीं हैं।

xxii. घरेलू उद्योग केवल सूक्ष्म-निलंबन बहुलक का उपयोग करके रेजिन का उत्पादन करता है और इमल्शन बहुलक के माध्यम से नहीं। इस प्रकार, इमल्शन बहुलक द्वारा निर्मित रेजिन को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

xxiii. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (2025) में, केम्पलास्ट कानूनी स्थिति से सहमत था कि विभिन्न उत्पादों के परिणामस्वरूप विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं को समान वस्तु नहीं माना जा सकता है, जिसे प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया था।

xxiv. किसी रेजिन की स्पष्ट श्यानता यह पहचानती है कि लेपित उत्पादों को बनाने के लिए किसी सतह पर लागू होने पर रेजिन कितनी आसानी से प्रवाहित होगा। पीवीसी पेस्ट रेजिन के लिए, यह रेजिन की कार्यक्षमता और संभावित अनुप्रयोगों की एक परिभाषित विशेषता है।

xxv. आई एस 17658:2021, उत्पाद के लिए बीआईएस मानक, पीवीसी पेस्ट को विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत करने के लिए एक मापदंड के रूप में स्पष्ट श्यानता पर भी विचार करता है। जबकि आईएस 17658:2021 केवल 22.5 पीए-एस तक स्पष्ट श्यानता को पकड़ता है, यह प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

xxvi. विशिष्ट अनुप्रयोगों जैसे ऑटोमोटिव अपहोल्स्ट्री, लेपित कपड़े आदि के लिए, प्रयोक्ता उद्योग को 40 पीए-एस से 100 पीए-एस और उससे ऊपर की विस्कोसिटी वाले उच्च श्यानता रेजिन की आवश्यकता होती है। विशिष्ट तकनीकी गुणों के कारण, कम-विस्कोसिटी रेजिन के लिए और इसके विपरीत विशिष्ट तकनीकी गुण-धर्मों के कारण अंतिम प्रयोग अनुप्रयोगों में प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। प्रकार, उच्च श्यानता रेजिन और कम श्यानता रेजिन परस्पर समान वस्तु नहीं हैं।

xxvii. घरेलू उद्योग उच्च श्यानता रेजिन की आपूर्ति करने में असमर्थ है। बिट्स पिलानी ("प्रयोक्ताओं की बिट्स पिलानी रिपोर्ट - श्यानता") और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ("प्रयोक्ताओं की सीआईपीईटी रिपोर्ट") की परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई उच्च श्यानता ग्रेड आयातित उच्च श्यानता ग्रेड के बराबर नहीं हैं।

xxviii. उच्च श्यानता अनुप्रयोगों के लिए ग्रेड के अनुरोध के उत्तर में घरेलू उद्योग द्वारा भाग लेने वाले निचल स्तर के प्रयोक्ता को आपूर्ति किए गए ग्रेड के विश्लेषण के प्रमाण पत्र दिखाते हैं कि सभी ग्रेड की स्पष्ट श्यानता 4.5 पीए-एस से कम थी। यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग उच्च श्यानता रेजिन की आपूर्ति करने में असमर्थ है, और तदनुसार, इसे उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

xxix. कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए (जैसे ऑटोमोटिव के लिए लेपित आंतरिक कपड़ों का उत्पादन), कम फॉगिंग पीवीसी पेस्ट रेजिन की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। ऑटोमोबाइल ओईएम को कम फॉगिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, जैसे कि आईएसओ 6452, एसएई जे1756 (फोटोमेट्रिक विधि) और डीआईएन 75201 (ग्रेविमेट्रिक विधि) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार परीक्षण किया गया। केवल इस कठोर कम-धुंध कसौटी को पूरा करने वाली सामग्रियों का उपयोग ऑटोमोटिव इंटीरियर-लेपित कपड़ों के लिए किया जा सकता है।

xxx. इन मानकों को पूरा करने में विफलता को महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए अनुपयुक्त बना देती है। कम धुंधलापन ग्रेड तकनीकी रूप से मानक ग्रेड के साथ प्रतिस्थापित करने योग्य नहीं हैं। घरेलू उद्योग कम फॉगिंग ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है क्योंकि उनकी तकनीक दशकों पहले विकसित माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन तक सीमित है, न ही तकनीकी आंकड़ों शीट कम फॉगिंग गुणों या ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्तता का दावा करती है। यह आयातित कम कोहरा रेजिन के विपरीत है, जो विशेष रूप से कम कोहरा मूल्य वाले रेजिन के रूप में ब्रांडेड और विपणन किया जाता है।

xxxi. बिट्स पिलानी ("प्रयोक्ताओं की बिट्स पिलानी रिपोर्ट - फॉगिंग"), एसजीएस इंडिया ("प्रयोक्ताओं की एसजीएस रिपोर्ट - फॉगिंग"), और एफआईएलके जर्मनी ("प्रयोक्ताओं की एफआईएलके रिपोर्ट - फॉगिंग") की परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आयातित विशिष्ट रेजिन के लिए फॉगिंग का मान आईएसओ 6452 की आवश्यकता <2एमजी के अनुरूप है, जबकि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड के लिए फॉगिंग का मान लगातार 27एमजी से अधिक है।

xxxii. आईआईटी दिल्ली द्वारा परीक्षण रिपोर्ट, जिस पर प्राधिकारी ने इस उत्पाद से संबद्ध पिछली जांच में भरोसा किया था, त्रुटिपूर्ण और तकनीकी रूप से अयोग्य है। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में, कम कोहरा मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्धारित परीक्षण नहीं किए गए थे; इसके बजाय, कम कोहरा गुणों को अस्थिर सामग्री के आधार पर अनुमान लगाया गया था, जो गलत है, क्योंकि कोहरा कुल अस्थिर सामग्री के अलावा कई कारकों से निर्धारित होता है, जैसे कि अस्थिर पदार्थ की रासायनिक प्रोफ़ाइल, थर्मल व्यवहार, आदि। इसलिए, अस्थिर पदार्थ सामग्री कोहरा व्यवहार के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम नहीं कर सकती है।

xxxiii. कुछ विशेष अनुप्रयोगों, जैसे ऑटोमोटिव कोटिंग्स और जटिल आकार के उत्पादों के लिए पीवीसी पेस्ट रेजिन का स्यूडोप्लास्टिसिटी एक महत्वपूर्ण गुण है, जहां लचीलापन, स्थायित्व और दीर्घकालिक यांत्रिक अखंडता महत्वपूर्ण है। छद्म प्लास्टिक गुणों वाले ग्रेड के लिए एक अनुरोध के उत्तर में, घरेलू उद्योग ने इसके ग्रेड 120 को उपयुक्त विकल्प के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया। हालाँकि, ग्रेड 120 आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा, और घरेलू उद्योग ग्रेड 120 के उचित उपयोग पर कोई मार्गदर्शन प्रदान करने में विफल रहा।

xxxiv. 13 मई 2025 की पीयूसी सूचना के माध्यम से अधिसूचित पीसीएन पद्धति गलत है। प्रयोक्ता उद्योग ने अपनी प्रस्तावित पद्धति के अनुसार पीसीएन के पुनर्गठन का अनुरोध किया है। अपनी प्रस्तावित पद्धति में, प्रयोक्ता उद्योग आईएस 17658:2021 के तहत मान्यता प्राप्त प्रत्येक ग्रेड को कम कोहरे, उच्च श्यानता और अन्य विशिष्ट ग्रेड के लिए अलग-अलग पीसीएन के अलावा एक अलग पीसीएन के रूप में निर्दिष्ट करने का अनुरोध करता है।

xxxv. आईएस 17658:2021 द्वारा मान्यता प्राप्त आठ अलग-अलग ग्रेडों की मौजूदगी कीमतों में अंतर का संकेत देता है। यदि विभिन्न ग्रेडों के बीच महत्वपूर्ण तकनीकी भिन्नताएं मौजूद हैं तो लागत और मूल्य में प्रदर्शनीय अंतरों की अनुपस्थिति में भी पीसीएन तैयार किए जा सकते हैं। उत्पाद के क्षेत्र में तकनीकी रूप से विविध कई ग्रेड शामिल हैं, जिनमें से कई का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, और इसलिए, उन ग्रेड के आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती है। इसलिए, जब तक इस तरह का ग्रेड-वार विश्लेषण नहीं किया जाता है, तब तक कीमत निर्धारण और क्षति का विश्लेषण विकृत हो जाएगा।

xxxvi. तीन महीने से अधिक समय तक घरेलू उद्योग द्वारा परीक्षण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को साझा नहीं करने से 15 दिसंबर 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई स्पष्ट रूप से अमान्य हो जाती है। उत्तरदाताओं को मौखिक सुनवाई के दौरान इन परीक्षण रिपोर्टों और अन्य दस्तावेजों में कमियों को उजागर करने का कोई अवसर नहीं मिला।

xxxvii. बीआईएस ने स्वयं एक संशोधन का प्रस्ताव दिया है जो उच्च श्यानता ग्रेड को एक अलग विशेष ग्रेड के रूप में मान्यता देता है। घरेलू उद्योग द्वारा साझा की गई परीक्षण रिपोर्टें वर्तमान जांच के लिए संगत नहीं हैं क्योंकि ये परीक्षण

रिपोर्टें वर्तमान जांच के जांच की अवधि के बाद विकसित कथित अनुकूलित ग्रेड से संबंधित हैं।

xxxviii. घरेलू उद्योग बिट्स पिलानी के प्रोफेसर से अपने प्रश्न के माध्यम से स्वीकार करता है कि उनके कम श्यानता ग्रेड को प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजकों को जोड़ने की आवश्यकता है।

xxxix. पीवीसी पेस्ट रेजिन में योजकों के संयोजन से उत्पाद के रासायनिक गुणों में काफी बदलाव आता है और इसे अब पीवीसी पेस्ट रेजिन नहीं माना जा सकता है।

xl. पीवीसी पेस्ट रेजिन में योजकों के संयोजन से उत्पाद के रासायनिक गुणों में काफी परिवर्तन हो जाता है और इसे अब पीवीसी पेस्ट रेजिन नहीं माना जा सकता है।

xli. पीसीएन विभेदन की आवश्यकता है जहां भी तकनीकी और वाणिज्यिक अंतर मूल्य तुलनीयता को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं, भले ही ऐसे अंतर एक निश्चित प्रतिशत में परिवर्तित हों।

xlii. घरेलू उद्योग की अपनी अभिव्यक्ति प्रतिस्थापन और समानता पर इसके मामले को अत्यधिक रूप से कमजोर करती है। यह स्वीकार करते हुए कि ग्रेड 120 (ग) और 121 (ग) को विनिर्माण चरण में उच्च श्यानता और कम-कोहरा गुणों को वितरित करने के लिए संशोधित किया जाता है, घरेलू उद्योग स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसके नियमित ग्रेड में ये विशेषताएं अंतर्निहित रूप से नहीं हैं और समान निष्पादन के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

xliii. पीवीसी सस्पेंशन रेजिन से बने लेपित कपड़ों के लिए उत्पादन प्रक्रियाएं, योजक और तकनीकी आवश्यकताएं पीवीसी पेस्ट रेजिन से काफी भिन्न होती हैं। पीवीसी पेस्ट रेजिन का उपयोग करके उत्पादन प्रक्रिया के लिए उद्योग के अभ्यास के संबंध में किसी भी निष्कर्ष का आधार ऐसे ब्रोशर पर निर्भरता नहीं बना सकता है।

xliv. केवल श्यानता ही उत्पाद के समग्र तरल व्यवहार और अंतिम प्रयोग को प्रभावित नहीं करती है। श्यानता के अलावा, न्यूटोनियन व्यवहार, अपरूपण रियोलॉजी प्रोफ़ाइल, आदि, तरल व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

xlv. स्प्रे करने के लिए, नोजल के बाहर निकलने पर पीवीसी कोटिंग की श्यानता हट तरल होनी चाहिए, हालांकि, एक बार जब पीवीसी कोटिंग कार के शरीर से चिपक जाती है, तो इसे झूलने से रोकने के लिए उच्च श्यानता हट दिखानी चाहिए।

xlvi. उत्पाद की रियोलॉजी प्रोफ़ाइल अंतिम प्रयोग को प्रभावित करती है। केमप्लास्ट के तकनीकी आंकड़ा तालिका में रियोलॉजी प्रोफाइल का उल्लेख नहीं है, लेकिन केवल श्यानता हट का उल्लेख है। अर्थात्, श्यानता में परिवर्तन के साथ भी, समान उत्पाद विशेषताओं को उत्पाद द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

xlvii. प्रत्येक जांच का मूल्यांकन वर्तमान साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए और पूर्व निष्कर्ष नए तकनीकी साक्ष्य और प्रयोक्ता अनुरोधों को अवहेलना नहीं कर सकते हैं।

xlviii. एक कम-लाइसिपोसिटी पीवीसी पेस्ट रेजिन को केवल निचले स्तर के मापदंडों या प्लास्टिसाइज़र सामग्री को संशोधित करके उच्च-लाइसिपोसिटी रेजिन की तरह व्यवहार करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

3. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए है:

i. क्रॉस-लिंक्ड ग्रेड पीवीसी पेस्ट रेजिन की एक अलग श्रेणी नहीं है, क्रॉस-लिंकिंग केवल रेजिन का एक गुण है। जैसा कि कनेका द्वारा दायर साक्ष्य में भी कहा गया है, उत्पादन के दौरान उपयुक्त योजकों के संयोजन से क्रॉस-लिंकिंग प्राप्त की जाती है। केम्प्लास्ट के ग्रेड 122, 123, 126 और 129 भी क्रॉस-लिंकिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, क्रॉस-लिंक्ड और गैर-क्रॉस-लिंक्ड ग्रेड के बीच प्रतिस्थापनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ii. कनेका ने एक निश्चित उच्च-मूल्य वाले ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया है। हालाँकि, विवरण गोपनीय होने का दावा किया गया है। इसलिए, घरेलू उद्योग सार्थक टिप्पणियां देने में असमर्थ है। केवल कीमत ही बाहर करने का मापदंड नहीं हो सकती।

iii. घरेलू उद्योग वेस्टलेक विन्नोलिट द्वारा मांगी गई ग्रेडों को बाहर रखने पर आपत्ति जताता है। केम्प्लास्ट के ग्रेड 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128 और 129 वाणिज्यिक रूप से और तकनीकी रूप से इन ग्रेडों के प्रतिस्थापनीय हैं।

iv. घरेलू उद्योग बायोविन, नियोविन और रिकोविन को बाहर रखने पर आपत्ति नहीं करता है। हालाँकि, ये ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं हैं और तकनीकी रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के लिए प्रतिस्थापनीय

हैं। एकमात्र विभेदक कारक कीमत है, जो वर्तमान में इन ग्रेडों के लिए काफी अधिक है।

v. चूंकि विचाराधीन उत्पाद एक कमोडिटी उत्पाद है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें तेजी से विकसित हो सकती हैं। अतः, उचित मूल्य बेंचमार्क के अधीन बाहर करने को मंजूरी दी जानी चाहिए। यदि नियमित ग्रेड और टिकाऊ ग्रेड के बीच मूल्य अंतर जारी रहता है, तो एक उचित बेंचमार्क किसी भी तरह से निर्यातक के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होगा। इस तरह के प्रस्ताव को प्राधिकारी ने *नायलॉन फिलामेंट यार्न (2011)* में स्वीकार किया था।

vi. घरेलू उद्योग इस प्रस्ताव से सहमत है कि बीआईएस तकनीकी मानकों को तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है और आमतौर पर, इसके तकनीकी निर्धारण गैर-तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निंदा से परे होने चाहिएं। घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए बीआईएस द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों पर सवाल नहीं उठा रहा है। हालाँकि, घरेलू उद्योग बीआईएस मानकों के आधार पर विरोधी पक्षकारों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और दिए गए तर्कों की वैधता पर विवाद करता है।

vii. विरोधी पक्षकारों ने यह दावा करने के लिए पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (2025) पर भरोसा किया है कि ग्रेड और उत्पाद क्षेत्र को बाहर करने की तुलनात्मकता बीआईएस द्वारा तैयार मानकों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। यह एक पूर्ण गलत उद्धरण है, जो या तो निर्णय की घोर गलतफहमी को दर्शाता है या प्राधिकारी को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास है।

viii. *पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (2025)* मामले में, तकनीकी मापदंडों की तुलनीयता के आधार पर प्रयोगशाला रिपोर्टों के अनुसार ग्रेड की तुलनीयता सिद्ध की गई थी। लैब रिपोर्टों ने बीआईएस मानदंडों के अनुसार परीक्षण किया, जिसे प्राधिकारी ने परीक्षण पद्धति की वैधता को इंगित करने वाले कारक के रूप में नोट किया। विरोधी पक्षकारों द्वारा दावा किए गए अनुसार, बीआईएस मानदंडों के आधार पर तुलनीयता निर्धारित नहीं की गई थी।

ix. जबकि विभिन्न ग्रेड (जैसा कि आईएस 17658:2021 द्वारा पहचाना गया है) विभिन्न अंतिम उपयोगों के लिए अनुकूलित हैं, विभिन्न ग्रेडों के मूल रसायन विज्ञान में कोई मौलिक अंतर नहीं है, और ग्रेड आपस में विनिमेय हैं। विभिन्न ग्रेडों के उत्पादन की लागत में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है, और कुछ निर्दिष्ट प्रक्रिया नियंत्रण मापदंडों को बदलकर विभिन्न ग्रेडों को एक ही उत्पादन लाइनों पर बनाया जा सकता है।

x. भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग लगभग 250,000 एमटी है। तथापि, मांग का ग्रेड-वार विश्लेषण दर्शाता है कि विभिन्न ग्रेडों की मांग में महत्वपूर्ण भिन्नता है। उदाहरण के लिए, जहां ग्रेड 124 की मांग 125,000 एमटी से अधिक है, वहीं ग्रेड 129 की मांग 750 एमटी से कम है।

xi. विभिन्न ग्रेडों की मांग पर आधारित एक उत्पादन कार्यनीति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू उद्योग एक निरंतर उत्पादन प्रक्रिया को नियोजित करता है। उत्पादन प्रक्रिया की निरंतर प्रकृति के कारण, उत्पादन को रोकना और फिर से शुरू करना एक महत्वपूर्ण लागत है, जिससे प्रारंभिक उत्पादन में दक्षता की हानि और गुणवत्ता की समस्याएँ होती हैं। घरेलू उद्योग किसी भी ग्रेड के लिए किसी भी ऑर्डर की आपूर्ति करने में सक्षम और इच्छुक है, बशर्ते कि ऑर्डर पर्याप्त मात्रा के लिए हों और उचित लाभकारी कीमतें प्रदान करें।

xii. संबद्ध देशों के प्रतिभागी उत्पादकों ने ग्रेड में कोई अंतर नहीं होने का दावा नहीं किया है, जो दृढ़ता से संकेत देता है कि विभिन्न ग्रेड की लागत और कीमत में कोई अंतर नहीं है।

xiii. सूक्ष्म-निलंबन और इमल्शन बहुलकीकरण दोनों 1940 के दशक से उपयोग में हैं। तकनीकी साहित्य में, दोनों प्रक्रियाओं को केवल एक के दूसरे से बेहतर होने या किसी भी तकनीक के अप्रचलित होने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। सूक्ष्म-निलंबन और इमल्शन बहुलक द्वारा उत्पादित सामान, समान वस्तुएं हैं। प्राधिकारी की यह लगातार परिपाटी रही है कि उत्पादन प्रक्रिया में अंतर का अर्थ यह नहीं है कि एक अलग, भिन्न, असमान वस्तु की मौजूदगी है और यह बहिष्करण का आधार नहीं है।

xiv. प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता को प्लास्टिकोल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। विभिन्न योजकों के उपयोग से प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता को संशोधित किया जा सकता है।

xv. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड उच्च श्यानता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसा कि बिट्स पिलानी ("डीआई की बिट्स पिलानी रिपोर्ट - श्यानता") और सीआईपीईटी ("डीआई की सीआईपीईटी रिपोर्ट") की परीक्षण रिपोर्टों द्वारा सिद्ध किया गया है।

xvi. कोहरा मान पीवीसी पेस्ट रेजिन का अनिवार्य गुण-धर्म नहीं है और आईएस 17658:2021 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। प्लास्टिसोल का फॉगिंग मान प्लास्टिकोल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन द्वारा

परिभाषित नहीं किया गया है। विभिन्न एंटी-फॉगिंग एजेंटों के उपयोग से प्लास्टिसोल और लेपित कपड़ों के फॉगिंग कीमत को संशोधित किया जा सकता है।

xvii. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई श्रेणियां एटीएमवाई लैब्स की परीक्षण रिपोर्टों द्वारा सिद्ध कम कोहरे की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

xviii. स्यूडोप्लास्टिक रेजिन पीवीसी पेस्ट रेजिन का एक अलग वर्ग नहीं है। स्यूडोप्लास्टिसिटी केवल पीवीसी पेस्ट रेजिन का एक गुण-धर्म है।

xix. 13 मई 2025 की सूचना के माध्यम से अधिसूचित पीसीएन पद्धति उपयुक्त है। पीसीएन केवल लागत और विभिन्न ग्रेडों के बीच लागत और कीमत अंतर के साक्ष्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। यहां तक कि संबद्ध देशों के प्रतिभागी उत्पादकों और निर्यातकों ने भी आईएस 17658:2021 द्वारा पहचाने गए विभिन्न ग्रेडों के लिए अलग-अलग पीसीएन तैयार करने के लिए नहीं कहा है। यह सिद्ध करता है कि विभिन्न ग्रेडों के बीच कोई महत्वपूर्ण लागत और कीमतों का अंतर नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

4. जांच शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:-

3. वर्तमान आवेदन-पत्र -पत्र में विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन' है जिसे 'पीवीसी पेस्ट रेजिन' या 'इमल्शन पीवीसी रेजिन' के रूप में भी जाना जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट रेजिन का उत्पादन विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके किया जाता है और आमतौर पर सफेद/ऑफ-सफेद पाउडर के रूप में बेचा जाता है। पीयूसी का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सेन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, ऑटोमोटिव सीलेंट, चिपकने वाले और दस्ताने के निर्माण में हैं।

5. उत्पाद का व्यापार किलोग्राम (केजी) या मीट्रिक टन (एमटी) में किया जाता है। इसलिए, केजी / एमटी को माप की इकाई माना गया है।

6. निम्नलिखित उत्पादों को पीयूसी के क्षेत्र से बाहर रखा गया है:

i. 60 के से कम के मूल्य के साथ विचाराधीन उत्पाद

ii. पीवीसी मिश्रण रेजिन

iii. पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह-पॉलिमर

iv. बैटरी सेपरेटर रेजिन

5. पीवीसी पेस्ट रेजिन के मान से पता चलता है कि रेजिन की आणविक भार है, जो घोल की श्यानता हट से प्राप्त होता है, और यह दृढ़ता से नियंत्रित करता है कि रेजिन प्लास्टिकोल (प्लास्टिसाइज़र के साथ मिश्रित पीवीसी) में कैसा व्यवहार करता है। के के कम मान (< 60) का मतलब है छोटी पॉलिमर श्रृंखलाएं, जिससे कम प्लास्टिसोल श्यानता हट, आसान प्रवाह, तेज संलयन और नरम अंतिम उत्पाद होते हैं, जबकि उच्च के मान (लगभग 68-72) लंबे श्रृंखलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो प्लास्टिसोल श्यानता हट को बढ़ाते हैं, उच्च संलयन तापमान और समय की आवश्यकता होती है, और बेहतर तन्य और घिसाई गुण-धर्मो के साथ मजबूत फिल्मों का उत्पादन करते हैं। चूंकि पेस्ट रेजिन को सूखे पिघलने के बजाय तरल प्लास्टिसोल रूप में संसाधित किया जाता है, प्रवाह, कोटिंग मोटाई, जेलेशन दर और अंतिम यांत्रिक निष्पादन के प्रबंधन के लिए के मूल्य महत्वपूर्ण है।

6. जांच की शुरुआत की अधिसूचना ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना से 15 दिनों के भीतर उत्पाद क्षेत्र और पीसीएन कार्यप्रणाली पर अपनी टिप्पणियां दायर करने के लिए आमंत्रित किया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, इस समय सीमा को 14 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया था। प्राधिकारी को कई हितबद्ध पक्षकारों से उत्पाद के विभिन्न रूपों और ग्रेडों को बाहर करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए गए विभिन्न बहिष्करणों पर घरेलू उद्योग से टिप्पणियां भी प्राप्त हुईं।

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी/पीसीएन चरण में, उत्पाद क्षेत्र को परिभाषित करने का उद्देश्य विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को स्पष्ट करना है जिसके लिए जांच की जा रही है और यह जांच करना है कि क्या उत्तर दायर करने के उद्देश्य से पीसीएन पद्धति से विचलित होने की आवश्यकता है। विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र इस स्तर पर तय नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं, जिन्होंने कुछ उत्पाद को बाहर करने की मांग की। घरेलू उद्योग से उत्तर मांगा गया था, जो सह-पॉलिमर, मिश्रण रेजिन और

पीवीसी 173जीबी जैसे विशिष्ट अपवादों पर सहमत हुआ। घरेलू उद्योग ने अन्य (उच्च श्यानता, कम कोहरा आदि) पर आपत्ति जताई। जिन उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा बहिष्करण पर सहमति नहीं दी गई थी, उन्हें यह निर्धारित करने के लिए वर्तमान जांच के दौरान जांच की गई है कि क्या वे बहिष्करण आवश्यक हैं। पीयूसी सूचना में, उत्पाद क्षेत्र को निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन' है जिसे 'पीवीसी पेस्ट रेजिन' या 'इमल्शन पीवीसी रेजिन' के रूप में भी जाना जाता है।

विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं।

i. 60 के से कम के मान वाले संबद्ध सामान
ii. पीवीसी मिश्रण रेजिन
iii. पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह-पॉलिमर
iv. बैटरी सेपरेटर रेजिन
v. ग्रेड पीवीसी 173जीबी
vi. कोपोलिमर ग्रेड (ई 70 एससी, पीए 5470 / 5, सी12 / 62वी और एसए 1062 / 7)

8. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित जांच के तहत उत्पाद के क्षेत्र के आधार पर, उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त अनुरोध किए गए थे। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की संगत मानी गई सीमा तक, यहां जांच की गई हैं।

9. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है:-

(घ) "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटित की जा रही या उस वस्तु के अभाव में, जांचाधीन वस्तु के सभी संबंधों में समान अथवा उसी तरह की है, दूसरी वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं है, मे जांचाधीन वस्तुओं से बारीकी के मिलती-जुलती विशेषताएं हैं;

10. आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ समरूप वस्तु की समानता तथा उसकी प्रतिस्थापनीयता को न्यायोचित ठहराने के लिए, विश्व व्यापार संगठन के पैनल द्वारा कोरिया – एल्कोहोलिक बेवरेजेस प्रकरण (WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R) में दिए गए निर्णय पर भी निर्भरता व्यक्त की जाती है, जिसमें यह कहा गया था कि - *"प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिस्थापनीय शब्द दो उत्पादों, जिनमें एक आयातित तथा दूसरा घरेलू है, के बीच विद्यमान एक विशिष्ट प्रकार के संबंध का वर्णन करता है। इस पदावली के शब्दों से ही यह स्पष्ट है कि उस संबंध का मूल तत्व यह है कि वे उत्पाद परस्पर प्रतिस्पर्धा में हों। यह बात 'प्रतिस्पर्धी' शब्द से स्पष्ट है, जिसका अर्थ है 'प्रतिस्पर्धा से युक्त', तथा 'प्रतिस्थापनीय' शब्द से भी स्पष्ट है, जिसका अर्थ है 'प्रतिस्थापित किए जाने में सक्षम'। इस प्रतिस्पर्धात्मक संबंध का संदर्भ अनिवार्यतः बाजार है, क्योंकि यही वह मंच है जहाँ उपभोक्ता विभिन्न उत्पादों के बीच चयन करते हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा एक गतिशील और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। अतः 'प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी अथवा प्रतिस्थापनीय' शब्दावली यह निहित करती है कि उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध का विश्लेषण केवल वर्तमान उपभोक्ता वरीयताओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। हमारे मत में 'प्रतिस्थापनीय' शब्द यह इंगित करता है कि अपेक्षित संबंध ऐसे उत्पादों के बीच भी विद्यमान हो सकता है जिन्हें किसी विशिष्ट समय पर उपभोक्ता परस्पर विकल्प के रूप में न मानते हों, किंतु जो फिर भी एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने में सक्षम हों।"*

11. जापान से उद्गमित अथवा निर्यातित एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर के आयातों पर पाटनरोधी जांच से संबंधित अंतिम निष्कर्ष, फा. सं. 25/एडीडी/94, दिनांक 19 अक्टूबर 1995, में भी इस संबंध में संदर्भ लिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि समरूप वस्तु की जांच के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में से एक वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता तथा विनिर्माण प्रक्रिया है। यह प्राधिकरण की सतत प्रथा के अनुरूप है तथा व्यापार उपचार जांचों हेतु संचालन पद्धति पुस्तिका, जो महानिदेशालय द्वारा जारी की गई है, से भी समर्थित है।

12. प्राधिकरण यह भी मानता है कि जब तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सम्मिलित श्रेणियाँ घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली समरूप वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में हैं और घरेलू उत्पादक को क्षति पहुँचाने में सक्षम हैं, तब तक उन्हें शुल्काधान के दायरे में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त दृष्टिकोण कजारिया सेरामिक्स बनाम नामित प्राधिकरण, हुवावे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण, तथा मेरिनो पैनल्स बनाम नामित प्राधिकरण के मामलों में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के निर्णयों से समर्थित है। अतः प्राधिकरण यह मानता है कि उच्च श्यानता तथा

निम्न धुंधलापन श्रेणियों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त औचित्य विद्‌यमान है।

ग.3.1 कनेका द्‌वारा उत्पादित क्रॉस-लिंक्ड रेजिन और होमोपोलीमर ग्रेड पीएसएच-10 को बाहर रखना

13. कनेका ने क्रॉस-लिंक्ड रेजिन और होमोपॉलीमर ग्रेड पीएसएच-10 को बाहर करने का अनुरोध यह दावा करते हुए किया है कि ऐसे रेजिन पारंपरिक पीवीसी पेस्ट रेजिन से मौलिक रूप से भिन्न हैं। कनेका ने दावा किया है कि ये क्रॉसलिंक्ड पीवीसी पेस्ट रेजिन पारंपरिक होमोपॉलीमर पेस्ट रेजिन से मौलिक रूप से भिन्न हैं क्योंकि उनमें बहुलकीकरण के दौरान क्रॉसलिंकिंग एजेंटों को पेश करके बनाई गई क्रॉसलिंक्ड बहुलक संरचना होती है और उनका विशिष्ट अनुप्रयोग होता है। होमोपॉलिमर ग्रेड के लिए, निर्यातक ने दावा किया है कि उत्पाद का एक विशिष्ट अनुप्रयोग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्‌योग ने क्षेत्र में क्रॉस-लिंक्ड रेजिन को शामिल करने की आवश्यकता को सही नहीं ठहराया है। इसलिए प्राधिकारी क्रॉस लिंक्ड पेस्ट रेजिन को बाहर कर दिया।

ग.3.2 वेस्टलेक विन्नोलिट द्‌वारा उत्पादित कुछ विशिष्ट ग्रेडों को बाहर रखना

14. वेस्टलेक विन्नोलिट ने ग्रेड ई 2059, ई 68 सीएफ, ई 67 एसटी, ई 2059, ई 67 एसटी, एम 68 एफडब्ल्यू, ई 69 एसटी, ई 69 वीएस, ई 70 टीटी, एमपी 7151, ई 70 सीक्यू, पी 70, पी 70 एफ, पी 70 एचटी, पी 70 पीएस, ई 75 एचवी, ई 75 एसके, ई 74 सीसी, ई 80 टीटी, पी 80, पी 80 जी को इस आधार पर बाहर करने की मांग की कि ये विशेषता ग्रेड हैं और पीवीसी पेस्ट रेजिन के नियमित ग्रेड की तुलना में तकनीकी अंतर रखते हैं। हालाँकि, वेस्टलेक विन्नोलिट ने पीवीसी पेस्ट रेजिन के इन कथित विशिष्ट ग्रेड और नियमित ग्रेड के बीच तकनीकी अंतर की उचित पहचान नहीं की। घरेलू उद्‌योग ने पीयूसी-पीसीएन के क्षेत्र का निर्धारण करते समय इस आधार पर बहिष्कार का विरोध किया था कि इसके ग्रेड वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से आयातित ग्रेड के प्रतिस्थापन योग्य हैं। जांच के क्षेत्र में उत्पाद की सूचना जारी करने के बाद, वेस्टलेक विन्नोलिट ने जांच में भाग नहीं लिया है, कोई और अनुरोध नहीं किया है और प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार प्राधिकारी का मानना है कि वेस्टलेक विन्नोलिट ने बाहर रखने के अपने दावे को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सूचना और साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं और घरेलू उद्‌योग द्‌वारा समान वस्तु का न होना सिद्‌ध नहीं किया है।

15. प्राधिकारी का मानना है कि बहिष्कार चाहने वाले पक्षकार द्वारा समान वस्तु की अनुपस्थिति सिद्ध की जानी चाहिए। तकनीकी मापदंडों में अंतर के मेरे दावे गैर-प्रतिस्थापनीयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वर्तमान मामले में निर्यातक ने यह भी सिद्ध नहीं किया है कि ये ग्रेड विशेषता ग्रेड कैसे हैं। प्राधिकारी ने यह भी नोट करते हैं कि इन ग्रेडों को बाहर करने का अनुरोध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में किया गया था। पीसीयू-पीसीएन सूचना में बाहर करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। वेस्टलेक विन्नोलिट ने कोई और अनुरोध नहीं किया या जांच की शुरुआत का उत्तर देते समय में किए गए अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया। इसलिए, प्राधिकारी को इन ग्रेडों को बाहर करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं मिलता है।

ग.3.3 बायोविन,नियोविन और रिकोविन को बाहर रखना

16. इन ग्रेडों को बाहर करने की मांग इनोविन द्वारा की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये ग्रेड नियमित ग्रेड की तुलना में कम कार्बन पदचिह्न वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन के स्थायी ग्रेड हैं। यह निर्विवाद है कि घरेलू उद्योग टिकाऊ/कम कार्बन ग्रेड का उत्पादन नहीं करता है। ये ग्रेड नवीकरणीय कार्बन फीडस्टॉक (बायोविन और नियोविन) या रिसाइकिल्ड प्लास्टिक (रिकोविन) और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। यह कहा गया है कि इन स्थिरता मापदंडों का अनुपालन तीसरे पक्षकार के लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किया जाता है और प्रमाणन आवश्यकताओं के अधीन है। यह दावा किया गया है कि इन इनपुट और प्रमाणन की उच्च कीमतों के कारण, उत्पादन की लागत और इन ग्रेड की कीमत नियमित ग्रेड की तुलना में बहुत अधिक है। घरेलू उद्योग ने इस तरह के बहिष्करण पर आपत्ति नहीं जताई है।

17. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि चीन जन.गण.,कोरिया गणराज्य,मलेशिया, नॉर्वे,ताइवान और थाईलैंड (2024) से पीवीसी पेस्ट रेजिन में हाल ही में संपन्न अंतिम जांच परिणामों में, बायोविन को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा गया था। अत:, उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी नवीकरणीय/बायो फीडस्टॉक से उत्पादित कम कार्बन पदचिह्न ग्रेड बायोविन, नियोविन और रिकोविन और स्थिरता के स्वीकार्य प्रमाण के साथ उत्पाद क्षेत्र से बाहर कर दिया।

ग.3.4 आईएस 17658:2021 के तहत अपंजीकरणीय ग्रेडों को बाहर रखना

18. हितबद्ध पक्षकारों ने उन ग्रेडों को बाहर करने का अनुरोध किया है जो आईएस 17658:2021 के तहत पंजीकरणीय नहीं हैं, इस आधार पर कि इन ग्रेडों को आयात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें आईएस 17658:2021 के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मानक के अनुपालन को अनिवार्य करने वाला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

वापस ले लिया गया है। चूंकि मानक को वापस ले लिया गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इन ग्रेडों को भारत में आयात नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने की स्वीकृति देने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी उन किसी भी ग्रेडों को बाहर करने की मंज़ूरी नहीं दी हैं जिन्हें आईएस 17658:2021 के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सका।

ग.3.5 गैर-पिसे हुए इमल्शन ग्रेड को बाहर रखना

19. ईवोविन ने अपने दो ग्रेडों, 173जीबी और 174जीवाई को इस आधार पर बाहर रखने का अनुरोध किया कि ये नॉन-ग्रिंडेड इमल्शन रेजिन हैं। घरेलू उद्योग इन्हें बाहर रखने के लिए सहमत हो गया है। ग्रेड 173जीबी को विचाराधीन उत्पाद की सूचना दिनांक 13 मई, 2025 के समय विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया इस बात से संतुष्ट होने पर कि रेजिन 174जीवाई भी एक गैर-पिसी इमल्शन ग्रेड है, प्राधिकारी इन दो ग्रेडों को बाहर करने की अनुमति देना उचित समझते हैं।

ग.3.6 इमल्शन बहुलकीकरण द्वारा उत्पादित ग्रेड का बहिष्करण

20. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद दो प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है: इमल्शन पॉलीमराइजेशन और माइक्रो-सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। यह दावा किया गया है कि इमल्शन बहुलकीकरण द्वारा उत्पादित रेजिन नियंत्रित वितरण प्रदर्शित करते हैं,जो उच्च श्यानता, स्यूडोप्लास्टिक रियोलॉजी, कम-कोहरा आदि के साथ विशेषता ग्रेड के विकास की अनुमति देता है। हितबद्ध पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू उद्योग इमल्शन बहुलकीकरण के माध्यम से सामान का उत्पादन नहीं करता है और इसीलिए, इमल्शन बहुलकीकरण के माध्यम से उत्पादित सामान को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

21. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित सामानों में कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीवीसी रेजिन के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं में से कोई भी कुछ अनुप्रयोगों के लिए बेहतर या उपयुक्त उत्पादों की ओर नहीं ले जाता है।

22. यह देखा जाता है कि प्रयोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करते हैं कि एक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित सामान आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में अन्य प्रक्रिया के

माध्यम से उत्पादित सामान से भिन्न है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित सामानों की तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता की अनुपस्थिति सिद्ध नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में अंतर का मतलब यह नहीं है कि उत्पाद अलग-अलग हैं। एक बहिष्करण पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया गया हो कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित सामानों में तकनीकी अंतर हैं जो उन्हें नापसंद वस्तु बनाते हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी उपभोक्ताओं द्वारा पूर्ण परस्पर परिवर्तनीयता समान उत्पाद के निर्धारण के लिए निश्चयात्मक मानदंड के रूप में कभी नहीं माना जाता है। जब तक दोनों उत्पादों का अतिव्यापी उपयोग हो रहा है, तब तक दोनों को एक ही उत्पाद माना जाना चाहिए।

23. विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में विभिन्न पूर्व पाटनरोधी जांचों में विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया के मुद्दे की जांच की गई थी। प्राधिकारी ने निरंतर यह माना है कि इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित सामान समान हैं। पीवीसी पेस्ट रेजिन दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि परिणामी उत्पाद अलग हो जाता है। यह संभव है कि प्रत्येक उत्पादक के पास उत्पाद बनाने की अपनी प्रक्रिया हो; लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में अंतर महत्वहीन होगा जब तक कि परिणामी उत्पाद के गुण समान न हों। इसी के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने पहले अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 15/27/2008-डीजीएडी दिनांक 4 अप्रैल, 2013 और अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 15/19/2014-डीजीएडी दिनांक 26 अप्रैल, 2016 में यह माना था कि विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पाद का उत्पादन विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के क्षेत्र में शामिल किया गया था। हाल ही में जारी अंतिम जांच परिणाम फा. संख्या 6/17/2023-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसंबर, 2024 में ऐसा कोई बहिष्करण प्रदान नहीं किया गया था।

24. प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य भी अलग निर्धारण का समर्थन नहीं करते हैं। अत:, प्राधिकारी का मानना है कि इमल्शन पॉलीमराइजेशन द्वारा उत्पादित रेजिन को बाहर करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

ग.3.7 उच्च श्यानता वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन को बाहर रखना

25. प्रयोक्ता उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादक कुछ उच्च श्यानता ग्रेड का उत्पादन और निर्यात करते हैं जिनके लिए भारत में कोई घरेलू जैसी समान वस्तु नहीं है। प्रयोक्ता उद्योग ने यह भी दावा किया है कि उच्च श्यानता और कम श्यानता रेजिन परस्पर गैर-प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ता उद्योग के अनुसार, स्पष्ट श्यानता पीवीसी पेस्ट रेजिन की एक आवश्यक विशेषता है और रेजिन के अंतिम प्रयोग अनुप्रयोगों को इसकी स्पष्ट श्यानता द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी प्रकाश डाला गया है कि आईएस 17658:2021 भी पीवीसी पेस्ट रेजिन की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्पष्ट श्यानता को मान्यता देता है और विभिन्न ग्रेडों के सीमांकन के लिए श्यानता को ध्यान में रखता है। प्रयोक्ता उद्योग ने इस तर्क के समर्थन में सीआईपीईटी लैब और बिट्स पिलानी की परीक्षण रिपोर्ट प्रदान की है।

26. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि (क) उच्च श्यानता और कम श्यानता रेजिन प्रतिस्थापनीय हैं, (ख) घरेलू उद्योग ने अब भारत में उपभोक्ताओं को उच्च श्यानता का उत्पादन और आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने कहा है कि स्पष्ट श्यानता एक रेजिन का आंतरिक गुण नहीं है और श्यानता को उपयुक्त योजकों के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है जो विशेष रूप से श्यानता और थिक्सोट्रोपिक गुणों को बदलने के उद्देश्य से निर्मित और विपणन किए जाते हैं। उपभोक्ताओं के बार-बार आग्रह को देखते हुए, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद, उच्च श्यानता वाले उपयुक्त योजकों को मिलाकर अनुकूलित ग्रेड विकसित किए हैं। घरेलू उद्योग उसी प्रयोगशालाओं से अपनी रिपोर्ट पर निर्भर रहा है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के इन ग्रेडों में उच्च श्यानता है। घरेलू उद्योग ने बिट्स पिलानी के डॉ. कृष्णा सी एटिका के ईमेल संचार की एक प्रति भी प्रदान की है, जिन्होंने प्रयोक्ता उद्योग द्वारा भरोसा की गई परीक्षण रिपोर्ट का संचालन किया था, यह दिखाने के लिए कि एक प्लास्टिसोल में प्रयुक्त पीवीसी पेस्ट रेजिन एक प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता को प्रभावित करता है, यह प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता का एकमात्र निर्धारक नहीं है।

27. प्राधिकारी उपभोक्ताओं के इस तर्क को नोट करते है कि प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता प्लास्टिसोल की प्रवेश गहराई, कोटिंग प्रभावशीलता, लचीलापन आदि को प्रभावित करती है और यह निर्धारित करती है कि प्लास्टिसोल का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्लास्टिसोल में प्रयुक्त पीवीसी पेस्ट रेज़िन एक प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता को प्रभावित कर सकता है, यह प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता का एकमात्र निर्धारक नहीं है। रिकॉर्ड पर साक्ष्य दर्शाता है कि प्लास्टिसोल की श्यानता को बदला

जा सकता है और वांछित श्यानता को विभिन्न फॉर्मूलेशन रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें उपयोग किए गए प्लास्टिसाइज़र स्तर, श्यानता संशोधक, भराव आदि शामिल हैं।

28. प्रतिस्थापनीयता निर्धारित करने के लिए संगत मानक "प्रयोगों में अतिव्यापन" है। वर्तमान मामले में, भले ही किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए स्पष्ट श्यानता की आवश्यकता हो, लेकिन अलग-अलग श्यानता वाले विचाराधीन उत्पाद का उपयोग ऐसे प्लास्टिसोल की तैयारी के लिए किया जा सकता है, जिसमें उपयुक्त प्लास्टिसाइज़र, रेजिन और योजकों के उपयोग से वांछित श्यानता प्राप्त की जा सकती है। उपभोक्ताओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि अंतिम उत्पाद में इस तरह की उच्च श्यानता उपयुक्त प्लास्टिसोल/योजक के उपयोग से प्राप्त नहीं की जा सकती है। यह भी देखा गया है कि प्रयोक्ताओं ने किसी विशेष ग्रेड की पहचान नहीं की है जिसमें आवश्यक गुण हैं और जिसके लिए बहिष्करण मांगा गया है।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन मुद्दे की पहले ही जांच की जा चुकी है, जो विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबद्ध पाटनरोधी जांच में की गई थी, जैसा कि फा.सं. 6/17/2023-डीजीटीआर दिनांक 24 दिसंबर 2024 और फा.सं. 15/27/2008-डीजीएडी दिनांक 4 अप्रैल 2013 द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में में दर्शाया गया है। दोनों ही मामलों में, प्राधिकारी ने अब उठाए जा रहे आधारों पर उत्पाद को बाहर रखने की अनुमति नहीं दी।

30. प्राधिकारी यह पाते हैं कि यद्यपि हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में उच्च श्यानता नहीं है, घरेलू उद्योग ने उत्तर में उसी प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उत्पाद, जब उपयुक्त योजकों के साथ मिश्रित किया जाता है, तो उच्च श्यानता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने बिट्स पिलानी के डॉ. कृष्णा सी. एटिका के एक ईमेल संचार को रिकॉर्ड में रखा है, जिन्होंने प्रयोक्ता उद्योग द्वारा विश्वास किया गया परीक्षण किया था। उक्त पत्र स्पष्ट करता है कि जबकि एक प्लास्टिसोल में प्रयुक्त पीवीसी पेस्ट रेजिन का प्लास्टिसोल की स्पष्ट श्यानता पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन श्यानता योजकों और फॉर्मूलेशन स्थितियों से भी प्रभावित होती है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग और दो प्रयोक्ता उद्योगों, दोनों के अनुरोध पर बिट्स पिलानी के डॉ. कृष्णा सी. एटिका द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों की विषय-वस्तु को भी नोट करते हैं, जो पुष्टि करती है कि घरेलू

उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद उपयुक्त प्लास्टिक और योजकों के साथ उच्च-श्यानता और कम-धुंधला अनुप्रयोगों, दोनों के लिए उपयुक्त है।

31. प्राधिकारी ने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए अनुरोधों और साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की है। प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जांच में मांगे गए बहिष्करण का समर्थन करने या पिछली जांच में प्राप्त निष्कर्षों से हटने का कोई अतिरिक्त औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि स्पष्ट श्यानता की विभिन्न श्रेणियों में पीवीसी पेस्ट रेजिन के अंतिम प्रयोग अनुप्रयोगों में स्पष्ट अतिव्यापन है और वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस अतिव्यापन और प्रतिस्थापनीयता के मद्देनज़र, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचें है कि "उच्च श्यानता" ग्रेड को बाहर करना आवश्यक नहीं है।

ग.3.8 2 मिलीग्राम से कम फॉगिंग वैल्यू वाले कम फॉगिंग ग्रेड को बाहर रखना

32. प्रयोक्ता उद्योग ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादक कुछ कम फॉगिंग ग्रेड का उत्पादन और निर्यात करते हैं जिनके लिए भारत में कोई घरेलू समान वस्तु नहीं है। यह कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी विचारों के कारण, ऑटोमोटिव ओईएम को यह आवश्यक है कि ऑटोमोटिव इंटीरियर में उपयोग के लिए कोटेड कपड़े कम कोहरा निष्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करें, जैसे कि आईएसओ 6452, और कोहरा मूल्यों को 2एमजी से कम होना चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि कम कोहरे के ग्रेड वाणिज्यिक रूप से अलग हैं, जिनमें कम कोहरे के ग्रेड की कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जाने वाले नियमित ग्रेड की कीमतों से लगभग 10% अधिक हैं। साक्ष्य के तौर पर, प्रयोक्ता उद्योग एसजीएस - भारत और एफआईएलके जर्मनी से तीसरे पक्षकार की प्रयोगशाला रिपोर्ट पर निर्भर रहा है।

33. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कम फॉगिंग निचले स्तर की वस्तु (लेपित कपड़े) की विशेषता है, और पीवीसी पेस्ट रेजिन की नहीं। घरेलू उद्योग ने तकनीकी साहित्य को सबूत के रूप में प्रदान किया है और दावा किया है कि पीवीसी लेपित कपड़े में अधिकांश वाष्पशील पदार्थ और फॉगिंग प्लास्टिकाइज़र से आती है, न कि रेजिन से। जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग ने उपयुक्त योजकों को मिलाकर अनुकूलित ग्रेड विकसित किए हैं। घरेलू उद्योग

उसी प्रयोगशालाओं से अपनी रिपोर्ट पर निर्भर रहा है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के इन ग्रेडों में कम फॉगिंग है।

34. हितबद्ध पक्षकारों ने दो अनुरोध किए हैं। क्या उच्च फॉगिंग मूल्यों वाले ग्रेड और कम फॉगिंग मूल्यों वाले ग्रेड तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और यदि ग्रेड प्रतिस्थापनीय नहीं हैं, तो क्या घरेलू उद्योग कम फॉगिंग मूल्यों वाले ग्रेड की आपूर्ति करता है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीवीसी पेस्ट का उपयोग सीधे ऑटोमोटिव इंटीरियर में नहीं किया जाता है। पीवीसी पेस्ट रेजिन को पहले उपयुक्त प्लास्टिसाइज़र, भराव और अन्य योजकों के संयोजन द्वारा पीवीसी प्लास्टिसोल में परिवर्तित किया जाता है। प्लास्टिसोल का उपयोग पीवीसी-लेपित कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग ऑटोमोटिव इंटीरियर में किया जाता है। आईएसओ 6452 की जांच से यह भी पता चलता है कि मानक लेपित कपड़ों के फॉगिंग मूल्य के निर्धारण से संबद्ध हैं, पीवीसी पेस्ट रेजिन से नहीं।

36. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जबकि पीवीसी लेपित कपड़ों के लिए फॉगिंग मानकों और कम-फॉगिंग आवश्यकताओं के संदर्भ दिए गए हैं, रिकॉर्ड पर साक्ष्य पीवीसी लेपित कपड़े के फॉगिंग निष्पादन और कपड़े के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन के बीच संबंध स्थापित नहीं करते हैं। एक लेपित कपड़ा ऑटोमोटिव इंटीरियर में उपयोग के लिए तभी योग्य हो सकता है जब उसका फॉगिंग मान एक निश्चित मानदंड को पूरा करता है, उदाहरण के लिए, <2एमजी। तथापि, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह सिद्ध नहीं करता कि इस तरह के लेपित कपड़े के उत्पादन के लिए निर्दिष्ट फॉगिंग वैल्यू वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन के एक विशेष उपसमुच्चय के उपयोग की आवश्यकता होती है।

37. यह देखा गया है कि रिकॉर्ड में कोई सबूत नहीं है, जो यह दर्शाता है कि पीवीसी पेस्ट रेजिन का फॉगिंग मूल्य उससे उत्पादित पीवीसी लेपित कपड़े के फॉगिंग मूल्य को निर्धारित करता है। प्राधिकारी का मानना है कि यह इंगित करता है कि पीवीसी-लेपित कपड़ों के उत्पादकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिसाइज़र और एडिटिव्स सहित उपयुक्त फॉर्मूलेशन रणनीतियों को अपनाकर वांछित फॉगिंग मूल्य प्राप्त किए जाते हैं।

38. जबकि प्रयोक्ता उद्योग ने दावा किया था कि कम फॉगिंग ग्रेड की कीमत घरेलू उद्योग के ग्रेड से अधिक है, यह देखा गया है कि आयात आंकड़ों में ऐसे कोई उच्च कीमत वाले विशिष्ट ग्रेड नहीं हैं। प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रेडों की कीमत प्रवृत्ति को देखने के लिए लेनदेन वार आयात आंकड़ों की भी जांच की है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान विभिन्न ग्रेडों की कीमत में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। यदि अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार किया जाना है, तो आयात कीमत ने विभिन्न ग्रेडों के बीच भिन्नता दिखाई होगी। इसलिए, प्रयोक्ताओं के तर्क में कोई दम नहीं है। प्राधिकारी का यह लगातार रुख रहा है कि कीमतों में मामूली अंतर वाणिज्यिक गैर-प्रतिस्थापनीयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

39. विचारधीन उत्पाद से संबंधित पिछली जांचों में कम फॉगिंग के मुद्दे की जांच की गई है और ऐसा कोई बहिष्करण स्वीकार नहीं किया गया था।

40. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि उत्पाद क्षेत्र से "कम फॉगिंग" ग्रेड को बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।

ग.3.9 स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक गुणों वाले ग्रेड को बाहर रखना

41. प्रयोक्ता उद्योग ने स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक गुणों वाले ग्रेड को बाहर करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी का मानना है कि बहिष्करण अनुरोध को प्रमाणित नहीं किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित ग्रेडों के स्यूडोप्लास्टिक और थिक्सोट्रोपिक गुणों में अंतर की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्थापनीयता पर इन अंतरों के प्रभाव के संबंध में कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि इन ग्रेडों का बहिष्करण उचित नहीं है।

ग.3.10 कुछ ग्रेड आधार आईएस 17658:2021 का बहिष्करण

42. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि तथ्य यह है कि आईएस 17658:2021 कई ग्रेडों को मान्यता देता है और घरेलू उद्योग कई ग्रेडों में उत्पाद का उत्पादन, विपणन और बिक्री करता है, जिसका तात्पर्य ऐसे ग्रेडों की गैर-प्रतिस्थापनीयता है। हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि प्रत्येक अलग ग्रेड के लिए घरेलू उद्योग के उत्पादन की जांच की जानी चाहिए और वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादित नहीं किए गए ग्रेडों को उत्पाद क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो ("बीआईएस") कुछ तकनीकी विशेषताओं के आधार पर किसी उत्पाद के लिए मानक तैयार करता है। जबकि बीआईएस 8 ग्रेड को मान्यता देता है, ये ग्रेड केवल तकनीकी विशेषताओं में भिन्न होते हैं, जो गैर-प्रतिस्थापनीयता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि यह दावा किया गया है कि लागत, कीमत, संभावित प्रयोग, ग्राहक अवधारणा आदि के संदर्भ में विभिन्न ग्रेडों के बीच अंतर मौजूद हैं, ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है।

44. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने तकनीकी साहित्य के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो संकेत देते हैं कि आईएस 17658:2021 द्वारा पहचाने गए सभी आठ ग्रेडों को प्रतिक्रिया तापमान जैसे प्रक्रिया नियंत्रण मापदंडों में परिवर्तन करके एक ही उत्पादन लाइनों पर बनाया जा सकता है। चूंकि सभी ग्रेड एक ही उत्पादन लाइनों पर उत्पादित किए जा सकते हैं, इसलिए किसी दिए गए ग्रेड के उत्पादन के लिए लगाई गई क्षमता को आवश्यकता और बाजार की मांग के अनुसार किसी अन्य ग्रेड के उत्पादन के लिए पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। प्राधिकारी का मानना है कि उत्पादन-वार परस्पर परिवर्तनीयता ग्रेड की प्रतिस्थापनीयता का सूचक है। चूंकि आईएस 17658:2021 द्वारा पहचाने गए ग्रेड केवल के मान और श्यानता के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह विभिन्न ग्रेड के उपयोग में अतिव्यापन को दर्शाता है।

45. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (2025) में प्राधिकारी ने (i) ग्रेड की तुलनीयता सिद्ध करने के लिए और (ii) इस आधार पर विशिष्ट ग्रेड के बहिष्करण को अस्वीकार करने के लिए बीआईएस द्वारा तैयार किए गए तकनीकी मानकों पर भरोसा किया कि ऐसे ग्रेड बीआईएस मानदंडों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। उक्त मामले में अंतिम जांच परिणामों के संगत भागों की जांच से पता चलता है कि तकनीकी साक्ष्य के रूप में लैब रिपोर्ट का उपयोग करके ग्रेड की तुलना सिद्ध की गई थी। इसके अलावा, विशिष्ट ग्रेडों के बहिष्करण से इनकार कर दिया गया क्योंकि रिकॉर्ड पर साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि घरेलू उद्योग द्वारा तुलनीय ग्रेड उत्पादित किए गए थे।

46. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस उत्पाद से संबद्ध पिछली जांच में इस मुद्दे की जांच की गई थी। पीवीसी पेस्ट रेजिन (2024) में, प्राधिकारी यह नोट किया:

215. यह तथ्य कि उत्पादों को बीआईएस मानकों के तहत आठ ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है, स्वचालित रूप से पीयूसी से उनके बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न ग्रेडों की मौजूदगी से पीवीसी पेस्ट रेजिन की एक ही उत्पाद के रूप में मौलिक प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन पद्धति ग्रेडों में उचित तुलना सुनिश्चित करती है, और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र पीवीसी पेस्ट रेजिन के सभी ग्रेडों को शामिल करने के लिए उचित रूप से परिभाषित किया गया है, जो आवश्यक भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को साझा करते हैं। पीसीएन पद्धति लागत और कीमत में अंतरों के लिए पर्याप्त रूप से लेती है, जिससे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई उचित तुलना की चिंताओं को दूर किया जाता है। इस प्रकार, ग्रेड के बहिष्करण के लिए तर्क देने हेतु बीआईएस वर्गीकरण पर निर्भरता गलत है और वर्तमान जांच के लिए असंगत है।

47. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि यद्यपि आईएस 17658:2021 द्वारा पहचाने गए विभिन्न ग्रेड विभिन्न प्रयोगों के लिए अनुकूलित किए जा सकते हैं, ऐसे ग्रेड के अनुप्रयोगों में स्पष्ट और महत्वपूर्ण अंतर हैं। इसलिए, इसके आधार पर, प्राधिकारी का मानना है कि आईएस 17658:2021 के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न ग्रेड समान वस्तुएं हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में, विभिन्न ग्रेडों के बीच उत्पादन की तरफ प्रतिस्थापनीयता है और आवश्यकता और बाजार की मांग के अनुसार किसी भी ग्रेड के उत्पादन के लिए एक ही उत्पादन लाइनें लगाई जा सकती है। अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि उत्पाद क्षेत्र में शामिल करने के लिए 'वाणिज्यिक मात्रा' में प्रत्येक ग्रेड के उत्पादन की आवश्यकता वर्तमान मामले में लागू नहीं होगी।

ग.3.11 उपयुक्त पीसीएन पद्धति

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह एक निर्धारित स्थिति है कि पीसीएन को केवल लागत और कीमत में अंतर के लिए तैयार किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न पीसीएन में वर्गीकृत करने की परिपाटी विश्व व्यापार संगठन पाटनरोधी करार

("डब्ल्यूटीओ एडीए") के अनुच्छेद 2.4 में निहित है। अनुच्छेद 2.4 में यह प्रावधान है कि अन्य बातों के अलावा, भौतिक विशेषताओं में अंतर के कारण भत्ते दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे अंतर मूल्य तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाएं। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि मूल्य तुलनीयता के प्रदर्शन योग्य साक्ष्य के बिना, केवल भौतिक/तकनीकी विशेषताओं में अंतर के आधार पर पीसीएन का निर्माण डब्ल्यूटीओ एडीए के विपरीत होगा।

49. प्राधिकारी की यह भी सतत परिपाटी रही है कि पीसीएन को केवल वहां निर्दिष्ट किया जाए जहां उत्पाद क्षेत्र में शामिल उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/ग्रेडों/रूपों के बीच लागत और कीमत अंतर के कारण समग्र-स्तर का विश्लेषण अनुचित होगा।

50. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग द्वारा चीन जन.गण.(2025) मामले से एज़ो पिगमेंट पर भरोसा गलत है। यह देखा गया कि विभिन्न ग्रेडों के बीच स्पष्ट लागत अंतर थे, और प्राधिकारी के पास उपलब्ध घरेलू उद्योग के लागत आंकड़ों के आधार पर पीसीएन तैयार किए गए थे।

51. इसके अलावा, प्राधिकारी का मानना है कि यह तर्क कि कई ग्रेडों की मौजूदगी से ऐसे ग्रेडों की लागत में अंतर का अनुमान लगाया जाता है, गलत है। प्राधिकारी नोट करते है कि लागत में अंतर को अनुमानित या अनुमानित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई पक्षकार पीसीएन पद्धति में किसी दिए गए पैरामीटर को शामिल करने का अनुरोध करता है, तो उस पक्षकार पर सकारात्मक साक्ष्य के माध्यम से उस पैरामीटर के लिए जिम्मेदार लागत भिन्नताओं को सिद्ध करने का भार है। प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान मामले में यह भार नहीं लगाय गया है।

52. प्राधिकारी ने तकनीकी रूप से विविध ग्रेडों को कवर करने वाले उत्पाद क्षेत्र के संबंध में पक्षकारों के अनुरोधों पर भी ध्यान दिया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राधिकारी की निरंतर यह परिपाटी रही है कि विभिन्न ग्रेडों के बीच तकनीकी अंतर, ऐसे तकनीकी अंतरों के कारण लागत और मूल्य अंतर के अभाव में, पीसीएन के निर्माण का आधार नहीं बन सकते हैं।

53. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि घरेलू उद्योग कथित तौर पर कुछ ग्रेड का उत्पादन नहीं कर रहा है और इसलिए, जब तक ग्रेड-वार विश्लेषण नहीं किया जाता है, तब

तक पाटन और क्षति का आकलन विकृत हो जाएगा। प्राधिकारी का मानना है कि ऐसा तर्क गलत है। यदि किसी निश्चित आयातित ग्रेड के लिए कोई घरेलू समान वस्तु नहीं है, तो उचित उपाय उत्पाद क्षेत्र से उस ग्रेड को बाहर करना है, इसके लिए एक अलग पीसीएन तैयार करना नहीं है।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार उपचार जांच में पीसीएन पद्धति को अपनाने का प्राथमिक उद्देश्य पीयूसी के भीतर विभिन्न प्रकारों में लागत और कीमत में भिन्नता का सटीक रूप से हिसाब लगाना है। यह दृष्टिकोण संबद्ध सामानों और घरेलू समान उत्पाद के बीच एक निष्पक्ष और एक एक करके तुलना सुनिश्चित करता है, जिससे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण में कीमत अंतर का उचित प्रतिबिंब बनता है। बीआईएस मानक उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं जो व्यापार उपचारात्मक जांच के उद्देश्यों से अलग हैं।

55. प्रयोक्ता उद्योग ने पहली मौखिक सुनवाई के अनुसार दायर अपनी लिखित प्रस्तुतियों के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड पर कुछ तकनीकी साक्ष्य दायर किए थे। घरेलू उद्योग ने अपने प्रत्युत्तर में, पहली मौखिक सुनवाई के अनुसरण में दायर किया, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए दावों का खंडन करने के लिए प्रति तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत किया। प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार, पक्षकारों ने अपने प्रत्युत्तर अनुरोध परिचालित नहीं किए।

56. दूसरी मौखिक सुनवाई के बाद, घरेलू उद्योग ने अपनी लिखित अनुरोधों के भाग के रूप में तकनीकी साक्ष्य को फिर से दायर किया, जिसे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ परिचालित किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किए जा रहे तकनीकी साक्ष्य की प्राप्ति पर, प्रयोक्ता उद्योग ने 22 दिसंबर 2025 के एक पत्र के माध्यम से, प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का एक अतिरिक्त अवसर मांगा और अपने प्रत्युत्तर दायर करने के लिए और समय मांगा। प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और हितबद्ध पक्षकार को अपना प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने के लिए एक सप्ताह का और समय दिया। प्राधिकारी ने जांच के दौरान प्रयोक्ता उद्योग द्वारा किए गए सभी अनुरोधों को ध्यान में रखा है।

57. हितबद्ध पक्षकारों का यह अनुरोध कि कम श्यानता वाले पीवीसी पेस्ट रेजिन को केवल निचले स्तर के मापदंडों या प्लास्टिसाइज़र सामग्री को संशोधित करके उच्च श्यानता वाले रेजिन की तरह व्यवहार नहीं कराया जा सकता है, यह देखा गया है कि प्रयोक्ता उद्योग ने बिना सबूत दिए विवरण दिया है। प्रोफेसर से पत्र को छोड़कर, जिन्होंने प्रयोक्ता उद्योग के

साथ-साथ घरेलू उद्योग, दोनों के लिए परीक्षण आयोजित किए, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि उपयुक्त योज्य के उपयोग के माध्यम से गुणों को संशोधित किया जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोप के भाग लेने वाले निर्माता ने यह भी कहा है कि जबकि श्यानता केवल पीवीसी पेस्ट रेजिन की तरलता को संदर्भित करती है, श्यानता अकेले अंतिम उत्पाद में इसके अनुप्रयोग के विभिन्न चरणों में पीवीसी पेस्ट रेजिन के व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकार का यह अनुरोध कि केवल उत्पाद की श्यानता ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सूचनाओं द्वारा समर्थित नहीं है।

58. इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद अनुकूलित ग्रेड विकसित किए हैं और ये किसी भी निर्धारण का आधार नहीं बन सकते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, ताइवान और नॉर्वे से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित पिछली जांच में, घरेलू उद्योग ने दावा किया था कि प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी गई विशेषताओं को उपयुक्त योजकों को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में भी अपनी स्थिति बनाए रखी थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद घरेलू उद्योग द्वारा अनुकूलित ग्रेड का विकास, योजकों के माध्यम से और ये ग्रेड उच्च श्यानता और कम-धुंध व्यवहार के आवश्यक गुणों को प्रदर्शित करते हैं, यह लगातार दावे का समर्थन करते हैं कि उपयुक्त योजकों के उपयोग के माध्यम से ग्रेड का संशोधन तकनीकी रूप से संभव है और प्रयोक्ताओं द्वारा मांग की गई गुणों को वितरित करने में सक्षम है।

59. प्रयोक्ताओं ने बीआईएस पर आधारित पीसीएन पद्धति का सुझाव दिया। प्राधिकारी नोट करते है कि व्यापार उपचार जांच में पीसीएन पद्धति को अपनाने का प्राथमिक उद्देश्य विचाराधीन उत्पाद के भीतर विभिन्न ग्रेडों में लागत और मूल्य में भिन्नता का सटीक रूप से हिसाब लगाना है। यह दृष्टिकोण संबद्ध सामानों और घरेलू समान उत्पाद के बीच एक निष्पक्ष और एक एक करके तुलना सुनिश्चित करता है, जिससे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण में मूल्य अंतर का उचित प्रतिबिंब बनता है। बीआईएस मानक उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं जो व्यापार उपचारात्मक जांच के उद्देश्यों से अलग हैं। यह तथ्य कि उत्पादों को बीआईएस मानकों के तहत आठ ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है, स्वचालित रूप से यह आवश्यक नहीं है कि पीसीएन को आठ ग्रेडों के लिए तैयार किया जाए। पीसीएन पद्धति को परिभाषित किया गया है जहां प्राधिकारी सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर पाते है कि मापदंडों में अंतर लागत और कीमत में अंतर को प्रभावित करते है। वर्तमान जांच में, यूरोपीय संघ या जापान के भाग लेने वाले उत्पादकों ने ऐसी किसी भी पीसीएन पद्धति का दावा नहीं किया

है। इस प्रकार, ग्रेड के बहिष्करण के लिए तर्क देने के लिए बीआईएस वर्गीकरण पर निर्भरता गलत है और वर्तमान जांच के लिए असंगत है।

60. उपरोक्त को देखते हुए, उत्पाद क्षेत्र के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष पर पहुँची है कि उत्पाद का क्षेत्र निम्नानुसार परिभाषित किया जाना चाहिए:

वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन' है जिसे 'पीवीसी पेस्ट रेजिन' या 'इमल्शन पीवीसी रेजिन' के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में निम्नलिखित उत्पाद शामिल नहीं हैं।

i. 60 के से कम के मान वाले संबद्ध सामान
ii. पीवीसी मिश्रण रेजिन
iii. पीवीसी पेस्ट रेजिन के सभी सह-पॉलिमर या सह-पॉलिमर ग्रेड
iv. बैटरी सेपरेटर रेजिन
v. ग्रेड पीवीसी 173जीबी और 174जीवाई
vi. कम कार्बन ग्रेड बायोविन, नियोविन और रिकोविन, स्थिरता के स्वीकार्य प्रमाण के साथ
vii. क्रॉस लिंक्ड रेजिन

61. इसके अलावा, उपयुक्त पीसीएन कार्यप्रणाली के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुोधों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते है कि 13 मई 2025 को पीयूसी सूचना के माध्यम से अधिसूचित पीसीएन पद्धति उपयुक्त है। संदर्भ में आसानी के लिए, इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

क्र.सं.	**मापदंड**	**रेंज**	**कोड**
1	के वैल्यू	60-70	मध्यम
2		70 से ऊपर	उच्च

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

i. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार ("डब्ल्यूटीओ एडीए") के अनुच्छेद 4.1 और नियमावली के नियम 2(ख) के तहत, घरेलू उद्योग में वे उत्पादक शामिल हैं जो समान उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं। इसलिए, यदि घरेलू उत्पादक समान उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो वे उपरोक्त प्रावधानों के आशय के भीतर घरेलू उद्योग नहीं हो सकते।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

63. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए है:

क. भारत में पीवीसी पेस्ट रेजिन के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा चेम्पलास्ट सनमार लिमिटेड का है।

ख. केमप्लास्ट के अलावा, भारत में पीवीसी पेस्ट रेजिन का केवल एक ही उत्पादक है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कुल भारतीय उत्पादन में उनका हिस्सा बहुत कम है।

ग. जांच की अवधि के दौरान चेम्प्लास्ट ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है।

घ. केमप्लास्ट का संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक या भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से कोई संबंध नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

64. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के आधार पर, भारत में समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, जांच की अवधि के दौरान घरेलू समान वस्तु का कुल भारतीय उत्पादन ***एमटी था, जिसमें से केमप्लास्ट ने ***एमटी का उत्पादन किया था, जो भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन का *** % है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के दौरान, इस बात का खंडन करने वाले कोई भी दावे नहीं किए गए हैं।

67. केमप्लास्ट ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि केमप्लास्ट द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं है।

68. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते है कि:

- क आवेदक, केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से 'घरेलू उद्योग' है।
- ख केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड नियमावली के नियम 5(3) में निर्धारित आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

69. गोपनीयता दावों और अन्य विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- क. जांच शुरूआत के लिए आवेदन कई मामलों में व्यापार नोटिस 10 / 2018 का अनुपालन नहीं करता है।
- ख. घरेलू उद्योग ने यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य के देश-वार अनुमान, शुरुआती और समापन सूची, उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में सूची और बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में सूची, अनुसंधान एवं विकास व्यय और जुटाई गई धनराशि (इक्विटी,

ऋण, कार्यशील पूंजी आदि), कुल पीबीआईटी, प्रति इकाई पीबीआईटी और घरेलू बिक्री के लिए ब्याज / वित्त लागत, खरीद मात्रा और विचाराधीन उत्पाद का मूल्य, आवेदन में दावा की गई क्षतिरहित कीमत का विवरण नहीं बताया है।

ग. घरेलू उद्योग के अलावा अन्य उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा और मूल्य, क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंड, दो अलग-अलग शीर्षों के तहत बिक्री आंकड़े, यानी, छोटे पैमाने के उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के अलावा अन्य को बिक्री, प्रदान नहीं की गई है।

घ. घरेलू उद्योग ने उन उपयोगकर्ताओं के नामों का खुलासा नहीं करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिन्हें उसने उच्च चिपचिपापन और कम कोहरा अनुप्रयोगों के लिए कथित तौर पर उपयुक्त पीवीसी पेस्ट रेजिन ग्रेड की आपूर्ति की है।

ड. प्राधिकारी ने हैलीब्यूटिल रबर (एचआईआईआर), मीका पर्ल पिगमेंट और टाइटेनियम डायऑक्साइड (टीआईओ$_2$) के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में ग्राहकों के नामों का खुलासा किया था।

च. शुल्क संदर्भ कीमत के आधार पर लगाया जा सकता है।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

70. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता दावों और संबंधित मुद्दों के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया है:

क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन और अन्य अनुरोध व्यापार सूचना 10/2018 के अनुपालन में हैं। इसके बावजूद, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आलोक में, 31 अगस्त 2025 के पत्र के माध्यम से अतिरिक्त प्रकटन किए गए थे।

ख. घरेलू उद्योग ने अनुरोधित शुल्कों के प्रभाव को परिमाणित किया है और आर्थिक हित प्रश्नावली के अपने उत्तर के अगोपनीय संस्करण में इसका विधिवत खुलासा किया है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

71. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार प्रावधान है:

नियम 7: ''गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी

गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद, घरेलू उद्योग ने दिनांक 31 अगस्त 2025 के पत्र के माध्यम से प्रकटीकरण के लिए किए गए अनुरोधों का अनुपालन किया है। प्राधिकारी आगे मानते हैं कि अत्यधिक गोपनीयता का आरोप लगाने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से कोई अतिरिक्त अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।

73. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षों ने उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, उत्पादन से संबंधित जानकारी की सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, पहुंच मूल्य, क्षति मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ से संबंधित जानकारी, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि जैसी जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया है। यह भी देखा गया है कि जहां भी जानकारी क्षति की अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। जहां कहीं भी जानकारी एकल वर्ष से संबंधित है, उसी को सीमा में प्रकट किया गया है, यदि ऐसा प्रकटीकरण जानकारी की गोपनीयता से समझौता नहीं करता है। हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न सहायक दस्तावेजों और सूचनाओं में गोपनीयता का दावा किया है, जहां भी ऐसी जानकारी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की गई है। उन मामलों में जहां किसी हितधारक ने सार्वजनिक रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों का खुलासा नहीं किया है, उसे गोपनीय होने का

दावा किया गया है। जहां भी हितबद्ध पक्षकारों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, यह नोट किया गया है कि इन हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि ये दस्तावेज सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं हैं और कारण बताए हैं कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। दावा किया गया सामान्य मूल्य आवेदक द्वारा सीमा के रूप में प्रकट किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी का मानना है कि सामान्य मूल्य की गणना के प्रकटीकरण में अत्यधिक गोपनीयता का अभाव नहीं है।

74. इस अनुरोध पर कि क्षमता उपयोग के लिए औसत उद्योग मानदंड, दो अलग-अलग शीर्षों के तहत बिक्री आंकड़े - लघु उद्योगों को बिक्री और लघु उद्योगों के अलावा अन्य, आवेदन प्रोफार्मा का हिस्सा नहीं हैं।

75. शुल्क के फॉर्म पर अनुरोध पर, अंतिम जांच परिणाम जारी करने के समय प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाएगी, यदि प्राधिकारी उपायों को लागू करने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं।

76. प्राधिकारी ने लगातार हितबद्ध पक्षकारों को सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई ऐसी जानकारी और दस्तावेजों पर गोपनीयता का दावा करने की अनुमति दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है, जहां भी वारंट किया गया है, और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है।

77. घरेलू उद्योग ने अपने इस तर्क के समर्थन में कुछ उपयोगकर्ताओं से प्राप्त लिखित संचार प्रस्तुत किए थे कि उसके द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद में अपेक्षित चिपचिपापन और कोहरा विशेषताओं हैं। इन संचारों को रिकॉर्ड में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने उपयोगकर्ताओं की पहचान के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकारों ने इन उपयोगकर्ताओं के नामों के प्रकटीकरण की मांग की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता दावे की जांच की है और अपनी प्रस्तुति पर ध्यान दिया है कि उपयोगकर्ताओं की पहचान और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को संबंधित संचार का प्रकटीकरण उसके व्यावसायिक हितों के लिए गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण होगा, जिसमें उसके व्यावसायिक संबंध और बाजार की स्थिति, साथ ही उन उपयोगकर्ताओं के हित शामिल हैं जिन्होंने प्रतिक्रिया

प्रदान की है। इसमें शामिल संभावित वाणिज्यिक संवेदनशीलता को देखते हुए, प्राधिकारी गोपनीयता के दावे को उचित मानते हैं और तदनुसार इसे स्वीकार करते हैं। प्राधिकारी ने आगे कहा कि घरेलू उद्योग ने इन संचारों की सामग्री का एक अगोपनीय सारांश प्रदान किया है। सारांश के अनुसार, पत्र पीवीसी पेस्ट रेजिन के उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया का गठन करते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि उन्होंने केमप्लास्ट ग्रेड 120 (सी) और 121 (सी) का उपयोग किया है और इन उत्पादों को उच्च चिपचिपापन और कम फॉगिंग विशेषताओं की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त और संतोषजनक पाया है। प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आलोक में, प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग के दावों को स्वीकार करते हैं।

78. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि वर्तमान कार्यवाही में दायर किए गए अनुरोधों में अत्यधिक गोपनीयता दावों के कोई बकाया मुद्दे नहीं हैं।

च. <u>विविध मुद्दे</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

79. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की अवधि के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

80. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 - 30 सितंबर 2024 (18 महीने की अवधि) है जो इसके प्रदर्शन की सबसे नयी अवधि है। क्षति की अवधि 2020-21, 2021-22, 2022-23 और जांच की प्रस्तावित अवधि को कवर करती है।

81. नियमावली के नियम 5(3क) (ii) में प्रावधान है कि "जांच की अवधि सामान्य रूप से बारह महीने की अवधि के लिए होगी और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम छह महीने या अधिकतम अठारह महीने पर विचार कर सकते हैं।”

82. उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से यूरोप से पाटन चीन जन.गण., कोरिया आरपी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड सहित अन्य देशों के सेट पर जांच शुरू होने के साथ तेज हो गई है। अप्रैल-सितंबर, 2023 को छोड़कर इसका मतलब यह होगा कि उस अवधि के कुछ हिस्से को बाहर रखा जाएगा जब यूरोप से पाटन हो रहा था।

83. आवेदक ने पहले 23 अप्रैल - 24 मार्च को पीओआई मानते हुए आवेदन दायर किया था। इसके बाद, आवेदक ने अपने आवेदन को अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक के आंकड़े को शामिल करने के लिए अद्यतन किया ताकि संबद्ध देशों से पीयूसी के पाटन की बढ़ी हुई मात्रा के प्रभाव को भी शामिल किया जा सके।

84. उन्होंने आगे कहा कि 18 महीने की अवधि पर विचार करने से पीओआई के भीतर एक पूर्ण लेखा वर्ष शामिल हो जाएगा। इससे पीओआई के लिए लागत की उचित स्थापना में सुविधा होगी, क्योंकि प्राधिकारी के पास लेखा वर्ष के आंकड़े उपलब्ध होंगे।

85. कानून की भावना एक वर्ष से कम अवधि को हतोत्साहित करना है। प्रस्तावित अवधि वांछनीय 12 महीने की अवधि से अधिक है। इसलिए, यह प्राधिकारी को उचित मूल्यांकन के लिए लंबी अवधि की अनुमति देगा।

86. प्राधिकारी वर्तमान में चीन जन.गण., कोरिया आरपी, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयात की जांच कर रहे हैं। उस जांच की जांच की अवधि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि उस जांच की जांच की अवधि के बाद की पूरी अवधि को कवर करती है।

87. अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और फिर अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 (6 महीने) के लिए अलग से संपूर्ण लागत और क्षति के आंकड़े प्रदान किए गए हैं। इसलिए, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और उसके बाद अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 की अवधि की जांच बाजार की स्थितियों और घरेलू उद्योग को क्षति के व्यापक मूल्यांकन की अनुमति देगी, क्योंकि इसमें वह अवधि शामिल होगी जिसके दौरान कोई शुल्क लागू नहीं था, साथ ही एक अवधि जब अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू था। आवेदक ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, 18 महीने की जांच की अवधि सबसे सटीक विश्लेषण के लिए अनुमति देगी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

88. वर्तमान जांच की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2024 (18 महीने) है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, पाटनरोधी नियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी जांच की मानक अवधि के रूप में बारह महीने की अवधि मानते हैं। ये नियम प्राधिकारी को, लिखित

में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा वारंट किए जाने वाले छह महीने से कम नहीं और अठारह महीने से अधिक नहीं की जांच की अवधि अपनाने का अधिकार देते हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि, कई पूर्व जांचों में, प्राधिकारी ने प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर, जांच की अवधि को बारह महीने से कम या अधिक अपनाया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया था कि 18 महीने की अवधि पर विचार करने से जांच की अवधि के भीतर एक पूर्ण लेखा वर्ष शामिल हो जाएगा। इससे जांच की अवधि के लिए लागत की उचित स्थापना में सुविधा होगी, क्योंकि प्राधिकारी के पास लेखा वर्ष के आंकड़े उपलब्ध होंगे।

89. प्राधिकारी ने अन्य संबद्ध देशों से विचाराधीन वर्तमान उत्पाद के आयात के संबंध में एक और जांच की, जिसके अनुसार जून 2024 में पहले प्रारंभिक उपाय लगाए गए थे, जो दिसंबर 2024 में समाप्त हो गए, और उसके बाद निश्चित उपाय लगाए गए। जैसा कि प्राधिकारी ने प्रारंभिक अधिसूचना में उल्लेख किया है, प्राधिकारी वर्तमान मामले में 18 महीने की अवधि को उचित मानते हैं, जो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि की जांच है और उसके बाद अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक बाजार की स्थितियों और घरेलू उद्योग को क्षति के व्यापक मूल्यांकन की अनुमति देंगे, क्योंकि यह उस अवधि को कवर करेगा जिसके दौरान कोई शुल्क लागू नहीं था, साथ ही एक अवधि जब अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू थे।

90. प्राधिकारी का यह भी मानना है कि लेखा वर्ष पर जांच अवधि के हिस्से के रूप में विचार करना वांछनीय है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहां इसके विचार से अन्यथा आंकड़े में कोई बदलाव नहीं आएगा। चयनित अवधि ने आंकड़े तैयार करने और सत्यापन में आसानी को भी सुगम बनाया। यह भी नोट किया गया है कि जांच की अठारह महीने की अवधि पर विचार करने से जांच के परिणाम या किसी भी हितधारक पक्षों के वास्तविक हितों पर कोई पूर्वाग्रह या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। तदनुसार, प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान मामले में जांच की अठारह महीने की अवधि को अपनाना उचित है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

91. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में विरोधी हितधारक पार्टियों ने कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

92. जांच शुरू होने के बाद घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

93. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं:

क. इनोविन यूरोप लिमिटेड ("आईईएल"), इनोविन डचलैंड जीएमबीएच ("आईएनडी"), इनोविन फ्रांस एसएएस ("आईएनएफ"), इनोविन स्वेरिज एबी ("आईएनएस"), इनोविन ट्रेड सर्विसेज एसए ("आईटीएस"), इनोविन इटालिया एस.पी.ए ("आईएनआई")।

ख. कनेका कॉर्पोरेशन।

95. प्राधिकारी द्वारा किए गए ऑनसाइट सत्यापन के अनुसार, संबंधित निर्यातकों को एक सत्यापन रिपोर्ट (केवल संबंधित निर्यातकों के लिए गोपनीय) जारी की गई थी, और इस अंतिम जांच परिणाम के लिए उनसे प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया है।

96. इसके अलावा, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत से संबंधित गोपनीय संख्याएं संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रदान की जा रही हैं, और इस संबंध में उनसे प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

97. यूरोपियन यूनियन और जापान से सब्जेक्ट गुड्स के नेट एक्सपोर्ट प्राइस और लैंडेड वैल्यू तय करने के लिए डेटा के सोर्स के बारे में, अथॉरिटी ने नोट किया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम इनवॉइस डेट को सप्लाई की तारीख मानती है, और पीओआई के दौरान सभी सप्लाई (इनवॉइस डेट को ध्यान में रखते हुए) कोऑपरेटिंग प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के नेट एक्सपोर्ट प्राइस और लैंडेड वैल्यू तय करने के मकसद से ध्यान में रखी जाती हैं। चूंकि डीजी सिस्टम डेटा बिल ऑफ़ एंट्री डेट के ज़रिए इंपोर्ट का हिसाब देते हैं, ये उन तारीखों को दिखाते हैं जिन पर इंपोर्ट हमारे इलाके में आते हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन के मकसद से लिए गए पीओआई में नहीं हो सकते हैं।

98. इसके अलावा, इस मामले में, ट्रेडर्स भी शामिल थे, और ये ट्रेडर्स इंडिया को सामान एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि, नेट एक्सपोर्ट प्राइस और लैंडेड वैल्यू तय करते समय, हमें ट्रेडर्स के उन एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखना होगा जो कोऑपरेटिंग प्रोड्यूसर से सोर्स किए गए हैं। ट्रेडर के डेटा से इसे समझना आसान नहीं हो सकता है जो डीजी सिस्टम से एक्सेस किए जा सकते

हैं। इसलिए, नेट एक्सपोर्ट प्राइस और लैंडेड वैल्यू तय करने के लिए एक्सपोर्टर्स का डेटा ज़रूरी हो जाता है।

99. हालांकि, इन्वेस्टिगेशन टीम की हमेशा यह कोशिश रहती है कि सहयोगी प्रोड्यूसर के डेटा को डीजी सिस्टम के डेटा से क्रॉस चेक किया जाए ताकि सहयोगी प्रोड्यूसर्स की एनईपी और लैंडेड वैल्यू तय करने के लिए सब्जेक्ट देशों से इंपोर्ट की क्वांटिटी और वैल्यू को मोटे तौर पर समझा जा सके। हालांकि, ऊपर बताए गए कारणों से वे पूरी तरह से मैच नहीं कर सकते हैं।

100. सामान्य मूल्य हमेशा बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देश में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक द्वारा अपने घरेलू बाज़ार में की गई बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जाता है। असहयोग की स्थिति में तथा गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रायः एंटी-डंपिंग नियमों के परिशिष्ट-1 के पैरा 7 के संदर्भ में किया जाता है। इसमें घरेलू उद्योग से प्राप्त जानकारी को शामिल किया जाता है, और इसलिए ऐसे मामलों में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों का कोई संदर्भ नहीं लिया जाता है।

<u>यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

(क)इनोविन यूरोप लिमिटेड।

101. इनोविन यूरोप लिमिटेड ने अपने संबंधित घरेलू व्यापारियों - इनोविन डचलैंड जीएमबीएच ("आईएनडी"), इनोविन फ्रांस एसएएस ("आईएनएफ"), इनोविन स्वेरिस एबी ("आईएनएस"), इनोविन ट्रेड सर्विसेज एसए ("आईटीएस"), इनोविन इटालिया एस.पी.ए ("आईएनटी") के साथ भाग लिया है।

102. जांच की अवधि में *** एमटी की घरेलू बिक्री की सूचना उत्पादक ने दी है जिसका मूल्य *** यूरो है। निर्माता ने अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने पीसीएन-वार आधार पर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन को निर्धारित करने

के लिए व्यापार परीक्षण का सामान्य कोर्स आयोजित किया। यदि लाभ कमाने वाले लेनदेन कुल बिक्री के 80% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन पर विचार किया जाता है और ऐसे मामलों में, जहां लाभदायक लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री पर विचार किया जाता है। चूंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक है, इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है।

104. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** एमटी की सूचना दी है। निर्माता ने बताया है कि उसकी सभी निर्यात बिक्री सीधे असंबंधित ग्राहकों को की गई है और इसमें कोई संबंधित व्यापारी शामिल नहीं है। उत्पादक द्वारा बताई गई आयात की मात्रा और मूल्य को डीजी सिस्टम लेनदेन-वार आंकड़े के साथ मिलाया गया है। निर्मात/निर्यातक ने बिल मूल्य में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत, धूमन शुल्क, पैकिंग लागत आदि के समायोजन का दावा किया है।

105. प्राधिकारी ने निर्माता द्वारा प्रदान की गई जानकारी का मौके पर सत्यापन किया और जहां भी लागू हो, आवश्यक सुधार के साथ ऐसी सत्यापित जानकारी को इस अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य के लिए स्वीकार किया गया है।

(ख) वेस्टलेक विनोलिट जीएमबीएच एंड कं. केजी

106. वेस्टलेक विनोलिट जीएमबीएच एंड कंपनी केजी ने जांच में पंजीकरण कराया था लेकिन प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया था। निर्माता ने व्यक्तिगत पाटन और क्षति मार्जिन का दावा करते हुए कोई प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की है। इसलिए, उत्पादक को असहयोगी माना गया है।

(ग) असहयोगी उत्पादक

107. यूरोपीय संघ से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। यूरोपीय संघ से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ख. <u>जापान के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

i. कनेका कॉर्पोरेशन।

108. जापान की कनेका कॉर्पोरेशन ने प्राधिकारी के साथ प्रश्नावली का उत्तर अन्य लिखित अनुरोधों के साथ दायर किया है जिसमें उन्होंने पीओआई के दौरान भारत में पीयूसी पाटन का दावा किया है।

109. इसके बाद कानेका, जापान ने प्राधिकारी को एक कीमत वचनबद्धता का विस्तार किया है। इस उपक्रम के भाग के रूप में, उत्पादक भारत को अपने निर्यात मूल्यों को संशोधित करने और सभी उचित और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है जो निर्दिष्ट प्राधिकारीउपक्रम की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए आवश्यक समझ सकता है।

110. नियमों के नियम 15 (मूल्य उपक्रम के अनुसार जांच का निलंबन या समाप्ति) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी एक पाटनरोधी जांच को निलंबित या समाप्त कर सकता है यदि जांच के तहत वस्तु का निर्यातक विचाराधीन उत्पाद की कीमतों को संशोधित करने के लिए एक लिखित वचन देता है ताकि पाटन के हानिकारक प्रभावों को समाप्त किया जा सके।

111. कनेका, जापान द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत प्रतिबद्धता को प्रतिबद्धता में निर्धारित मानकों के संदर्भ में टिप्पणियों और स्वीकृति के लिए घरेलू उद्योग के साथ साझा किया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा उक्त कीमत वचन की स्वीकृति पर, प्राधिकारी द्वारा इसकी और जांच की गई, और नियम 15 के नियमों के अनुसार कीमत वचन को स्वीकार कर लिया गया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने कनेका, जापान के लिए निश्चित पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। कनेका, जापान द्वारा विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा, जब तक कि वचन प्रभावी रहता है और उसका पालन किया जाता है।

112. उक्त वचनपत्र में, कानेका जापान ने यह वचन दिया है कि वह स्वयं अथवा अपने निर्यातक, अर्थात् मित्सुई, जापान (व्यापारी), के माध्यम से, "विचाराधीन माल का भारत को प्रत्यक्ष रूप से अथवा भारत के लिए मध्यस्थों के माध्यम से, निम्नलिखित से कम मूल्यों पर निर्यात नहीं करेगा:

(क) एफओबी आधार (जापान के किसी भी बंदरगाह पर)

सहमत मानक *(सीएमए ग्लोबल विनाइल की मासिक बाजार रिपोर्ट - मध्य बिंदु)* के

अनुसार एफओबी जापान वीसीएम मूल्य, जिसमें ***अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की एक नियत अधिमूल्य राशि जोड़ी जाएगी।

(ख) सीआईएफ आधार (भारत के किसी भी बंदरगाह पर)

उपर्युक्त एफओबी मूल्य, तथा उसके साथ वास्तविक समुद्री भाड़ा और वास्तविक बीमा।

(ग) आईसीडी आपूर्तियाँ (शर्ताधीन)

जहाँ आपूर्ति भारत स्थित किसी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक की जाती है और भारत के भीतर अंतर्देशीय परिवहन का व्यय निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है, वहाँ अतिरिक्त रूप से 50 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की एक समतल राशि लागू होगी।

यह अतिरिक्त 50 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन निम्न स्थितियों में लागू नहीं होगा, जहाँ–

- आपूर्ति भारतीय समुद्री बंदरगाह तक हो; अथवा
- भारत के भीतर परिवहन व्यय आयातक/क्रेता द्वारा वहन किया जाए।

113. इसी प्रकार की शर्तों पर एक वचनपत्र मित्सुई, जापान (कानेका, जापान का व्यापारी/निर्यातक) द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है।

114. कनेका, जापान द्वारा वचन के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, प्राधिकारी केंद्र सरकार को उचित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऐसी सिफारिशें वर्तमान जांच के दौरान उपलब्ध जानकारी या उचित स्रोतों से प्राधिकारी के ध्यान में लाई गई किसी भी अतिरिक्त जानकारी पर आधारित हो सकती हैं। उल्लंघन की स्थिति में अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क ऐसे उल्लंघन या वचन की वापसी की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

115. इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी, स्वतः या निर्यातक, घरेलू उद्योग, आयातकों या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय-समय पर उपक्रम को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। कीमत वचनबद्धता की शर्तें लागू अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए किसी भी पाटनरोधी शुल्क की अवधि के साथ समकालिक रहेंगी और पाटनरोधी नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समीक्षा के अधीन होंगी।

116. इस घटना में कि केंद्र सरकार कीमत वचनबद्धता को स्वीकार नहीं करती है, निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क लगाने की मात्रा और इसके लेवी की प्रभावी तारीख के बारे में केंद्र सरकार को अलग से सूचित करेगा।

ii. जापान के लिए सामान्य मूल्य

क. सहयोगी उत्पादकों-कनेका कॉर्पोरेशन के लिए सामान्य मूल्य

117. कनेका कॉर्पोरेशन द्वारा विस्तारित कीमत वचनबद्धता की स्वीकृति और नियमों के नियम 15 के संदर्भ में प्राधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति के कारण, उक्त उत्पादक / निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है।

ख. असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

118. जापान से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

iii. जापान के लिए निर्यात कीमत

क. उत्तरदायी उत्पादक - कानेका कॉर्पोरेशन हेतु निर्यात कीमत

119. कनेका कॉर्पोरेशन द्वारा विस्तारित कीमत वचनबद्धता की स्वीकृति और नियमों के नियम 15 के संदर्भ में प्राधिकारी द्वारा उसी की स्वीकृति के कारण, उक्त उत्पादक / निर्यातक के लिए निर्यात कीमत निर्धारित नहीं की गई है।

ख. असहयोगी निर्यातकों / उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

120. जापान से असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे दिए गए पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

छ.4. पाटन मार्जिन

121. नीचे दी गई तालिका उत्पादकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निवल निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		$/मी.ट.	$/मी.ट.	$/मी.ट.	%	रेंज
1	**यूरोपीय यूनियन**					
क	इनोवयन यूरोप लिमिटेड	***	***	***	***	100-110%
ख	अन्य कोई	***	***	***	***	100-110%
2	**जापान**					
क	अन्य कोई	***	***	***	***	60-70%

ज. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच</u>

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

122. क्षति और कारण संबंध के संबंध में अन्य हितधारक पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग मात्रा और मूल्य का पता लगाने के लिए डीजीसीआई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़े पर निर्भर रहा है, लेकिन इस तथ्य को अनदेखा कर दिया है कि यह टैरिफ लाइन एक व्यापक उत्पाद बास्केट को कवर करती है, जिसमें ऐसे उत्पाद भी शामिल हैं जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं।

ii. निवल बिक्री प्राप्ति एक स्वैच्छिक व्यावसायिक निर्णय है जो उत्पादन की लागत सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत अक्षम है जिसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और इस प्रकार बिक्री कीमत अधिक हो जाता है।

iii. घरेलू उद्योग का कीमत ह्रास/न्यूनीकरण का आरोप आयात के कारण नहीं है जो कीमत वृद्धि को रोकता है, बल्कि कच्चे माल की अस्थिरता और आंतरिक लागत संरचनाओं का प्रतिबिंब है।

iv. घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि संबद्ध आयात ने इसे लागतों की वसूली के लिए कीमतें बढ़ाने से रोका या आयात ने घरेलू बिक्री कीमत में गिरावट को मजबूर किया।

v. घरेलू उद्योग ने इस अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि का अनुभव किया जिससे पता चलता है कि वास्तविक क्षति का कोई प्रमाण नहीं है।

vi. घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई क्षमता की प्रवृत्ति वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई क्षमता से मेल नहीं खाती है।

vii. घरेलू उद्योग को जो क्षति हुई है, वह नए संयंत्र के मूल्यह्रास और ब्याज लागत के कारण है।

viii. अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, आवेदक ने 2024-25 में राजस्व में समग्र वृद्धि का श्रेय पीवीसी पेस्ट रेजिन की बिक्री में सुधार को दिया है।

ix. अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, आवेदक ने वित्त लागत के कारण नुकसान को जिम्मेदार ठहराया है।

x. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव का प्राथमिक कारण कच्चे माल की कीमतों की अस्थिर प्रकृति है। वैश्विक कच्चे और फीडस्टॉक की कीमतों में एक छोटा सा बदलाव भी घरेलू उद्योग की लागत संरचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

xi. लगभग दो दशकों तक पाटनरोधी संरक्षण का आनंद लेने के बावजूद, डीआई ने लागत के संदर्भ में या विशिष्ट ग्रेड के विकास में सार्थक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन नहीं किया है।

xii. पीयूसी के यूरोपीय संघ के उत्पादक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ काम करते हैं क्योंकि उनके पास वीसीएम और ईडीसी का एकीकृत डाउनस्ट्रीम उत्पादन है

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

123. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारण संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद के आयात कीमत में संबंधित देशों और पाटनरोधी उपायों को आकर्षित करने वाले देशों से महत्वपूर्ण अंतर है क्योंकि संबंधित देशों की कीमतें पाटनरोधी उपायों को आकर्षित करने वाले देशों से आयात कीमतों से काफी कम हैं।

ii. क्योंकि यूरोपीय संघ और जापान से आयात की कीमत कम है, इसलिए वे अब शुल्क आकर्षित करने वाले देशों के आयात से अधिक हैं। आयात उन देशों से स्थानांतरित हो गए हैं जो इन स्रोतों पर शुल्क आकर्षित करते हैं।

iii. जांच की अवधि में एथिलीन की कीमतों में किसी भी आनुपातिक गिरावट के बिना लैंडेड मूल्य में भारी गिरावट आई है।

iv. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में 310 करोड़ रुपये से अधिक की भारी संचयी राशि खो दी है।

v. घरेलू उद्योग ने लगभग *** करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रति वर्ष 41,000 मीट्रिक टन की नई क्षमता स्थापित करके क्षमता विस्तार किया है। घरेलू उद्योग को

संयंत्र के अगले चरण के *** एमटी को निलंबित करने के लिए मजबूर किया गया है।

vi. उत्पादन बाध्यताओं और उत्पादन प्रक्रिया की निरंतर प्रकृति के कारण वर्तमान मामले में मूल्य क्षति ही वास्तविक क्षति है।

vii. उत्पादन प्रक्रिया और संबंधित इकाइयों के बंद होने और फिर से शुरू होने से जुड़ी लागतें बहुत अधिक हैं और उत्पादन को निलंबित करना अपने आप में उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण लागत है।

viii. पीवीसी पेस्ट के उत्पादन को निलंबित करने का मतलब एथिलीन डाइक्लोराइड और विनाइल क्लोराइड मोनोमर के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालना भी है, जो कि बंद रूप से उत्पादित किए जाते हैं।

ix. क्षति की अवधि में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा बढ़ गई। संबद्ध देशों से आयात भारतीय उत्पादन, मांग और कुल आयात के संबंध में बढ़ गया है।

x. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पाद को नुकसान पर बेचने के बावजूद कीमत में कटौती सकारात्मक है। यदि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें बरकरार रखी होतीं, तो कटौती बहुत अधिक होती।

xi. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात की जमीनी कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट के साथ, आयात घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक और महत्वपूर्ण लागत में कटौती हुई है।

xii. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।

xiii. यदि घरेलू उद्योग ने 2021-22 (पाटन अवधि नहीं) में अर्जित लाभ को बरकरार रखा होता, तो यह जांच की अवधि में लगभग *** करोड़ रु. अर्जित करेगा।

xiv. 2022-23 और जांच की अवधि के लिए संचयी रूप से, घरेलू उद्योग को *** करोड़ रु. की हानि हुई है व्यवसाय में निवेश की गई राशि *** करोड़ रु है।

xv. घरेलू उद्योग को नकदी नुकसान और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय का सामना करना पड़ा है।

xvi. जबकि रोजगार और मजदूरी विचाराधीन उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है, नए संयंत्र के तहत रोजगार का भविष्य उत्पाद के प्रदर्शन पर निर्भर है।

xvii. घरेलू उद्योग ने मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। जांच की अवधि में सभी मूल्य मापदंडों में वृद्धि नकारात्मक रही है।

xviii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की सूची में वृद्धि हुई है, और घरेलू उद्योग को लाभकारी कीमतों पर बेचने में कठिनाई हो रही है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

124. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में *"... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..."* ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है ।

125. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान शामिल है।

126. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता विस्तार के कारण क्षति हुई है क्योंकि ब्याज लागत और मूल्यह्रास लागत में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में नकद क्षति और ब्याज से पहले की क्षति और भी खराब हो गयी है। जबकि क्षमता विस्तार से ब्याज लागत और मूल्यह्रास लागत के रूप में घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि हुई होगी, तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग को नकद क्षति और ब्याज से पहले नुकसान भी हुआ है, यह दर्शाता है कि क्षति को अकेले क्षमता विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई (क)
1	लाभ/ (हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	134	-61	-82
2	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***

	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	132	-53	-69
3	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	-33	-43

127. घरेलू उद्योग द्वारा बताई गई क्षमता प्रवृत्ति वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई क्षमता से मेल नहीं खाती है, इस पर हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने फरवरी 2024 से 41,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष के नए संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। वर्तमान जांच की अवधि अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 तक है और नए संयंत्र की क्षमता को आनुपातिक आधार पर (34 दिनों के लिए) माना गया है। वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक आधार पर क्षमता दर्शाती है।

128. घरेलू उद्योग के वॉल्यूम मापदंडों में कोई गिरावट नहीं दिखाई गई है और वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए बयानों में जहां उत्पादन और बिक्री में वृद्धि पर चर्चा की गई है, इस पर संबंधित पक्षों के निवेदन पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पाद की तरह उत्पाद एक निरंतर प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निलंबन या उत्पादन में कमी अपने आप में एक महत्वपूर्ण लागत है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन को निलंबित या कम करने से दक्षता में कमी आती है और जब उत्पादन फिर से शुरू होता है या फिर से बढ़ाया जाता है तो गुणवत्ता प्रभावित होती है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि घरेलू उत्पादों के उत्पादन को निलंबित करने से कच्चे माल के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि अनिवार्य रूप से उत्पादित होते हैं। इसलिए, उत्पादन या बिक्री की मात्रा को कम करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। इसलिए, उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों में सुधार को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त कारण है।

129. इस अनुरोध पर कि यूरोपीय संघ के उत्पादक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ काम करते हैं क्योंकि वे एकीकृत हैं और वीसीएम और ईडीसी का उत्पादन करते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग भी पिछड़ा एकीकृत है और ईडीसी का उत्पादन करता है। प्राधिकारी ने पहले ही पाया है कि भारत को उत्पादकों का निर्यात मूल्य उनकी लागत से कम है और पाटित की गई कीमतों पर है और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में पिछड़ा एकीकरण के अभाव के कारण क्षति हुई है।

130. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध पर कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण विचाराधीन उत्पाद की लागत अस्थिर है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यह नोट किया जाता है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक वैश्विक कारक है और केवल भारतीय बाजार के लिए विशिष्ट नहीं है और इसलिए इसने संबद्ध देशों के उत्पादकों को भी प्रभावित किया होगा। घरेलू उद्योग से कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार घरेलू उत्पादों की कीमतों को समायोजित करने की उम्मीद है। हालाँकि, घरेलू उद्योग को अपने मूल्यों को समायोजित करने से रोक दिया गया था क्योंकि संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात की उपस्थिति के कारण इसकी कीमतें निराशाजनक और कम हो रही थीं। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत में कमी आई है और फिर भी, घरेलू उद्योग का नुकसान बढ़ गया है। प्राधिकारी ने एथिलीन की कीमत और संबद्ध देशों से आयात की कीमत की भी जांच की है, यह देखा गया है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट की तुलना में पहुंच कीमत में अधिक दर से गिरावट आई है।

131. नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iii) आयातों के का संचयी विश्लेषण से संबंधित है । यह इस प्रकार है:-

(iii) ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात को एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन किया जा रहा है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन तभी करेंगे, जब वह निर्धारित करता है कि, -

(क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन दो प्रतिशत से अधिक है। निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा तीन प्रतिशत है। समान वस्तु के आयात का या जहां व्यक्तिगत देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से सात प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है। समान वस्तु के आयात का; और

(ख) आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के प्रकाश में आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है।

132. आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के आलोक में आयात के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित है या नहीं, यह पता लगाने के लिए, निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है: -

क. विभिन्न पार्टियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उत्पाद वस्तुएं हैं और गुणों में तुलनीय हैं।

ख. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद विनिमेय हैं।

ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा है।

घ. उपभोक्ता घरेलू सामग्री और आयातित सामग्री का परस्पर उपयोग कर रहे हैं और निर्यातक और घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद को ग्राहकों के एक ही सेट को बेचा है।

ङ. संबद्ध देशों से आयात कीमत एक साथ चले गए हैं।

133. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी इस पर विचार करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयात के घरेलू उद्योग पर प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित है।

ज.3.1 मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

134. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग/ स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों, अन्य उत्पादकों की अनुमानित बिक्रियों और सभी स्रोतों से होने वाले आयातों के कुल योग के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	104	110	125
2	अन्य उत्पादक की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	71	71	54
3	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	17,544	13,931	13,205	30,628
4	पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले देशों से आयात	मी. टन	15,058	45,552	71,800	55,981
5	अन्य देशों से आयात	मी. टन	7,960	3,257	2,412	1,832

6	कुल मांग/ खपत	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृति	सूचीबद्ध	100	118	143	150
7	भारतीय क्षमता	मी. टन	78,000	78,000	78,000	1,19,000

135. यह देखने में आया है कि क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है।

136. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने लगभग *** करोड़ रुपये के निवेश से अपनी क्षमता में 41,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की वृद्धि की है और नई क्षमता में उत्पादन फरवरी 2024 से शुरू हुआ। यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता में वृद्धि किए जाने के बाद भी, मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। घरेलू उद्योग ने पर्यावरणीय मंजूरी की प्रति दी है जिससे यह पता चलता है कि उसे 70,000 मीट्रिक टन की मंज़ूरी मिली थी, लेकिन क्षमता विस्तार केवल 41,000 मीट्रिक टन के लिए किया गया था। घरेलू उद्योग ने यह अवगत कराया है कि उसने अपनी क्षमता में आगे और वृद्धि करने के लिए योजना तैयार की थी, लेकिन क्षमता विस्तार योजना को रोक दिया गया है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

137. पाटित किए गए आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह देखना होता है कि क्या पाटित किए गए आयात में, चाहे कुल मिलाकर या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में कोई बड़ी वृद्धि हुई है। क्षति का विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
1	**संबद्ध देश**	**मी टन**	**17,544**	**13,931**	**13,205**	**30,628**
i	यूरोपीय संघ	मी टन	12,630	7,770	9,927	25,611
ii	जापान	मी टन	4,914	6,161	3,278	5,017
2	शुल्क वाले देश	मी टन	15,058	45,552	71,800	55,981
3	अन्य देश	मी टन	7,960	3,257	2,412	1,832
4	कुल	मी टन	40,562	62,741	87,417	88,441
5	**निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात :**					
i	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	65	131
ii	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	53	116
iii	कुल आयात	%	43%	22%	15%	35%

138. यह देखने में आया है कि संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों की मात्रा में वर्ष 2021-22 में कमी आई, वर्ष 2022-23 में कुछ वृद्धि हुई और पुन: जांच की अवधि के दौरान तेज़ी से वृद्धि हुई। क्षति की अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

139. भारत में कुल उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वर्ष 2022-23 तक कमी आई, लेकिन जांच की अवधि में तेज़ी से वृद्धि हुई। उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

140. नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि के बीच आयातों की तुलना दर्शाई गई है। जून 2024 में चीन, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान और नॉर्वे से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था और उस जांच के लिए जांच की अवधि 2022-23 थी। अत:, आयातों की पद्धति में हुए परिवर्तन की जांच करने के लिए जांच की अवधि को समग्र वित्तीय वर्ष 2023-24 और अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक बांटा गया है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2022-23**	**2023-24**	**अप्रैल से सितंबर 2024**	**जांच की अवधि (क)**
1	**संबद्ध देश**	**मी टन**	**13,205**	**24,906**	**21,036**	**30,628**
i	यूरोपीय संघ	मी टन	9,927	20,530	17,887	25,611
ii	जापान	मी टन	3,278	4,377	3,149	5,017
2	शुल्क वाले देश	मी टन	71,800	58,520	25,451	55,981
3	अन्य देश	मी टन	2,412	2,133	615	1,832
4	**कुल**	**मी टन**	**87,417**	**85,559**	**47,102**	**88,441**

* प्रकटीकरण विवरण से आयात आँकड़ों को ठीक कर दिया गया है

141. वर्ष 2022-23 तक संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा कम थी, क्योंकि जिन देशों पर अब पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है, उनका मांग में एक बड़ा हिस्सा था। वर्ष 2023-24 में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई, लेकिन जून 2024 में अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में संबद्ध देशों से आयातों में तेज़ी से वृद्धि हुई। इस दौरान शुल्क लगाए जाने वाले अन्य देशों से आयातों में भारी गिरावट देखने में आई है। अत: यह देखने में आया है कि चीन, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड पर पाटनरोधी शुल्क लगने के बाद, विचाराधीन उत्पाद का पाटन संबद्ध देशों में स्थानांतरित हो गया है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

142. कीमतों पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित किए गए आयातों से कीमतों में काफ़ी कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों पर अन्यथा दबाव डालने या कीमतों में वृद्धि होने से रोकने के लिए है, जो सामान्य तौर पर होती। संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, तो उसका कीमत कटौती और कीमत दबाव/ ह्रास के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क. कीमत का विकास

143. आवेदक ने एथिलीन की कीमतों और आयातों की पहुंच कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की है। चूंकि संबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि आयातों की कीमत में कच्ची सामग्री की कीमतों के अनुसार बदलाव हुआ है, अत: कच्ची सामग्री की कीमतों की तुलना आयातों की पहुंच कीमत से करना उचित समझा गया है। नीचे दी गई तालिका में कच्ची सामग्री की कीमत और आयातों की पहुंच कीमत के संबंध में सूचना प्रदान की गई है।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	एथिलीन की कीमतें	₹/ मी टन	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	155	161	143

3	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	80,831	1,40,889	1,12,880	92,748
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	174	140	115

144. यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-22 में, एथिलीन की कीमतें और आयातों की पहुंच कीमत दोनों में वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2022-23 में, जब एथिलीन की कीमतों में और वृद्धि हुई, तो पहुंच कीमतों में कमी हो गई। जांच की अवधि में एथिलीन की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन पहुंच कीमत में तेज़ी से गिरावट आई है। जब क्षति की अवधि के दौरान देखा जाता है, तो यह देखने में आया है कि पहुंच कीमत में वृद्धि एथिलीन की कीमतों के अनुसार नहीं है। यह देखने में आया है कि आयातों की कीमतों में वृद्धि कच्ची सामग्री की लागत के अनुसार नहीं हुई है। यह भी देखने में आया है कि संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों में गिरावट के साथ, आयातों की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई है।

ख. कीमत में कटौती

145. मूल्य कम करने के विश्लेषण के लिए, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना विषय देशों से हुए आयात के लैंडेड मूल्य से की गई है, जिसे डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों के आधार पर निकाला गया है। इसके अनुसार, संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों की कीमत में कटौती के प्रभाव की गणना इस प्रकार की गई हैं:

146. नीचे दी गई तालिका में जांच की अवधि के दौरान कीमत में कटौती को दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	यूरोपीय संघ	जापान	औसत
1	आयातों की मात्रा	मी टन	38,416	7,526	45,942
2	घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी टन	***	***	***
3	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	90,338	91,588	90,543
4	कीमत में कटौती	₹/ मी टन	***	***	***
5	कीमत में कटौती	%	***	***	***
6	कीमत में कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%

* जापान से पहुंच कीमत को प्रकटीकरण विवरण से ठीक कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया-जापान CEPA के अनुसार PVC पेस्ट रेज़िन पर कस्टम ड्यूटी ज़ीरो है।

147. यह देखने में आया है कि जांच की अवधि में कीमत कटौती सकारात्मक है। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।

ग. कीमत ह्रास/ दबाव

148. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित किए गए आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही हैं या उन पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में काफी हद तक कमी लाने के लिए है या कीमतों में वृद्धि होने से रोकने के लिए है जो सामान्य तौर पर होती, क्षति की अवधि के दौरान लागत और कीमतों में बदलाव की जांच नीचे दर्शाए अनुसार की गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	₹/ मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	139	129
2	बिक्री कीमत	₹/ मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	93	83

149. यह देखने में आया है कि:

क. वर्ष 2021-22 में घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में, बिक्री की लागत में और भी वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्री कीमत में तेज़ी से गिरावट आई है। उस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति हुई।

ख. जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हो रही है। बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से अधिक है।

ग. क्षति की अवधि में देखने पर, जबकि बिक्री की लागत में वृद्धि 29 सूचक बिंदु तक हुई है, लेकिन बिक्री कीमत में 17 सूचक बिंदु कमी आई है।

घ. यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत का बिक्री की लागत में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रहा था। पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

150. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से जुड़े ऐसे सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकों का निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिनमें कि बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोज़गार, मज़दूरी, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न क्षति के मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। प्राधिकारी ने क्षति के मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है, जिसमें कि संबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोधों में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखा गया है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

151. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
1	क्षमता	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	125
2	उत्पादन	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	115	134
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	115	107
4	घरेलू बिक्रियां	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	110	125

152. यह देखने में आया है कि:

i. घरेलू उद्योग की क्षमता वर्ष 2022-23 तक स्थिर रही। तथापि, घरेलू उद्योग ने फरवरी 2024 में 41,000 मी टन के नए संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

ii. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई।

iii. घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। यह देखने में आया है कि नई क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग अधिकतम क्षमता उपयोग पर काम कर रहा है।

iv. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई।

v. घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि उत्पादन प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शटडाउन और रीस्टार्ट से जुड़ी लागतें और संबंधित इकाइयों की लागत बहुत ही अधिक है और उत्पादन पर रोक उद्योग के लिए अपने आप में एक बड़ी लागत है। अत: पाटित किए गए आयातों का प्रतिकूल प्रभाव मात्रात्मक क्षति मापदंडों में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कीमत क्षति मापदंडों में इसे स्पष्ट रुप से देखा जा सकता है।

ख. बाजार अंश

153. विभिन्न संस्थाओं का बाजार अंश नीचे दिया गया है: -

क्र. सं.	बाजार अंश	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	77	83
2	अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	60	49	36
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	53	116
4	पाटनरोधी शुल्क वाले देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	54%	47%	42%	45%
5	अन्य देश	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीब	11%	7%	5%	4%

		द्ध				

154. यह देखने में आया है कि वर्ष 2022-23 तक घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कमी आई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हो गई है। बाजार अंश में इसलिए वृद्धि हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने नए स्थान पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। कुल मिलाकर, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कमी आई है। अन्य उत्पादक के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है।

155. संबद्ध देशों के बाजार अंश में वर्ष 2022-23 तक कमी आई है और जांच की अवधि में तेज़ी से वृद्धि हुई है। पाटनरोधी शुल्क वाले वाले देशों के बाजार अंश में वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि के दौरान गिरावट आ गई।

ग. <u>वस्तुसूचियां</u>

156. घरेलू उद्योग के पास क्षति की अवधि के दौरान की वस्तुसूचियों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में है:

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि (क)**
1	प्रारंभिक वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	7	18	31
2	अंतिम वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	271	476	2,002
3	औसत वस्तुसूची	मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	23	46	153

157. यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग के पास अंतिम वस्तुसूची में क्षति अवधि के दौरान तेज़ी से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में इसमें और भी तेज़ी से वृद्धि हुई है।

घ. <u>लाभप्रदता, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल</u>

158. लाभप्रदता, लाभ, नकदी लाभ, पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
1	लाभ/ (हानि)	₹/ मी टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	-55	-66
2	लाभ/ (हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	134	-61	-82
3	नकदी लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	-53	-69
4	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	-33	-43
5	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	-30	-29

159. यह देखने में आया है कि:

क. घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 में लाभ में था जिसमें वर्ष 2021-22 में और वृद्धि हो गई। घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 में क्षति हुई, जो जांच की अवधि में और भी खराब हो गई। वर्ष 2022-23 में हुई क्षति अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के कारण थी, जिन पर कि अब शुल्क लगाया गया है।

ख. घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 में *** करोड़ रुपये और जांच की अवधि में *** करोड़ रुपये की क्षति हुई है (वास्तविक आधार पर)। इन दोनों अवधियों में, घरेलू उद्योग को कुल *** करोड़ रुपये की क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के नकदी लाभ में वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022-23 में नकदी हानि में बदल गया और उसके बाद जांच की अवधि में और गिरावट आई।

ग. घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में क्षति की अवधि में निरंतर कमी आई है और जांच की अवधि में यह काफी नकारात्मक है।

ङ. <u>रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता</u>

160. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोज़गार, मज़दूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	जांच की अवधि (क)
1	कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	110	134
2	वेतन और मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	108	177
3	उत्पादकता प्रति दिन	मी टन/ दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	115	156
4	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी टन/ सं.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	105	118

161. यह देखने में आया है कि:

क. क्षति की अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन में गिरावट आई, वर्ष 2022-23 में इसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि में भी इसमें वृद्धि हुई। नए संयंत्र में उत्पादन शुरू होने के साथ ही जांच की अवधि में वेतन और रोज़गार में वृद्धि हुई है।

ख. क्षति की अवधि के दौरान प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई है।

च. <u>विकास</u>

162. नीचे दी गई तालिका में विभिन्न मापदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के विकास को दर्शाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	जांच की अवधि
1	उत्पादन	%	9%	6%	16%
2	बिक्रियां	%	4%	6%	13%
3	लाभ/ (हानि) प्रति इकाई	%	29%	-57%	19%
4	वस्तुसूची	%	-77%	101%	232%
5	बाजार अंश	%	-12%	-12%	8%

6	कर पूर्व लाभ	%	34%	-55%	35%
7	नकद लाभ	%	32%	-60%	31%
8	ब्याज पूर्व लाभ	%	0%	-67%	30%
9	निवेश पर प्रतिफल	%	-16%	-65%	-1%

163. यह देखने में आया है कि घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक मापदंडों में सकारात्मक विकास दर्ज किया है। तथापि, जांच की अवधि में कीमत मापदंड के मामले में विकास काफी नकारात्मक रहा है। घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 और जांच की अवधि में नकारात्मक विकास दर्ज किया।

छ. <u>पाटन मार्जिन की मात्रा</u>

164. पाटन की मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में आयातों को किस हद तक पाटित किया जा रहा है। जांच में यह दर्शाया गया है कि जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. <u>पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता</u>

165. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में *** करोड़ रुपए के निवेश से अपनी क्षमता बढ़ाई है। तथापि, विस्तार का निर्णय क्षति होने से पहले लिया गया था। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि *** मीट्रिक टन क्षमता का और विस्तार रोक दिया गया है। यह देखने में आया है कि भारी वित्तीय हानि और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल को देखते हुए, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

झ. <u>कीमत को प्रभावित करने वाले कारक</u>

166. डीजी सिस्टम के आयात संबंधी डेटा की जांच से यह पता चला कि संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। देश में मांग को देखते हुए अन्य उत्पादकों की क्षमता काफी कम है। अत:, अन्य उत्पादक ऐसा कारक नहीं हो सकता जिससे कि घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा हो। पहुंच कीमत वाले आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू

उद्योग को वित्तीय हानि हुई है। जबकि यह देखने में आया है कि अन्य देशों से काफी आयात हो रहा है और इन आयातों के चलते पाटनरोधी उपाय लगाए जा रहे हैं। यह देखने में आया है कि उन आयातों के संबंध में पाटनरोधी सहित पहुंच कीमत संबद्ध देशों से पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। अतः, संबद्ध देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

167. प्राधिकारी को पाटित किए गए आयातों के अलावा ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जांच करनी होती है, जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित किए गए आयातों से न जोड़ा जाए। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें अन्य के साथ-साथ शामिल हैं, पाटित की गई कीमतों पर नहीं बिक्री नहीं गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में कमी या खपत की पद्धति में बदलाव, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक उपाय और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन और उत्पादकता। नीचे यह जांच की गई है कि क्या नियमों के तहत सूचीबद्ध कारकों का घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

168. यह देखने में आया है कि चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से भी भारतीय बाज़ार में न्यूनतम सीमा से अधिक आयात आ रहे हैं। इन आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगता है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए सूचना प्रदान की है कि इन आयातों की पहुंच कीमतें (कोरिया को छोड़कर) पाटनरोधी शुल्क सहित घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से अधिक हैं। कोरिया से आयात पाटन रहित कीमतों पर पाए गए। तथापि, यह देखने में आया है कि कोरिया से आयात संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में काफी कम हैं। अतः, प्राधिकारी का यह मानना है कि ये आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं बन सकते।

ख. मांग में कमी

169. यह देखने में आया है कि जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग को मांग में कमी के कारण कोई क्षति नहीं हई है।

ग. खपत की पद्धति में बदलाव

170. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं

171. किसी भी संबद्ध पक्षकार ने किसी भी संभावित व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया के संबंध में ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो। अत:, प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

ड़. प्रौद्योगिकी का विकास

172. प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी में क्षति की अवधि के दौरान कोई बदलाव आया है। अत:, प्रौद्योगिकी के विकास से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

च. निर्यात निष्पादन

173. प्राधिकारी ने क्षति के विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों की क्षति के डेटा पर अलग से विचार किया है। यह भी देखने में आया है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का केवल *** मीट्रिक टन आयात किया है। अत:, निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

174. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से जुड़े डेटा पर विचार किया है। अत:, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बिक्री किए जाने वाले अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का संभावित कारण नहीं है।

<u>कारणात्मक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक</u>:

i. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है। क्षति की अवधि के दौरान आयातों में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है और इन आयातों में क्षति की अवधि के दौरान सापेक्ष रूप से भी वृद्धि हुई है।

ii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक कीमत कटौती हुई है।

iii. पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है और उन पर दबाव पड़ा है।

iv. घरेलू उद्योग को वित्तीय क्षति, नकदी क्षति और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है।

ञ. क्षति मार्जिन का परिमाण

175. प्राधिकारी ने नियमावली और संशोधित अनुबंध III में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/ डेटा को अपनाकर संबद्ध वस्तु की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। क्षति के मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यूटिलिटीज के साथ भी ऐसा ही किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत में कोई असाधारण या अनावर्ती खर्च शामिल न हो। नियमावली के अनुबंध III में दर्शाए गए अनुसार क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए संबद्ध वस्तु के लिए औसत उपयोग की गई पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्ति एवं औसत कार्यशील पूंजी) पर 22% के उचित प्रतिफल को ब्याज, कर और लाभ के लिए माना गया है।

176. सहयोग करने वाले निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत दाखिल किए गए उत्तर के आधार पर निर्धारित की गई है। आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए लागू सीमा शुल्क करों को शामिल किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।

177. उपरोक्तानुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति का मार्जिन निर्धारित किया है और इसे नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

क्र. सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		$/ मी टन	$/ मी टन	$/ मी टन	%	रेंज

1	**यूरोपीय संघ**					
क	इनोवियन यूरोप लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	50-60%
2	**जापान**					
क	कोई अन्य	***	***	***	***	40-50%

ट. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

178. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. भारत में कई स्रोतों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए गए हैं और यूरोपीय संघ एवं जापान ही एकमात्र ऐसे स्रोत हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है।

ii. यूरोपीय संघ और जापान पर शुल्क लगाए जाने से आपूर्ति के सभी वैकल्पिक स्रोत समाप्त हो जाएंगे, जिससे प्रयोक्ता उद्योग पूरी तरह से घरेलू उद्योग पर निर्भर हो जाएगा।

iii. घरेलू मांग लगभग 180 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जबकि कुल घरेलू उत्पादन क्षमता केवल 105-110 मीट्रिक टन के लगभग है।

iv. विचाराधीन उत्पाद पीवीसी लेदर क्लॉथ उत्पादन की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाटनरोधी शुल्क के कारण इसकी कीमत में कोई भी वृद्धि वैल्यू चेन में आएगी, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू स्तर पर निर्मित लेदर वियर की उत्पादन लागत में काफी वृद्धि होगी।

v. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों, विशेष रूप से फुटवियर के आयातों के प्रतिस्थापन में तेजी आएगी, जो कि एक बड़ी मात्रा वाला कीमत के प्रति संवेदनशील क्षेत्र है।

vi. *पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन* के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में, जिसमें कि अन्य आवेदकों के साथ केमप्लास्ट एक आवेदक था, राजस्व विभाग ने कोई उपाय लागू नहीं किया। आशा की जाती है कि यह निर्णय एमएसएमई के लिए

आपूर्ति चेन तक पहुंच में प्रतिबंधों को हटाने की भारत सरकार की समग्र नीति के अनुरूप है।

xiii. भारत सरकार ने हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए पीवीसी पेस्ट रेज़िन पर मौजूदा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को वापस लेने का फैसला किया है।

xiv. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज (सीआईएफआई) ने दिनांक 24.06.2024 के पत्र के तहत डीजीएफटी को स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि फुटवियर निर्माण पर पीवीसी पेस्ट रेज़िन की लागत का प्रभाव 3% से 9% के बीच है।

xv. मयूर यूनिकोटर्स और जैश इंडस्ट्रीज अनेक उत्पाद लाइनों में प्रचालन करते हैं। उनकी समग्र लाभप्रदता को एक साथ जोड़ने से स्पेशलिटी पीवीसी पेस्ट रेज़िन के आयातों पर निर्भर प्रभागों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव छिप जाता है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

179. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अपना पहला संयंत्र 1967 में लगाया था और देश में बढ़ती मांग को देखते हुए लगातार अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग की क्षमता 34,000 मीट्रिक टन थी जो जांच की अवधि में बढ़कर 107,000 मीट्रिक टन हो गई।

ii. घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रुपए की लागत से 41,000 मीट्रिक टन की क्षमता वृद्धि की है और आगे भी *** मीट्रिक टन तक क्षमता वृद्धि कर सकता है। इससे मांग और आपूर्ति के अंतर को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

iii. पीवीसी रेज़िन में डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा उत्पादित अंतिम कृत्रिम वस्त्र की लागत का केवल लगभग 22% हिस्सा होता है।

iv. जब बिना पाटनरोधी शुल्क की अवधि की तुलना उस अवधि से की जाती है जब अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, तो लाभप्रदता पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। उपयोगकर्ता समान लाभ के साथ काम करना जारी रखे हुए हैं।

v. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण कीमतों में मामूली वृद्धि से डाउनस्ट्रीम उद्योग के उद्यमों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

vi. विगत में उत्पाद पर शुल्क लगाया गया था। उस समय इस प्रकार से लगाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। इसके अलावा, शुल्क समाप्त होने पर भी कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जब शुल्क लागू था तब भी उत्पाद की मांग लगातार बढ़ी है।

vii. डाउनस्ट्रीम उद्योग एक पास-थ्रू उद्योग है।

viii. शुल्क लगाए जाने से एक समान अवसर मिलेगा और घरेलू उद्योग को बाजार में निष्पक्ष शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने और अपनी तेजी से बिगड़ती वित्तीय स्थिति का संरक्षण करने की अनुमति मिलेगी।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

180. प्राधिकारी ने यह विचार किया कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के खिलाफ होगा। यह निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना और घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करके लिया गया है।

181. प्राधिकारी ने सभी संबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य शामिल हैं, से विचार जानने के लिए एक शुरुआती अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने सभी संबद्ध पक्षकारों, जिनमें आयातक, उपभोक्ता और अन्य संबद्ध पक्षकार शामिल हैं, से विचार जानने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपयोगकर्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके संचालन पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने विभिन्न देशों के अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों को परस्पर बदलने, घरेलू उद्योग की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव और ऐसे कारक जो पाटनरोधी शुल्क लगाने से उत्पन्न नई स्थिति में समायोजन को तेज या धीमा कर सकते हैं, के संबंध में सूचना की मांग की ।

182. उपयोगकर्ता उद्योग ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी उपायों का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, उपयोगकर्ता उद्योग ने अपने संचालन पर पाटनरोधी शुल्क के किसी भी प्रभाव के बारे में कोई सूचना प्रदान नहीं की है और यह भी साबित नहीं किया है कि वे इस प्रभाव को डाउनस्ट्रीम उद्योग पर नहीं डाल पाएंगे। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद उपयोगकर्ता उद्योग की लाभप्रदता के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह देखा गया है कि उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता स्थिर रही है।

183. वर्तमान जांच में डाउनस्ट्रीम उद्योग एक बिखरा हुआ उद्योग है जिसमें संगठित और एमएसएमई दोनों तरह के उत्पादक शामिल हैं। यह देखने में आया है कि कुछ भाग लेने वाले उपयोगकर्ता सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियां हैं और कुछ ने एमएसएमई के तहत पंजीकृत होने का दावा किया है। प्राधिकारी ने यह नोट किया कि भाग लेने वाले एसोसिएशन ने एमएसएमई क्षेत्र के सदस्यों की संख्या के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

184. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने पर आयात की पहुंच कीमत में वृद्धि की जांच करने के लिए क्षति की अवधि के दौरान आयात की कीमत की प्रवृत्ति की भी जांच की है। वर्ष 2020-21 में पाटनरोधी शुल्क लागू था। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद, पहले पहुंच कीमत में वृद्धि हुई (एथिलीन की कीमत में वृद्धि के कारण) और उसके बाद कम हो गई। वर्ष 2021-22 की तुलना में, आयात की पहुंच कीमत में लगभग 54,730 रुपये प्रति मीट्रिक टन की कमी आई है। यह देखने में आया है कि जांच की अवधि में आयात की पहुंच कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़ने पर भी, पहुंच कीमत पिछली कीमतों से काफी कम होगी। अत:, प्राधिकारी का यह मानना है कि जब पिछली ऊंची कीमतों से उपभोक्ता उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो यह साबित करे कि पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ता उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

क्र. सं.	**अवधि**	**यूओएम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**जांच की अवधि**
1	पहुंच कीमत	₹/ मी टन	84,180	1,45,273	1,26,115	90,543

185. नीचे दी गई तालिका में विचाराधीन उत्पाद की ऐतिहासिक मांग दर्शाई गई है। यह देखने में आया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2019-20 में मामूली गिरावट आई और वर्ष 2020-21 में उल्लेखनीय गिरावट के साथ लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 का समय कोविड का समय था, जब अर्थव्यवस्था कोविड के प्रकोप से प्रभावित हुई थी। इसके बाद मांग में वृद्धि हुई। यह देखने में आया है कि वर्ष 2021-22 में कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी होने के बावजूद मांग में वृद्धि हुई। यह देखने में आया है कि पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद, उत्पाद की मांग निरंतर बढ़ती रही। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर भी मांग में वृद्धि यह दर्शाती है कि शुल्कों से डाउनस्ट्रीम उद्योग के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

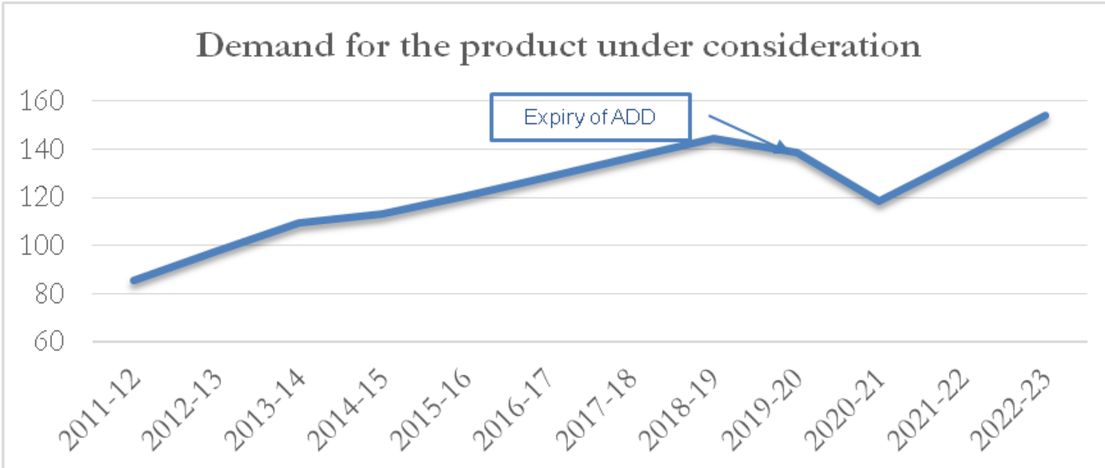

186. घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में बताया है। घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रभाव बताए हैं।

क्र. सं.	**अंतिम डाउनस्ट्रीम वस्तु**	**कार**	**फुटवियर**	**सोफा सेट**
1	अंतिम उत्पाद की लागत*	11,00,000	1,000	75,000
2	लेदर कपड़े की कीमत (किस्म/ग्रेड के आधार पर) *	250	70	125
3	लेदर कपड़े की मात्रा वर्ग मीटर	30	0.5	20
4	लेदर कपड़े की लागत*	7,500	35	2,500
5	कुल लागत में लेदर कपड़े का हिस्सा	0.68%	3.50%	3.33%
6	कुल लागत में पीवीसी पेस्ट का हिस्सा (लेदर कपड़े में पीवीसी पेस्ट रेज़िन का अनुमानित उपयोग 22% है)	0.15%	0.77%	0.73%

स्रोत - घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोध

* *यूनिट कीमत भारतीय रुपए में*

187. यह देखने में आया है कि विगत जांच में, संबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया था कि एक फुटवियर केवल 51 रुपये में उपलब्ध है और घरेलू उद्योग ने प्रभाव को कम करने के लिए अधिक कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में यह नोट किया कि ऐसी कीमतों पर चप्पलें पीवीसी पेस्ट से नहीं बल्कि रबड़ से बनी होती हैं। यह देखने में आया है कि दावों

के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद बड़े पैमाने पर उपयोग होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि एक विशेष उपयोग वाला उत्पाद है।

188. शुल्क के प्रभाव पर अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते है कि संबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर भी, फुटवियर के कुल उत्पादन की लागत में पीवीसी पेस्ट रेज़िन का हिस्सा केवल 3 से 9% है। यदि पीवीसी पेस्ट रेज़िन की कीमत 10% बढ़ जाती है, तो लागत में वृद्धि अधिक नहीं पाई गई है। इसके अलावा, जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग लागत में वृद्धि के अनुसार अपनी कीमतों को समायोजित करने में असमर्थ रहा है।

189. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारत में उत्पाद की कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसे पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों से पाटनरोधी प्रथाओं से मिले अनुचित लाभ में कमी की जाएगी, जिससे घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू बाज़ार में निवेश निष्पक्ष बाज़ार सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। जब महत्वपूर्ण पाटन होता है तो घरेलू उद्योग विस्तार नहीं कर सकता है और उस समय उपयोगकर्ता उद्योग ने पाटित किए गए आयातों तक पहुंच की संभावना में प्रचालन स्थापित नहीं किया था।

190. देश में मांग एवं आपूर्ति अंतराल के संबंध में की गई प्रस्तुति के संदर्भ में, प्राधिकरण यह अवलोकन करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान 41,000 मीट्रिक टन क्षमता-वृद्धि हेतु ₹*** करोड़ का निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी उत्पादन क्षमता में निरंतर विस्तार किया है। यद्यपि अभी भी मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतराल विद्यमान है, तथापि प्राधिकरण यह नोट करता है कि संबंधित उत्पाद के डम्पिंग के कारण घरेलू उद्योग ने अपनी आगे की विस्तार योजनाओं को स्थगित कर दिया है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को ₹*** करोड़ की हानि हुई है, जो 41,000 मीट्रिक टन क्षमता-वृद्धि में किए गए निवेश के लगभग समतुल्य है। प्राधिकरण का मानना है कि कि मांग एवं आपूर्ति अंतराल डम्पिंग को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता, तथा आयात घरेलू बाजार में यथोचित (न्यायसंगत) मूल्यों पर प्रवेश करना जारी रख सकते हैं। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में विस्तार किया है, अन्य उत्पादक अत्यंत निम्न स्तर की क्षमता पर कार्य करना जारी रखे हुए हैं। न तो अन्य

उत्पादक ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है और न ही बढ़ती मांग के बावजूद किसी नए उत्पादक ने इस उत्पाद में निवेश किया है। तथापि, जब घरेलू उद्योग इस प्रकार की महत्वपूर्ण हानियों का सामना कर रहा हो, तब आगे की क्षमता-वृद्धि संभव नहीं हो पाती।

191. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि पाटनरोधी लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उत्पादों के आयात होंगे, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पहले भी पाटनरोधी शुल्क लगाए गए हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना के आधार पर, यह देखने में आया है कि पाटनरोधी शुल्क होने के बावजूद, उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। यह भी देखने में आया है कि क्षति की अवधि में आयातों की कीमत में तीव्रता से गिरावट आई है। पहले आयातों की कीमत अधिक होने के कारण, यदि मौजूदा कीमतों में पाटनरोधी शुल्क भी जोड़ दिया जाए, तो भी वे आधार वर्ष की कीमतों से कम होंगी। यदि उपयोगकर्ता की बात मान ली जाती, तो विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि दिखाई नहीं देती। इसके विपरीत, यह देखने में आया है कि जब उत्पाद की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, तो मांग में वृद्धि हुई। इस जांच में प्रयोक्ता उद्योग ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वे लागत में वृद्धि को आगे स्थानांतरित नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग का संचालन पूरी तरह से उत्पाद की कीमत पर निर्भर नहीं है।

192. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश हटाने के लिए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को रद्द किए जाने का कार्यान्वयन पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहे घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करने से इंकार करने का आधार नहीं बन सकता है। व्यापार उपचारात्मक उपाय अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार करने के लिए लगाए जाते हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने एक उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट और पीवीसी के दूसरे रूप पर पाटनरोधी शुल्क न लगाए जाने का भरोसा किया है ताकि यह बताया जा सके कि ये एमएसएमई को मदद करने के लिए किए गए थे। यह देखने में आया है कि यह रिपोर्ट व्यापार उपचारात्मक उपायों को लगाए जाने से संबंधित नहीं है या उपायों को न लगाए जाने की सिफारिश नहीं करती है। वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क न लगाए जाने के संबंध में भी, अस्वीकृति के कारणों को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों ने कर न लगाए जाने के संबंध में सुझाव दिए हैं, लेकिन उनके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

ठ. <u>प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियाँ</u>

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियाँ

193. अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं:

i. नियम 16 के अधिदेश के प्रतिकूल, प्राधिकरण ने प्रकटीकरण वक्तव्य में अनेक स्थानों पर निर्णायक एवं निष्कर्षात्मक भाषा का प्रयोग किया है। ऐसी भाषा स्पष्टतः यह दर्शाती है कि विषयों का अंतिम निपटारा कर दिया गया है, जबकि नियम 16 के अंतर्गत केवल विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का अस्थायी/प्रावधिक प्रकटीकरण अपेक्षित है।

ii. प्रकटीकरण वक्तव्य में, अनाहत (अ-क्षतिकारक) मूल्य के निर्धारण हेतु नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई/ROCE) के रूप में 22% की एकरूप (समग्र) दर अपनाई गई है। तथापि, प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग की ऐतिहासिक प्रतिफल-दर का प्रकटीकरण नहीं किया है तथा उससे विचलन के लिए कोई औचित्य भी नहीं बताया है।

iii. 15 दिसम्बर 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई, सार्थक एवं प्रभावी सुनवाई के वैधानिक मानकों पर खरी नहीं उतरती और इसलिए विधि में अस्तित्वहीन (नॉन-एस्ट) है। घरेलू उद्योग ने 19 दिसम्बर 2025 को दायर अपनी मौखिक सुनवाई-पश्चात लिखित प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण के रूप में कई प्रमुख तकनीकी साक्ष्य प्रसारित किए। प्रकटीकरण वक्तव्य ने ऐसे तकनीकी साक्ष्य पर निर्भरता दिखाई जो न तो मौखिक सुनवाई से पूर्व प्रकट/उपलब्ध कराया गया था और न ही उसके पश्चात मौखिक परीक्षण/विचार-विमर्श के अधीन किया गया।

iv. न्यायालयों ने निरन्तर यह माना है कि जहाँ किसी प्राधिकारी द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया जाता है वह सुनवाई के पश्चात ही प्रकट की जाती है और प्रत्युत्तर देने का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाता, वहाँ प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के कारण कार्यवाही दूषित होकर अमान्य हो जाती है।

v. प्राधिकरण ने कुछ ऐसे ग्रेडों को, जो भारतीय मानक आईएस 17658:2021 के अंतर्गत पंजीकरण-योग्य नहीं हैं, उत्पाद-सीमा से बाहर रखने (बहिष्करण) के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त मानक के अनुपालन को अनिवार्य बनाने वाला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ/QCO) वापस ले लिया गया है। यह निर्णय उन स्पष्ट प्रस्तुतियों की उपेक्षा करता है कि पीवीसी पेस्ट रेज़िन के कई आयातित ग्रेड, विशेषकर उच्च श्यानता एवं न्यून फॉगिंग ग्रेड, आईएस 17658:2021 के अंतर्गत पंजीकरण-योग्य नहीं हैं क्योंकि वे श्यानता-परास एवं मानक द्वारा मान्य तकनीकी मानदंडों के बाहर आते हैं।

vi. ये ग्रेड विशिष्ट/विशेषीकृत डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों के लिए अभिकल्पित (इंजीनियर्ड) हैं तथा ऐसे ग्रेडों को घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्थापित करने पर अंतिम उपयोग-प्रदर्शन से समझौता किए बिना संभव नहीं है।

vii. प्राधिकरण ने न्यून फॉगिंग तथा उच्च श्यानता रेज़िनों की समानता एवं प्रतिस्थापनीयता के प्रश्न का परीक्षण डाउनस्ट्रीम सूत्रीकरण (फॉर्म्युलेशन) की संभावनाओं के आधार पर किया है। यह दृष्टिकोण अनुचित है, क्योंकि बहिष्करण का अनुरोध रेज़िन की अंतर्निहित विशेषताओं के आधार पर किया गया था, न कि निर्माण-पश्चात मिश्रण/ब्लैंडिंग या प्लास्टिसोल समायोजन के आधार पर।

viii. उपयोगकर्ता उद्योग ने रिकॉर्ड पर रेज़िन-स्तर के विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिनसे सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए रेज़िन उच्च श्यानता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। उपयोगकर्ता उद्योग ने तकनीकी साहित्य के माध्यम से यह भी रेखांकित किया कि पीवीसी पेस्ट रेज़िन की श्यानता-विशेषताएँ रेज़िन के लिए अंतर्निहित हैं और उन्हें केवल प्लास्टिसाइज़र व योजक मिलाकर मूलतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

ix. उपयोगकर्ता उद्योग ने ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए कि उच्च श्यानता विशेषीकृत रेज़िन छद्म-प्लास्टिक (प्स्यूडोप्लास्टिक) तथा शीयर-प्रतिक्रियाशील व्यवहार प्रदान करते हैं, जिसे केवल प्लास्टिसाइज़र मात्रा बढ़ाकर या श्यानता-संशोधक जोड़कर, बिना पैठ-नियंत्रण, सैग-प्रतिरोध, कोटिंग-एकरूपता तथा यांत्रिक प्रदर्शन से समझौता किए, पुनरुत्पादित नहीं किया जा सकता। इन प्रस्तुतियों का प्राधिकरण द्वारा परीक्षण नहीं किया गया। प्राधिकरण ने यह भी नहीं परखा कि क्या ऐसे गुणात्मक प्रदर्शन-लक्षण वास्तव में निम्न श्यानता रेज़िन को आधार बनाकर प्राप्त किए जा सकते हैं।

x. प्राधिकरण ने बीआईटीएस पिलानी के प्रोफेसर कृष्णा सी. इटिका के ई-मेल संप्रेषण पर भरोसा कर यह निष्कर्ष निकाला कि श्यानता पीवीसी पेस्ट रेज़िनों की अंतर्निहित विशेषता नहीं है। प्राधिकरण ने प्रोफेसर की सीमित एवं सावधानीपूर्वक शर्तबद्ध (कविएटेड) स्पष्टीकरणों का उपयोग ऐसी दलील को आगे बढ़ाने हेतु किया, जिसे विशेषज्ञ ने स्वयं स्पष्टतः अनुमोदित करने से इनकार किया था—कि सूत्रीकरण-लचीलापन रेज़िनों की पारस्परिक विनिमेयता सिद्ध करता है। यह दृष्टि विधिक एवं तकनीकी रूप से अस्थिर है। प्रोफेसर का संप्रेषण समग्र रूप से पढ़ने पर प्रतिवादियों के पक्ष को ही पुष्ट करता है कि समान परिस्थितियों में परीक्षण-परिणाम असमानता दर्शाते हैं, और किसी भी प्रकार की विनिमेयता का दावा करने हेतु अतिरिक्त, अनुप्रयोग-विशिष्ट साक्ष्य आवश्यक होगा, जो घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत नहीं किया है।

xi. उपयोगकर्ता उद्योग ने वेस्टलेक विननॉलिट (Westlake Vinnolit) द्वारा जारी तकनीकी टिप्पणी "पीवीसी पेस्ट रेज़िनों की श्यानता-विशेषताएँ" (जून 2025) भी दायर की। इस टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि पेस्ट-श्यानता मुख्यतः अंतर्निहित विशेषताओं से निर्धारित होती है; यद्यपि प्लास्टिसाइज़र एवं अन्य योजक प्लास्टिसोल की समग्र रियोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं, पर ऐसे समायोजन अन्य महत्वपूर्ण गुणों–जैसे यांत्रिक शक्ति, आसंजन, कोटिंग-प्रदर्शन आदि–पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। टिप्पणी में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि निम्न श्यानता रेज़िन को केवल प्लास्टिसाइज़र मात्रा बदलकर उच्च श्यानता रेज़िन जैसा व्यवहार करने योग्य नहीं बनाया जा सकता।

xii. घरेलू उद्योग पीवीसी पेस्ट रेज़िन के अनेक ग्रेडों का उत्पादन एवं विक्रय करता है, जिनका पृथक नामांकन/निर्देशन, आपूर्ति एवं विनिर्देशन श्यानता और प्रदर्शन मानकों के आधार पर किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकट (अपेरेंट) श्यानता पीवीसी पेस्ट रेज़िनों की अंतर्निहित विशेषता है।

xiii. घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड पर यह स्वीकार किया है कि प्रकट श्यानता रेज़िन की अंतर्निहित विशेषता नहीं है और उच्च श्यानता केवल बाह्य योजक मिलाने से प्राप्त होती है। यह प्राधिकरण के अनुच्छेद 24 में किए गए अवलोकन के प्रत्यक्ष विरोधाभास में है कि पीवीसी पेस्ट रेज़िन की प्रकट श्यानता प्लास्टिसोल की श्यानता का एकमात्र निर्धारक नहीं है।

xiv. प्राधिकरण ने इस तथ्य पर पर्याप्त भरोसा किया है कि जाँच-अवधि (पीओआई) के पश्चात घरेलू उद्योग ने उच्च श्यानता एवं न्यून फॉगिंग आवश्यकताओं को पूरा करने वाले "अनुकूलित (कस्टमाइज़्ड)" ग्रेड विकसित कर आपूर्ति किए हैं। इस पर भरोसा स्वयंसिद्ध रूप से अनुचित है, क्योंकि समान वस्तु (लाइक आर्टिकल) का निर्धारण केवल जाँच-अवधि के लिए किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता उद्योग ने 21 जनवरी 2026 के अपने पत्र के साथ स्वतंत्र परीक्षण रिपोर्टें भी दायर कीं, जिनसे दर्शाया गया कि उक्त अनुकूलित ग्रेड श्यानता एवं फॉगिंग के प्रदर्शन मानकों पर खरे नहीं उतरे।

xv. प्राधिकरण ने यह उल्लेख किया कि उत्पाद-विचाराधीन से संबंधित प्रश्न पूर्ववर्ती पाटन-शुल्क जाँचों में भी परखा गया था और तब प्राधिकरण ने वर्तमान में उठाए जा रहे आधारों पर कोई बहिष्करण नहीं दिया। तथापि, 2024 में जारी अंतिम निष्कर्षों में उच्च श्यानता ग्रेडों का विषय विचारित/उल्लेखित नहीं था।

xvi. प्राधिकरण ने बीआईटीएस पिलानी, एसजीएस इंडिया तथा एफआईएलके (जर्मनी) से प्राप्त परीक्षण-रिपोर्टों पर जो उपयोगकर्ता उद्योग ने दायर की थीं न तो संज्ञान लिया

और न ही कोई निष्कर्ष दर्ज किया, जिससे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री-साक्ष्य के मूल्यांकन का दायित्व पूरा नहीं हुआ। प्राधिकरण ने यह कहकर साक्ष्यों की उपेक्षा की कि अधिकांश फॉगिंग प्लास्टिसाइज़र से उत्पन्न होती है; जबकि उपयोगकर्ता उद्योग ने यह प्रमाण प्रस्तुत किया था कि कड़े मोटर वाहन फॉगिंग मानकों का अनुपालन केवल डाउनस्ट्रीम सूत्रीकरण-समायोजन द्वारा संभव नहीं है और इसके लिए कम वाष्पशील उत्सर्जन हेतु अभिकल्पित रेज़िनों का प्रयोग आवश्यक है।

xvii. प्राधिकरण ने आईएसओ 6452 की लागू-योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया, परन्तु यह जाँचने में विफल रहा कि क्या न्यून-फॉग रेज़िनों के अतिरिक्त अन्य रेज़िनों का उपयोग आईएसओ 6452 के अनुपालन-असमर्थता के जोखिम को वास्तव में बढ़ाता है; इस प्रकार, आपूर्ति-श्रृंखलाओं से जुड़ी वाणिज्यिक एवं नियामकीय वास्तविकताओं की उपेक्षा हुई।

xviii. प्राधिकरण ने यह देखा कि आयात-आँकड़ों में न्यून फॉग ग्रेडों और सामान्य ग्रेडों की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। किंतु कीमतों का अभिसरण तकनीकी गैर-प्रतिस्थापनीयता को समाप्त नहीं कर सकता।

xix. प्राधिकरण ने छद्म-प्लास्टिक एवं थिक्सोट्रॉपिक गुणों वाले ग्रेडों के बहिष्करण का अनुरोध इस अनुमान पर अस्वीकार किया कि ऐसे गुण उत्पादों को तकनीकी रूप से भिन्न नहीं बनाते। यह उपयोगकर्ता उद्योग की विस्तृत तकनीकी प्रस्तुतियों की उपेक्षा है, जिनमें दर्शाया गया था कि ये रियोलॉजिकल लक्षण अंतर्निहित, प्रदर्शन-निर्धारक गुण हैं।

xx. प्राधिकरण ने आईएस 17658:2021 के अंतर्गत मान्य कुछ ग्रेडों के बहिष्करण का अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार किया कि तकनीकी विशेषताओं में अंतर गैर-प्रतिस्थापनीयता स्थापित करने हेतु पर्याप्त नहीं है। विभिन्न न्यायालयों ने माना है कि प्रासंगिक परीक्षण यह नहीं है कि कोई उत्पादक किसी ग्रेड का निर्माण कर सकता है, बल्कि यह है कि क्या वह सामान्य व्यापार-प्रवाह में उस ग्रेड का वाणिज्यिक मात्राओं में निर्माण व विक्रय वास्तव में करता है।

xxi. प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत तकनीकी परिणामों एवं व्याख्याओं में विद्यमान भिन्नताओं को देखते हुए, प्राधिकरण से अनुरोध है कि उत्पाद-सीमा या समानता पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व किसी मान्यता-प्राप्त विशेषज्ञ संस्था से स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन कराया जाए।

xxii. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसने उच्च श्यानता एवं न्यून फॉगिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त ग्रेडों की आपूर्ति की है और प्रमाण के रूप में कुछ उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रत्याभूति-पत्र (फीडबैक पत्र) प्रस्तुत किए हैं। इन पत्रों को

पूर्णतः गोपनीय घोषित करने की अनुमति प्राधिकरण ने दी है। ग्राहक-पहचान, जाँच-अवधि में ग्रेड-वार बिक्री, तथा कथित आपूर्तियों के समय-निर्धारण का सतत अप्रकटीकरण उपयोगकर्ता उद्योग को गंभीर प्रक्रिया-गत क्षति पहुँचाता है और उच्च श्यानता/न्यून-फॉग उपयुक्तता संबंधी घरेलू उद्योग के दावों पर प्राधिकरण की निर्भरता को दूषित करता है।

xxiii. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा फरवरी 2024 में चालू की गई 41,000 मीट्रिक टन क्षमता-वृद्धि पर भरोसा किया है। तथापि, यह जाँच-अवधि के पश्चात की घटना है और इसलिए सीमित प्रासंगिकता की है।

xxiv. मूल्य-अंडरकटिंग तथा मूल्य-दमन/अवनति का प्राधिकरणीय आकलन त्रुटिपूर्ण है। प्राधिकरण ने समेकित एवं अपूर्ण आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया है, तथा उत्पाद-विविधता, ग्रेड-वार भेद, अंतिम-उपयोग-खंडीकरण एवं व्यापार-स्तर समायोजनों का समुचित ध्यान नहीं रखा है।

xxv. एथिलीन की कीमतों और पीवीसी पेस्ट के आयातित (लैंडेड) मूल्य के बीच तुलना मूलतः गलत/भ्रामक है। आयात-कीमतें अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं–जैसे दीर्घकालिक अनुबंध, भंडार-समायोजन, वैश्विक मांग, मालभाड़े का सामान्यीकरण आदि।

ठ.2 घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

194. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं:

i. घरेलू उद्योग का यह सतत रुख है कि उचित सूत्रीकरण रणनीतियों के साथ उसके रेज़िन उच्च श्यानता अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। बिना पूर्वाग्रह के, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि विषय-देशों से आयातित तथाकथित “उच्च श्यानता” ग्रेडों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित “सामान्य ग्रेडों” के बीच कम से कम असममित या एक-तरफ़ा प्रतिस्थापनीयता है। यदि उच्च श्यानता ग्रेडों को उत्पाद-सीमा से बाहर किया जाता है, तो उपयोगकर्ता उच्च श्यानता ग्रेड आयात कर उपयुक्त योजक जोड़कर उनकी श्यानता संशोधित कर सकते हैं तथा उन्हें निम्न श्यानता अनुप्रयोगों में उपयोग कर सकते हैं। यह, मेरिनो पैनल्स बनाम नामित प्राधिकारी (2015) में सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी/CESTAT) के निर्णय के अनुरूप है, जिसमें प्रतिस्थापनीयता का मानक “उपयोगों में ओवरलैप” माना गया।

ii. इनोविन 370एचडी (INOVYN 370HD)–जिसे उच्च श्यानता ग्रेड बताया गया है–का औसत आयात-मूल्य यूरोपीय संघ और जापान से होने वाले औसत आयात-मूल्य के लगभग समान है, जिससे इसका उत्पाद-सीमा में सम्मिलन उचित सिद्ध होता है।

iii. घरेलू उद्योग ने ग्रेड 120(सी) भी विकसित किया है, जो उसके मौजूदा ग्रेडों का एक अनुकूलित उच्च-श्यानता प्रकार है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि यह ग्रेड उच्च श्यानता आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसे अन्य हितबद्ध पक्षों ने विवादित नहीं किया है।

iv. पीवीसी पेस्ट से बने उत्पादों का फॉगिंग मान समग्र सूत्रीकरण रणनीति पर निर्भर करता है, जिसमें उपयुक्त एंटी-फॉगिंग एजेंटों का उपयोग भी शामिल है। पीवीसी पेस्ट रेज़िनों के लिए "न्यून फॉगिंग" की सीमा निर्धारित करने वाला कोई मानक उपलब्ध नहीं है।

v. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाते हैं कि विषय-देशों से आयातित तथाकथित "लो-फॉग" ग्रेडों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के बीच कम से कम असममित या एक-तरफ़ा प्रतिस्थापनीयता है।

vi. तथाकथित लो-फॉग ग्रेडों के आयात-मूल्य घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों की कीमतों के समान हैं; अतः उपभोक्ता घरेलू ग्रेडों के स्थान पर आयातित ग्रेडों को गैर-लो-फॉग अनुप्रयोगों में आसानी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस तथ्य को अन्य हितबद्ध पक्षों ने चुनौती नहीं दी है।

vii. प्राधिकरण ने क्रॉस-लिंक्ड रेज़िनों (जिनमें कानेका द्वारा उत्पादित ग्रेड पीएसएच-10 शामिल है) को बाहर रखने का प्रस्ताव किया है। बिना पूर्वाग्रह के, घरेलू उद्योग का कहना है कि कानेका का ग्रेड पीएसएच-10 क्रॉस-लिंक्ड ग्रेड प्रतीत नहीं होता; अतः इसे बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

viii. प्राधिकरण से अनुरोध है कि क्रॉस-लिंक्ड ग्रेडों संबंधी दावों की जाँच करे। यदि क्रॉस-लिंक्ड ग्रेड बाहर रखे जाते हैं, तो ऐसा बहिष्करण केवल तभी दिया जाए जब खेप के साथ क्रॉस-लिंकिंग का संतोषजनक साक्ष्य संलग्न हो।

ix. सिद्धांततः घरेलू उद्योग इनोविन द्वारा उत्पादित बायोविन तथा अन्य सतत (सस्टेनेबल) ग्रेडों को बाहर रखने पर आपत्ति नहीं करता। तथापि, ऐसा बहिष्करण केवल मूल्य-मानदंड (प्राइस बेंचमार्क) की शर्त के अधीन ही दिया जाना चाहिए।

x. घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि प्राधिकरण भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा दायर आँकड़ों की जाँच करे और जाँच-अवधि में उत्पादन-लागत तथा निर्यात-मूल्य की तुलना करे। घरेलू उद्योग का मत है कि विषय-देशों से निर्यात न केवल सामान्य मूल्य से कम हैं, बल्कि स्वयं उनकी उत्पादन-लागत से भी कम हैं।

xi. जाँच-अवधि में प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव रहा है। वर्तमान जाँच में निश्चित-राशि (फिक्स्ड-फॉर्म) शुल्क अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इससे कच्चे माल की कीमतों की अस्थिरता के बावजूद डम्पिंग-क्षति की भरपाई होगी। मानदंड-आधारित/एड-वैलोरम शुल्क इतनी अधिक कीमत-अस्थिरता में प्रभावी नहीं होगा।

xii. घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में पर्याप्त निवेश किए हैं, जिसमें 2024 में लगभग ₹*** करोड़ की लागत से चालू की गई नई सुविधाएँ भी शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने हेतु क्षमता-विस्तार की आगे की योजनाएँ भी बनाई हैं। तथापि, 2022-23 और जाँच-अवधि को मिलाकर, आवेदक को ₹*** करोड़ का नुकसान हुआ है। इसलिए घरेलू उद्योग का निवेदन है कि उद्योग को डम्पिंग के क्षतिकारक प्रभाव से उबरने के लिए पर्याप्त समय देने हेतु शुल्क पूरे पाँच वर्ष की अवधि के लिए लगाया जाए।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण

195. प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात् प्रस्तुत अभ्यावेदनों का परीक्षण किया है। प्राधिकरण ने नीचे केवल उन नवीन मुद्दों एवं तर्कों का परीक्षण किया है जो हितधारकों द्वारा प्रकटीकरणोत्तर अभ्यावेदनों में उठाए गए हैं तथा जिन्हें प्राधिकरण ने प्रासंगिक माना है। जो अभ्यावेदन पूर्व में प्रस्तुत तर्कों की मात्र पुनरावृत्ति हैं और जिनका प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से परीक्षण किया जा चुका है, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से पुनः यहाँ विवेचित नहीं किया गया है।

196. कुछ हितधारकों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण ने प्रकटीकरण वक्तव्य में अंतिम एवं निर्णायक भाषा का प्रयोग किया है, जो नियम 16 के प्रावधानों के विपरीत है, क्योंकि नियम 16 के अनुसार प्राधिकरण को प्रकटीकरण के चरण में विवादित मुद्दों पर अंतिम निष्कर्ष नहीं देना चाहिए।

197. प्राधिकरण का मानना है कि यह तर्क भ्रामक है। नियम 16 के अंतर्गत प्राधिकरण को उन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है जो विचाराधीन हैं, जिनमें उन तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष भी सम्मिलित हैं, जो समष्टिगत रूप से यह आधार निर्मित करते हैं कि अंतिम निष्कर्ष में निश्चित उपायों की संस्तुति की जाए या नहीं। वर्तमान मामले में जारी प्रकटीकरण वक्तव्य में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण कर प्राधिकरण ने अपने

विचार एवं निष्कर्ष व्यक्त किए हैं तथा उनका तर्कसंगत आधार भी प्रस्तुत किया है। प्रकटीकरण वक्तव्य में स्पष्ट किया गया है कि उल्लिखित तथ्यों (जिसमें गोपनीय आधार पर उपलब्ध तथ्य भी सम्मिलित हैं) के बावजूद, नामित प्राधिकारी सभी अभ्यावेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा और तत्पश्चात अंतिम निर्धारण करेगा। अतः यह स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया गया था कि प्रकटीकरण वक्तव्य केवल विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटीकरण है, न कि अंतिम निर्णय। इस संदर्भ में प्राधिकरण गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय निर्मा लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2017) का उल्लेख करता है, जिसमें न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकटीकरण वक्तव्य में उन आवश्यक तथ्यों पर आधारित मध्यवर्ती निष्कर्ष सम्मिलित होने चाहिए, जो यह निर्धारित करने का आधार बनें कि निश्चित उपाय लागू किए जाएँ या नहीं; परंतु यह अंतिम निष्कर्ष नहीं होता।

> *31.5 इस प्रकार, जबकि अनुच्छेद 6.9 आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण के लिए कोई विशिष्ट विधि निर्धारित नहीं करता है, यह सभी मामलों में यह अपेक्षित करता है कि अन्वेषण प्राधिकारी उन तथ्यों का इस प्रकार प्रकटीकरण करे कि हितधारक पक्ष स्पष्ट रूप से समझ सके कि अन्वेषण प्राधिकारी ने किस डेटा का उपयोग किया है तथा पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उन डेटा का उपयोग किस प्रकार किया गया है।* ***प्रकटीकरण विवरण में आवश्यक तथ्यों पर नामित प्राधिकारी के मध्यवर्ती निष्कर्ष एवं अभिमत सम्मिलित होते हैं,*** *जो इस निर्णय का आधार बनेंगे कि निश्चित उपाय लागू किए जाएं या नहीं, न कि इस विषय पर अंतिम निष्कर्ष कि निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं।* ***इस न्यायालय के मत में, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यथोचित रूप से प्रस्तुत किया है, प्रकटीकरण विवरण में उन आवश्यक तथ्यों पर नामित प्राधिकारी के निष्कर्ष सम्मिलित होने चाहिए जो इस निर्णय का आधार बनेंगे कि निश्चित उपाय लागू किए जाएं या नहीं, न कि उन आवश्यक तथ्यों के आधार पर उसके निष्कर्ष। आवश्यक तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अंतिम निष्कर्षों में अभिलेखित किए जाने हैं, अर्थात् ऐसे तथ्यों के आधार पर निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं।*** *अतः, यह कथन कि प्रकटीकरण विवरण एक प्रारूप आदेश के समान है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि प्रारूप आदेश में यह निष्कर्ष भी सम्मिलित होगा कि निश्चित उपाय लागू करने की आवश्यकता है या नहीं।*

198. प्राधिकरण का मानना है कि प्रकटीकरण विवरण में दिए गए कथन अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा विचाराधीन विभिन्न मुद्दों की जांच के आधार पर बनाए गए विचार हैं, और जैसा कि कुछ हितधारक पक्षों द्वारा व्यक्त किया गया है, ये “पूर्व-निर्णय” अथवा “अंतिम

निर्णय" के समकक्ष नहीं हैं। हितधारक पक्षों को अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, तथा पूर्व में विभिन्न जांचों में प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्ष में प्रकटीकरण विवरण की अपेक्षा भिन्न दृष्टिकोण भी अपनाया है। प्रकटीकरण विवरण में की गई टिप्पणियाँ प्राधिकरण द्वारा अंतिम निर्धारण नहीं मानी जाएंगी। वर्तमान जांच में प्राधिकरण ने हितधारक पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया है तथा अंतिम निर्धारण करते समय उन्हें समुचित रूप से ध्यान में रखा है।

199. कुछ हितधारक पक्षों ने यह तर्क दिया है कि अहानिकर मूल्य के निर्धारण हेतु प्राधिकरण ने नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल की दर को अपनाया है, बिना उसके कारण बताए तथा बिना घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित नियोजित पूंजी पर ऐतिहासिक प्रतिफल दर का प्रकटीकरण किए। इस संबंध में प्राधिकरण का मानना है कि कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिफल को स्वीकार करना एक सुसंगत प्रचलन रहा है। सेस्टैट (CESTAT) ने विभिन्न जांचों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में 22% प्रतिफल उपयुक्त है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि वर्तमान जांच में किसी भी हितधारक पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है, जिससे यह स्थापित हो कि अहानिकर मूल्य के निर्धारण में 22% प्रतिफल अनुचित है।

200. कुछ हितधारक पक्षों ने यह आपत्ति की है कि उन्हें प्रभावी रूप से सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों तथा तकनीकी साक्ष्यों से संबंधित तथ्यात्मक एवं तकनीकी मुद्दों पर अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। प्राधिकरण यह नोट करता है कि नियम 6(6) के अंतर्गत हितधारक पक्षों को उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रस्तुतियों को मौखिक रूप से रखने का अवसर प्रदान किया गया था। नियम 6(6) के अनुरूप 3 सितंबर 2025 को मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। सभी हितधारक पक्षों को अपने विचार एवं तर्क मौखिक रूप से प्रस्तुत करने तथा तत्पश्चात उन्हें लिखित रूप में, सभी सहायक साक्ष्यों सहित, प्राधिकरण के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। वर्तमान प्रकरण में नामित प्राधिकारी में परिवर्तन होने के कारण दूसरी मौखिक सुनवाई आवश्यक हुई, जो 15 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई। दूसरी मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग ने परीक्षण रिपोर्टों एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों पर निर्भरता व्यक्त की (जो पूर्व में दिनांक 19 सितंबर 2025 के अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों के भाग के रूप में दायर किए गए थे) तथा तत्पश्चात उन्हें दिनांक 19 दिसंबर 2025 की अपनी लिखित प्रस्तुतियों के साथ अन्य हितधारक पक्षों को प्रेषित एवं प्रसारित किया। प्राधिकरण इस प्रकार नोट करता है कि सुसंगत प्रचलन के अनुरूप अन्य सभी हितधारक पक्षों, जिसमें

उपयोगकर्ता उद्योग भी सम्मिलित है, को मौखिक तथा लिखित प्रस्तुतियों एवं प्रत्युत्तरों के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

201. वर्तमान जाँच में, उपयोगकर्ता उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया। तत्पश्चात, उपयोगकर्ता उद्योग ने 21 जनवरी 2026 को अपनी पुनरुत्तर प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ दायर कीं। प्राधिकारी ने, उपयोगकर्ता उद्योग के अनुरोध पर, 21 जनवरी 2026 को एक अतिरिक्त व्यक्तिगत बैठक भी प्रदान की, जिसमें उन्होंने अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत किए। अतः यह माना जाता है कि हितधारक पक्षों को सभी तकनीकी एवं तथ्यात्मक मुद्दों पर अपने विचार एवं प्रस्तुतियाँ देने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में सार्थक एवं प्रभावी सुनवाई/अवसर के अभाव से संबंधित आपत्तियाँ अस्थिर एवं अवैध हैं।

202. आईएस 17658:2021 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य न होने वाले ग्रेडों को बहिष्कृत किए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण यह नोट करता है कि संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) कभी प्रभाव में नहीं आया तथा क्यूसीओ लागू करने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। अतः आईएस 17658:2021 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य न होने वाले ग्रेड हानि अवधि के दौरान स्वतंत्र रूप से आयात योग्य थे तथा वर्तमान में भी स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं। प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकरण ने यह माना था कि इस विषय पर पृथक निर्धारण आवश्यक नहीं है, क्योंकि आईएस 17658:2021 के अनुपालन को अनिवार्य करने वाला गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ("क्यूसीओ") वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बहिष्करण प्रदान किए जाने के समर्थन में पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी देखा गया है कि जाँच के दौरान बहिष्करण की मांग करने वाली कंपनी इनोविन ने अपने प्रकटीकरण-उपरांत टिप्पणियों में प्राधिकरण के इन अवलोकनों का विरोध नहीं किया है।

203. हितधारक पक्षों द्वारा उच्च श्यानता (हाई विस्कोसिटी) ग्रेडों को शामिल किए जाने के संबंध में विभिन्न प्रस्तुतियाँ दायर की गई हैं। यह देखा गया है कि अधिकांश प्रस्तुतियाँ पूर्व में दी गई दलीलों की मात्र पुनरावृत्ति हैं। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि प्लास्टिसोल की प्रत्यक्ष श्यानता के निर्धारण में रेज़िन ही प्रमुख कारक है।

204. प्लास्टिसोल की प्रत्यक्ष श्यानता को विभिन्न सूत्रण रणनीतियों के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है, जिनमें प्लास्टिसाइज़र की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन, लागू कतरनी बल एवं तापमान में परिवर्तन, श्यानता एवं थिक्सोट्रॉपी परिवर्तक योजकों का उपयोग आदि सम्मिलित हैं। ऐसी सूत्रण रणनीतियों के माध्यम से, प्रत्यक्ष श्यानता को सूत्रकार की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह प्लास्टिसोल के उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विषय है। हितधारक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का प्राधिकारी द्वारा विस्तार से परीक्षण किया गया है तथा आवश्यक सीमा तक इस अंतिम निष्कर्ष के प्रासंगिक अनुभाग में उसका उल्लेख किया गया है।

205. यह भी दृष्टिगत होता है कि घरेलू उद्योग ने ऐसे योजकों के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो विशेष रूप से पीवीसी पेस्ट प्लास्टिसोल की प्रत्यक्ष श्यानता एवं थिक्सोट्रॉपी में संशोधन हेतु उत्पादित एवं विपणित किए जाते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऐसे संशोधन डाउनस्ट्रीम उद्योग में मानक प्रथा हैं। यह भी देखा गया है कि उत्पाद के अन्य उत्पादकों, जिनमें इनोविन तथा वेस्टलेक विनोलिट सम्मिलित हैं, ने अपनी तकनीकी विवरणिका में यह उल्लेख किया है कि एक ही राल का उपयोग करते हुए, प्लास्टिसाइज़र की विभिन्न मात्राओं तथा भिन्न-भिन्न कतरनी बल के प्रयोग से अलग-अलग प्रत्यक्ष श्यानता प्राप्त की जा सकती है।

206. प्राधिकरण नोट करते है कि चूँकि प्रत्यक्ष श्यानता को श्यानता अवरोधकों के उपयोग द्वारा भी घटाया जा सकता है, अतः वे ग्रेड जिन्हें विशेष “उच्च श्यानता” ग्रेड कहा गया है, निम्न श्यानता वाले ग्रेडों के तकनीकी एवं कार्यात्मक विकल्प के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेन-देन आधारित आयात आँकड़ों तथा इनोविन द्वारा दायर आँकड़ों के परीक्षण से यह दृष्टिगत होता है कि तथाकथित उच्च श्यानता ग्रेडों में से अनेक का मूल्य भारत में आयातित अन्य ग्रेडों के आयात मूल्य तथा घरेलू उद्योग द्वारा विक्रय किए जा रहे उत्पाद के विक्रय मूल्य के तुलनीय है।

207. प्राधिकरण नोट करते है कि मूल्य की तुलनीयता, इस तथ्य के साथ कि प्रत्यक्ष श्यानता को विभिन्न सूत्रण रणनीतियों द्वारा बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है, यह संकेत देती है कि विभिन्न ग्रेडों के मध्य स्पष्ट अभिसरण विद्यमान है, जो प्रतिस्थापनशीलता के निर्धारण हेतु प्रासंगिक मानदंड है। उपभोक्ताओं के लिए यह संभव है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा विक्रय किए जा रहे उत्पाद की अपनी आवश्यकताओं को उन ग्रेडों से प्रतिस्थापित कर सकें जिनके लिए बहिष्करण का अनुरोध किया गया है।

208. हितधारक पक्षों ने यह अभ्यावेदन किया है कि प्राधिकारी ने “रेज़िन-स्तरीय साक्ष्य” की उपेक्षा करते हुए “काल्पनिक सूत्रण संभावनाओं” को प्राथमिकता दी है। तथापि, प्राधिकारी का मत है कि हितधारक पक्ष यह भी स्थापित नहीं कर सके हैं कि प्रत्यक्ष श्यानता रेज़िन-स्तरीय विशेषता है। हितधारक पक्ष यह स्थापित नहीं कर सके हैं कि ऐसे संशोधन (प्लास्टिसाइज़र के प्रकार एवं मात्रा, कतरनी बल, तापमान, योजक आदि में परिवर्तन द्वारा) सामान्य उपयोग की परिस्थितियों से परे हैं।

209. हितधारक पक्षों ने यह भी तर्क दिया है कि निम्नवर्ती स्तर पर किए जाने वाले संशोधनों की अंतर्निहित तकनीकी सीमाएँ होती हैं तथा इस संदर्भ में उन्होंने जून, 2025 में वेस्टलेक विनोलिट जीएमबीएच द्वारा जारी एक तकनीकी टिप्पणी पर निर्भरता व्यक्त की है। तथापि, प्राधिकरण यह नोट करता है कि वेस्टलेक विनोलिट जीएमबीएच वर्तमान कार्यवाही में स्वयं एक पंजीकृत हितधारक पक्ष है। अतः प्राधिकरण का मत है कि किसी हितधारक पक्ष द्वारा प्रस्तुत तकनीकी टिप्पणी मात्र एक दावा है और उसे प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

210. हितधारक पक्षों ने यह भी अभ्यावेदन किया है कि आयातित एवं घरेलू वस्तुओं की समानता का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने जाँच अवधि के पश्चात विकसित ग्रेडों पर विचार किया है। प्राधिकारी स्पष्ट करता है कि बहिष्करण अनुरोध अस्वीकार करने का आधार आयातित “विशेष” ग्रेडों एवं घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों के मध्य तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रतिस्थापनशीलता है। इस प्रकार, जहाँ हानि अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ग्रेडों का उपभोक्ता उपयुक्त योजकों को जोड़कर उपयोग कर सकता था, वहीं घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने उत्पाद को इस प्रकार अनुकूलित किया है कि उपभोक्ताओं को अपने स्तर पर सूक्ष्म समायोजन कम करना पड़े। प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि कुछ अन्य ग्राहकों ने भी यह प्रमाणित किया है कि घरेलू उद्योग ने विवादित आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयुक्त उत्पाद की आपूर्ति की है।

211. हितधारक पक्षों ने यह भी अभ्यावेदन किया है कि प्रकटीकरण विवरण में उच्च श्यानता के मुद्दे की पूर्व निष्कर्ष में जाँच किए जाने संबंधी प्राधिकारी की टिप्पणियाँ तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। तथापि, प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि दिनांक 24 दिसम्बर 2024 के एफ. सं. 6/17/2023- डीजीटीआर द्वारा निर्गत अंतिम निष्कर्षों के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि यद्यपि उच्च श्यानता ग्रेडों के बहिष्करण का अनुरोध किया गया था, तथापि प्राधिकारी

द्वारा उसे बहिष्कृत नहीं किया गया। प्राधिकारी यह भी अभिलक्षित करता है कि वर्तमान जाँच में उसने सभी तथ्यों, अभ्यावेदनों एवं साक्ष्यों पर विचार किया है तथा अपने परीक्षण एवं निष्कर्षों का विस्तृत उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि 13 मई 2025 के पीयूसी सूचना के निर्गमन के पश्चात उत्पाद के परास में अनेक संशोधन किए गए हैं तथा वर्तमान निष्कर्षों में अतिरिक्त बहिष्करण प्रदान किए गए हैं। अतः यह अभ्यावेदन कि 13 मई 2025 के पीयूसी सूचना अथवा प्राधिकारी के पूर्व निष्कर्षों के संदर्भ से उत्पन्न किसी भी चिंता को प्राधिकारी द्वारा नज़रअंदाज़ किया गया है, अस्थिर है।

212. हितधारक पक्षों ने “निम्न फॉगिंग” ग्रेडों, अर्थात् <2mg फॉगिंग मान वाले ग्रेडों, के बहिष्करण के संबंध में प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि प्रकटीकरण विवरण में उल्लेखित है, हितधारक पक्ष यह स्थापित करने में असफल रहे कि फॉगिंग मान पीवीसी पेस्ट रेज़िन की अंतर्निहित विशेषता है। प्रकटीकरण विवरण में उल्लेखित अनुसार, पीवीसी पेस्ट रेज़िन को प्लास्टिसोल में परिवर्तित किया जाता है (जो प्लास्टिसाइज़र, स्थिरकारक, फिलर एवं अन्य योजकों के नियंत्रित कतरनी बल एवं तापमान के अंतर्गत मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है)। तत्पश्चात प्लास्टिसोल को आधार वस्त्रों पर लेपित कर पीवीसी प्लास्टिसोल से लेपित वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें बाज़ार में सामान्यतः “पीवीसी-लेपित वस्त्र” अथवा “कृत्रिम चमड़ा कपड़ा” कहा जाता है, और जिनका उपयोग मोटर वाहन आंतरिक सज्जा में किया जाता है। यद्यपि फॉगिंग मानकों एवं फॉगिंग मान आवश्यकताओं का संदर्भ दिया गया, परीक्षण करने पर यह दृष्टिगत हुआ कि ऐसे मानक, जिनमें आईएसओ 6452 सम्मिलित है, केवल पीवीसी प्लास्टिसोल से लेपित वस्त्रों पर लागू होते हैं, न कि पीवीसी पेस्ट रेज़िन पर। हितधारक पक्ष लेपित वस्त्र की फॉगिंग प्रदर्शन क्षमता एवं उस वस्त्र के उत्पादन में प्रयुक्त पीवीसी पेस्ट रेज़िन के मध्य संबंध स्थापित करने में असफल रहे। जैसा कि प्रकटीकरण विवरण में उल्लेखित है, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि <2mg फॉगिंग मान वाले लेपित वस्त्रों के उत्पादन हेतु विशेष फॉगिंग मान वाले किसी विशिष्ट उपसमूह के पीवीसी पेस्ट रेज़िन का उपयोग आवश्यक है।

213. प्राधिकरण नोट करते है कि फॉगिंग मान को एंटी-फॉगिंग एजेंटों के उपयोग द्वारा भी परिवर्तित किया जा सकता है। अभिलेख पर उपलब्ध सूचना से यह भी अभिलक्षित होता है कि पीवीसी-लेपित कपड़ा में वाष्पशील पदार्थ एवं फॉगिंग मान का प्रमुख भाग प्रयुक्त प्लास्टिसाइज़र से उत्पन्न होता है न कि रेज़िन से।

214. प्राधिकरण नोट करते है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह प्रदर्शित करते हैं कि केमप्लास्ट ग्रेड 121 (जिसका उत्पादन एवं विक्रय जाँच अवधि में वाणिज्यिक मात्राओं में किया गया था) से निर्मित प्लास्टिसोल तथा उपयुक्त प्लास्टिसाइज़र एवं योजकों के संयोजन से निर्मित लेपित वस्त्र निम्न फॉगिंग गुण प्रदर्शित करते हैं। प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि संबंधित परीक्षण प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि परीक्षण एसएई जे 1756:2006 के अनुरूप फोटोमेट्रिक विधि के अनुसार किया गया, जो उन परीक्षण विधियों में से एक है जिनका उल्लेख अन्य हितधारक पक्षों द्वारा किया गया है।

215. हितधारक पक्षों ने यह भी अभ्यावेदन किया है कि प्राधिकारी ने आईएसओ 6452 की प्रयोज्यता पर प्रश्न नहीं उठाया तथा ऐसे मानकों के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद यह परीक्षण नहीं किया कि गैर-निम्न-फॉग रेज़िन के उपयोग से अनुपालन न होने का जोखिम भौतिक रूप से बढ़ता है या नहीं, जिससे मोटर वाहन आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करने वाली वाणिज्यिक एवं विनियामक वास्तविकताओं की उपेक्षा की गई है। प्राधिकारी ऐसे अभ्यावेदनों को अस्थिर मानता है। प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि प्रकटीकरण विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि आईएसओ 6452 पीवीसी प्लास्टिसोल से लेपित वस्त्रों पर लागू होता है, न कि पीवीसी पेस्ट रेज़िन पर। प्राधिकारी यह भी अभिलक्षित करता है कि जाँच की कार्यवाही के दौरान हितधारक पक्ष यह स्थापित नहीं कर सके कि पीवीसी-लेपित वस्त्रों के उत्पादन में गैर-विशेष रेज़िन के उपयोग से मोटर वाहन फॉगिंग मानकों के अनुपालन में भौतिक जोखिम वृद्धि होती है, और न ही कार्यवाही के दौरान ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

216. यह तर्क दिया गया है कि हितधारक पक्षों ने कम फॉगिंग मान वाले ग्रेडों के लिए प्रीमियम तथा भिन्न मूल्य निर्धारण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा उपेक्षित किया गया है। यह देखा गया है कि हितधारक पक्षों ने विभिन्न ग्रेडों को कम फॉगिंग ग्रेड के रूप में चिह्नित किया है। हितधारक पक्षों ने कम फॉगिंग बताकर दावा किए गए सभी ग्रेडों के औसत आयात मूल्य की तुलना अन्य सभी ग्रेडों से की है। लेनदेन-वार आयात आंकड़ों तथा इनोविन द्वारा दायर लेनदेन-वार आंकड़ों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि विशेष कम फॉगिंग ग्रेड के रूप में दावा किए गए कई ग्रेडों के मूल्य सामान्य ग्रेडों के मूल्यों के तुलनीय हैं। प्राधिकरण नोट करते है कि जहाँ एक ओर हितधारक पक्षों ने यह विवादित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड तकनीकी एवं कार्यात्मक रूप से आयातित विशेष ग्रेडों का स्थान ले सकते हैं या नहीं, वहीं यह निर्विवाद है कि आयातित विशेष ग्रेड तकनीकी एवं कार्यात्मक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों का स्थान ले सकते हैं।

कथित विशेष ग्रेडों एवं सामान्य ग्रेडों के मूल्य तुलनीय होने के तथ्य के साथ समग्र रूप से विचार करने पर, प्राधिकरण का मत है कि विशेष ग्रेड तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों का स्थान ले सकते हैं।

217. इस प्रकार, जहाँ हानि अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत ग्रेडों का उपभोक्ता उपयुक्त योजकों के समावेशन द्वारा कथित विशेष अनुप्रयोगों हेतु उपयोग कर सकता था, वहीं घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने उत्पाद को इस प्रकार अनुकूलित किया है कि उपभोक्ताओं को अपने स्तर पर सूक्ष्म समायोजन कम करना पड़े। प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि कुछ अन्य ग्राहकों ने भी यह प्रमाणित किया है कि घरेलू उद्योग ने विवादित आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयुक्त उत्पाद की आपूर्ति की है।

218. प्राधिकरण का यह भी मानना है कि जब तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आने वाले ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा बनाए गए समान उत्पाद के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करते हैं और घरेलू उत्पादक को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तब तक उन्हें शुल्क के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष को सेस्टैट के निर्णयों, जैसे काजरिया सेरामिक्स बनाम नामित प्राधिकारी, हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी तथा मेरिनो पैनल्स बनाम नामित प्राधिकारी, से समर्थन मिलता है। इसलिए, प्राधिकरण का मानना है कि उच्च श्यानता और कम फॉगिंग वाले ग्रेडों को भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

219. प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकरण ने बायोविन, नियोविन तथा रेकोविन को उत्पाद के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव रखा था। प्रकटीकरण-उपरांत टिप्पणियों में वेस्टोलिट जीएमबीएच ने यह कहा कि वह भी कुछ कम-कार्बन ग्रेड का उत्पादन करता है तथा उन्हें भी उत्पाद के दायरे से बाहर किए जाने का अनुरोध किया। तथापि, प्राधिकरण का मत है कि संबंधित हितधारक पक्ष ने इन ग्रेडों की तुलना उन ग्रेडों से स्थापित नहीं की है जिन्हें बाहर करने का प्रस्ताव किया गया था, और न ही अपने मूल्य से संबंधित कोई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, यह मुद्दा बहुत विलंबित चरण में उठाया गया है। अतः हितधारक पक्ष बहिष्करण की आवश्यकता स्थापित करने में असफल रहा है।

220. इस संबंध में कि प्राधिकरण ने उन उपयोगकर्ताओं के नामों को गोपनीय रखने के दावे को स्वीकार करने में त्रुटि की है, जिन्होंने यह पाया कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उच्च श्यानता तथा कम फॉगिंग गुणों को पूरा करता है, प्राधिकरण यह नोट करता है

कि ग्राहकों के नाम व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी होते हैं तथा वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने उन्हें गोपनीय रखने की आवश्यकता का उचित औचित्य प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उपभोक्ताओं के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करने से उसके व्यावसायिक संबंधों तथा बाजार में उसकी स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड तथा एचआर पॉलीकोट्स लिमिटेड, जो उपयोगकर्ता उद्योग के सदस्य एवं पंजीकृत हितधारक पक्ष हैं, ने भी अपने प्रश्नावली उत्तरों में अपने आपूर्तिकर्ताओं तथा ग्राहकों के नामों को गोपनीय बताया है। तदनुसार, प्राधिकरण यह उपयुक्त मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित अनुकूलित ग्रेडों के उपयोगकर्ताओं के नामों के संबंध में गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया जाए।

221. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि आयात मूल्य अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं तथा एथिलीन मूल्यों के साथ तुलना करना उचित नहीं है, प्राधिकारी यह अभिलक्षित करता है कि एथिलीन के साथ तुलना इस उद्देश्य से की गई है कि यह परीक्षण किया जा सके कि क्या आयात कच्चे माल के मूल्यों के अनुरूप चले हैं। भाग लेने वाले उत्पादक के आंकड़ों से यह भी देखा गया है कि भारत को किया गया निर्यात मूल्य उसके उत्पादन लागत से कम है और डंपिंग मार्जिन लगभग 100% के स्तर पर है। जब निर्यात मूल्य इतना कम हो गया है कि विषय देशों के उत्पादकों ने भारत को नुकसान में निर्यात किया है, तब यह कहना सही नहीं है कि कीमतों पर अन्य कारणों, जैसे दीर्घकालीन अनुबंध, भंडार समायोजन, वैश्विक मांग या भाड़ा दरों के सामान्य होने का प्रभाव पड़ा है।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

222. हितधारक पक्षों द्वारा उठाए गए अभ्यावेदनों, प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं प्रस्तुतियों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों, जैसा कि उपर्युक्त निष्कर्षों में अभिलिखित है, तथा पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है:

i. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद *“पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेज़िन”* है, जिसे *“पीवीसी पेस्ट रेज़िन”* अथवा *“इमल्शन पीवीसी रेज़िन”* के नाम से भी जाना जाता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 60K से पहले K मान वाले विषयगत सामान, पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन, पीवीसी पेस्ट रेज़िन के को-पॉलिमर, बैटरी सेपरेटर रेज़िन, इनोविन द्वारा उत्पादित ग्रेड पीवीसी 173GB एवं 174GY (जो नॉन-ग्राइंडेड इमल्शन ग्रेड हैं),

बायोविन®, नियोविन® तथा रिकाविन® पंजीकृत नामों से विक्रयित ग्रेड तथा क्रॉस-लिंक्ड रेज़िन बहिष्कृत हैं।

iii. प्राधिकारी यह मानते है कि उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर किसी उत्पाद का बहिष्करण औचित्यपूर्ण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन इमल्शन पॉलिमरीकरण तथा माइक्रो-सस्पेंशन पॉलिमरीकरण द्वारा किया जा सकता है। पक्ष यह स्थापित नहीं कर सके कि दोनों प्रक्रियाओं से उत्पादित वस्तुएँ आवश्यक उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से भिन्न हैं। प्राधिकारी की सतत प्रथा रही है कि मात्र उत्पादन प्रक्रिया में अंतर से भिन्न उत्पाद का अस्तित्व स्वतः सिद्ध नहीं होता। उक्त मुद्दे का परीक्षण पूर्व निष्कर्षों में भी किया गया था, जहाँ बहिष्करण अस्वीकृत किया गया।

iv. प्राधिकारी यह मानते है कि उच्च श्यानता रेज़िनों का बहिष्करण औचित्यपूर्ण नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष श्यानता एक ऐसी विशेषता है जिसे प्लास्टिसोल स्तर पर मापा जाता है, जो कि पीवीसी पेस्ट रेज़िन, प्लास्टिसाइज़र, फिलर, स्थिरकारक तथा अन्य योजकों के मिश्रण से निर्मित एक डाउनस्ट्रीम उत्पाद है। यद्यपि पीवीसी पेस्ट रेज़िन प्लास्टिसोल की प्रत्यक्ष श्यानता को प्रभावित कर सकता है, तथापि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि वही प्लास्टिसोल की प्रत्यक्ष श्यानता का एकमात्र अथवा प्रमुख निर्धारक है।

v. प्लास्टिसोल की प्रत्यक्ष श्यानता को सूत्रण में परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें प्लास्टिसाइज़र की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन, लागू कतरनी बल एवं तापमान में परिवर्तन, श्यानता एवं थिक्सोट्रॉपी परिवर्तक योजकों का उपयोग आदि सम्मिलित हैं। ऐसे सूत्रणीय उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष श्यानता को सूत्रकार की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उपयोगों में स्पष्ट अभिसरण विद्यमान है, जो प्रतिस्थापनशीलता के निर्धारण हेतु प्रासंगिक मानदंड है। लेन-देन आधारित आयात आँकड़ों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित उच्च श्यानता ग्रेडों में से अनेक का मूल्य अन्य ग्रेडों के आयात मूल्य तथा घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के तुलनीय है। अतः तथाकथित विशेष ग्रेडों के आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इसलिए, प्राधिकारी यह मानते है कि उच्च श्यानता ग्रेडों का बहिष्करण औचित्यपूर्ण नहीं है।

vi. निम्न फॉगिंग ग्रेडों का बहिष्करण औचित्यपूर्ण नहीं है। यद्यपि फॉगिंग मानकों (जैसे आईएसओ 6452) एवं निम्न फॉगिंग आवश्यकताओं का संदर्भ दिया गया है, तथापि ऐसे मानक पीवीसी प्लास्टिसोल से लेपित वस्त्रों पर लागू होते हैं। अभिलेख पर

उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि वस्त्र की फॉगिंग क्षमता एवं प्रयुक्त पीवीसी पेस्ट रेज़िन के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि पीवीसी प्लास्टिसोल से लेपित वस्त्र में वाष्पशील पदार्थ एवं फॉगिंग का प्रमुख भाग प्रयुक्त प्लास्टिसाइज़र से उत्पन्न होता है, न कि रेज़िन से। प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनों से यह भी स्पष्ट है कि केमप्लास्ट ग्रेड 121 (जिसका उत्पादन जाँच अवधि में वाणिज्यिक मात्राओं में किया गया था) से निर्मित प्लास्टिसोल तथा उपयुक्त प्लास्टिसाइज़र एवं योजकों के संयोजन से निर्मित लेपित वस्त्र निम्न फॉगिंग गुण प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, लेन-देन आधारित आयात आँकड़ों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित निम्न फॉगिंग ग्रेडों में से अनेक का मूल्य अन्य ग्रेडों के आयात मूल्य तथा घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य के तुलनीय है। अतः तथाकथित विशेष ग्रेडों के आयात घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेडों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस मुद्दे की जांच पूर्ववर्ती निष्कर्षों में भी संबंधित उत्पाद के संदर्भ में की गई थी तथा बहिष्करण के अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया था।

vii. प्राधिकारी यह मानते है कि स्यूडोप्लास्टिक एवं थिक्सोट्रोपिक गुणों वाले ग्रेडों को बहिष्कृत किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि इस संबंध में किया गया अनुरोध साक्ष्यों द्वारा पुष्ट नहीं किया गया है।

viii. प्राधिकारी यह मानते है कि आईएस 17658:2021 के आधार पर कुछ ग्रेडों को बहिष्कृत किया जाना भी उचित नहीं है। आईएस 17658:2021 द्वारा पहचाने गए सभी आठ ग्रेडों का उत्पादन समान उत्पादन लाइनों पर किया जा सकता है, बशर्ते कुछ प्रक्रिया नियंत्रण मानकों, जैसे अभिक्रिया तापमान एवं अभिक्रिया समय, में आवश्यक परिवर्तन किए जाएँ। चूँकि सभी ग्रेडों का उत्पादन समान उत्पादन लाइनों पर किया जा सकता है, अतः किसी विशेष ग्रेड के उत्पादन हेतु नियोजित क्षमता को आवश्यकता एवं बाज़ार की मांग के अनुसार किसी अन्य ग्रेड के उत्पादन हेतु पुनर्निर्देशित किया जा सकता है।

ix. केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत “घरेलू उद्योग” का गठन करती है। केमप्लास्ट सनमार नियम 5(3) में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व (स्टैंडिंग) की आवश्यकता को पूर्ण करती है।

x. प्राधिकारी यह मानते है कि घरेलू उद्योग तथा हितधारक पक्षों द्वारा ग्राहकों के नामों से संबंधित की गई गोपनीयता के दावे न्यायोचित हैं।

xi. जाँच अवधि के रूप में 18 माह (1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2024 तक) की अवधि का विचार न्यायोचित है, क्योंकि इससे बाज़ार की परिस्थितियों तथा घरेलू

उद्योग को हुई क्षति का समग्र आकलन संभव होगा, तथा इसमें वह अवधि भी सम्मिलित है जब विचाराधीन उत्पाद पर अन्य देशों से आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लागू थे।

xii. इनोविन यूरोप लिमिटेड तथा इसकी संबद्ध कंपनियाँ, अर्थात् इनोविन डॉयचलैंड जीएमबीएच, इनोविन फ्रांस एसएएस, इनोविन स्वेरिए एबी, इनोविन ट्रेडिंग सर्विसेज तथा इनोविन इटालिया, के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 100-110% है। यह देखा गया है कि भारत को निर्यात मूल्य, उत्पादक की उत्पादन लागत से कम है।

xiii. घरेलू उद्योग ने फरवरी 2024 में 41,000 मीट्रिक टन की नई क्षमताओं का परिचालन किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षमता विस्तार के बावजूद, आपूर्ति-मांग अंतर विद्यमान है। घरेलू उद्योग ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसे कुल 70,000 मीट्रिक टन की क्षमता विस्तार के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु बाजार में उत्पाद के पाटन के कारण आगे के विस्तार की योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है।

xiv. जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को नकद हानि तथा ब्याज एवं कर पूर्व हानि हुई है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि क्षति को क्षमता विस्तार के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता।

xv. वर्तमान विषयगत देशों से आयात वर्ष 2022-23 तक मात्रा में कम था तथा चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (जो वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क के अधीन हैं) से होने वाले आयात की मांग में प्रमुख हिस्सेदारी थी। वर्ष 2023-24 में वर्तमान विषयगत देशों से आयात मात्रा में वृद्धि हुई, किंतु जून 2024 में अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पश्चात् वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही में विषयगत देशों से आयात में तीव्र वृद्धि हुई। इस अवधि में शुल्क के अधीन अन्य देशों से आयात में तीव्र गिरावट देखी गई। अतः यह स्पष्ट है कि चीन, कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप विचाराधीन उत्पाद का पाटन वर्तमान विषयगत देशों की ओर स्थानांतरित हो गया है।

xvi. क्षति अवधि के दौरान विषयगत आयात का अवतरण मूल्य एथिलीन (मूल कच्चा माल) के मूल्यों के अनुरूप परिवर्तित नहीं हुआ है। जाँच अवधि में अवतरण मूल्य में गिरावट, कच्चे माल के मूल्यों में आई गिरावट की तुलना में कहीं अधिक तीव्र रही है। आयात के अवतरण मूल्य में गिरावट के साथ आयात मात्रा में समानुपाती वृद्धि हुई। सहयोगी उत्पादकों द्वारा दायर प्रत्युत्तरों से यह देखा गया है कि भारत को निर्यात मूल्य, उत्पादन लागत से कम है।

xvii. जाँच अवधि में मूल्य अधोलंघन सकारात्मक है। डंप किए गए आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग के मूल्यों को दबाया है।

xviii. घरेलू उद्योग वर्ष 2020-21 में लाभकारी था, जिसमें वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग को हानि हुई, जो जाँच अवधि में और अधिक बढ़ गई। वर्ष 2022-23 में हुई हानि का कारण अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटन था, जो अब शुल्क के अधीन हैं।

xix. घरेलू उद्योग का नकद लाभ वर्ष 2021-22 में बढ़ा, वर्ष 2022-23 में नकद हानि में परिवर्तित हो गया और तत्पश्चात् जाँच अवधि में और अधिक गिरावट आई। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में निरंतर गिरावट आई है और जाँच अवधि में यह अत्यंत नकारात्मक है।

xx. जाँच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन की परिमाण सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है।

xxi. जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को संचयी रूप से भारतीय रुपये *** करोड़ से अधिक की हानि हुई है। महत्वपूर्ण वित्तीय हानियों तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल के कारण पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हुई है।

xxii. वर्तमान प्रदर्शन में आई गिरावट को घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताओं, कथित आंतरिक अक्षमताओं अथवा क्षमता विस्तार से संबंधित लागतों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता। घरेलू उद्योग को अन्य कारकों के कारण क्षति नहीं हुई है। घरेलू उद्योग को हुई महत्वपूर्ण क्षति का कारण विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद का पाटन है।

xxiii. पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण विषयगत देशों से आयात को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं करता है।

xxiv. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का निम्नधारा उद्योगों पर प्रभाव नगण्य है। प्राधिकरण यह उल्लेख करता है कि पूर्व में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए गए थे। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि पूर्व में प्रवर्तित शुल्कों के परिणामस्वरूप निम्नधारा उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। घरेलू उद्योग ने अंतिम उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की हिस्सेदारी संबंधी जानकारी प्रदान की है, तथा यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की हिस्सेदारी अत्यंत नगण्य है।

xxv. पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि आयात भारतीय बाजार में उचित मूल्यों पर प्रवेश कर रहे हैं तथा विदेशी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के बीच समान प्रतिस्पर्धी अवसर बनाए रखा जाए।

xxvi. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण व्यापक लोकहित के प्रतिकूल नहीं होगा।

223. प्राधिकरण यह उल्लेख करता है कि जाँच प्रारंभ की गई तथा सभी संभावित हितधारक पक्षों को अधिसूचित किया गया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों तथा अन्य हितधारक पक्षों को पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जाँच प्रारंभ करने एवं संचालित करने के उपरांत, प्राधिकरण का मानना है कि कि पाटन तथा उससे उत्पन्न क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु शुल्क का अधिरोपण आवश्यक है। अतः प्राधिकरण इसे आवश्यक मानते हुए विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने की संस्तुति करता है।

224. कानेका कॉरपोरेशन, जापान तथा मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान (कानेका के व्यापारी/निर्यातक) ने प्राधिकरण के समक्ष एक वचनपत्र प्रस्तुत किया है और इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वे विचाराधीन उत्पाद का विक्रय, प्रत्यक्ष रूप से अथवा मध्यस्थों के माध्यम से, भारत को ऐसे मूल्यों पर नहीं करेंगे जो प्राधिकरण तथा घरेलू उद्योग द्वारा स्वीकार किए गए मूल्यों से कम हों। उक्त वचनपत्र में, कानेका जापान ने यह वचन दिया है कि वह "विषयगत वस्तुओं का भारत को प्रत्यक्ष रूप से अथवा भारत के लिए मध्यस्थों के माध्यम से, निम्नलिखित से कम मूल्यों पर निर्यात नहीं करेगा:

(क) एफओबी आधार (जापान के किसी भी बंदरगाह पर)
*सहमत मानक (सीएमए ग्लोबल विनाइल की मासिक बाजार रिपोर्ट - मध्य बिंदु) के अनुसार एफओबी जापान वीसीएम मूल्य, जिसमें *** अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की एक नियत अधिमूल्य राशि जोड़ी जाएगी।*

(ख) सीआईएफ आधार (भारत के किसी भी बंदरगाह पर)
उपर्युक्त एफओबी मूल्य, तथा उसके साथ वास्तविक समुद्री भाड़ा और वास्तविक बीमा।

(ग) आईसीडी आपूर्तियाँ (शर्ताधीन)
जहाँ आपूर्ति भारत स्थित किसी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो तक की जाती है और भारत के भीतर अंतर्देशीय परिवहन का व्यय निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है, वहाँ अतिरिक्त रूप से 50 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की एक समतल राशि लागू होगी।

यह अतिरिक्त 50 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन निम्न स्थितियों में लागू नहीं होगा, जहाँ–

- *आपूर्ति भारतीय समुद्री बंदरगाह तक हो; अथवा*
- *भारत के भीतर परिवहन व्यय आयातक/क्रेता द्वारा वहन किया जाए।*

225. इसी प्रकार की शर्तों पर एक वचनपत्र मित्सुई, जापान (कानेका, जापान का व्यापारी/निर्यातक) द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार, कानेका कॉरपोरेशन, जापान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड के माध्यम से किए गए निर्यात उक्त वचनपत्र के अंतर्गत आच्छादित होंगे और कानेका द्वारा किए गए निर्यातों पर किसी पाटनरोधी शुल्क को अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। मूल्य वचनपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा, जिस तिथि को केन्द्रीय सरकार वर्तमान अंतिम निष्कर्षों को लागू करने का निर्णय लेगी। मूल्य वचनपत्र की वैधता उस अवधि तक रहेगी, जिस अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया जाता है, और यह नियमों के अधीन लागू प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षा के अधीन होगा। उक्त वचनपत्र निम्न पर लागू नहीं होगा– (i) अग्रिम अनुज्ञप्ति धारक आयातकों को की गई बिक्री, अथवा (ii) निर्यातोन्मुख इकाइयों या विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों को की गई बिक्री। कंपनी समय-समय पर प्राधिकरण को प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराएगी, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उक्त मूल्य वचनपत्र का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वचनपत्र के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, नियमों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। अतः कानेका कॉरपोरेशन, जापान के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा।

226. प्राधिकरण द्वारा अनुसरण किए जाने वाले न्यूनतर शुल्क नियम को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने हेतु पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके समतुल्य पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने की संस्तुति करता है। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देशों से उद्गमित या निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क सारणी के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समतुल्य पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने की सिफारिश की जाती है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र.सं.	एचएस कोड	वस्तुओं का विवरण	उद्गम देश	निर्यात देश	उत्पादक	शुल्क ($ / मीट्रिक टन)
1	2	3	4	5	6	7
1	39041010*	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेज़िन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेज़िन* के नाम से भी जाना जाता है	यूरोपीय संघ	कोई भी देश, जिसमें यूरोपीय संघ सम्मिलित है	इनोविन यूरोप लिमिटेड या इनोविन डॉयचलैंड जीएमबीएच	417
2	*-वही-*	*-वही-*	यूरोपीय संघ	कोई भी देश, जिसमें यूरोपीय संघ सम्मिलित है	उपर्युक्त क्र.सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पादक	464
3	*-वही-*	*-वही-*	ऐसे देश जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं	यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक	464
4	*-वही-*	*-वही-*	जापान	कोई भी देश, जिसमें जापान सम्मिलित है	कोई भी उत्पादक	469
5	*-वही-*	*-वही-*	ऐसे देश जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं	जापान	कोई भी उत्पादक	469

** विचाराधीन उत्पाद के परिधि से निम्नलिखित उत्पादों को बहिष्कृत किया जाता है।*

i. 60K से कम K मान वाले विषयगत उत्पाद

ii. पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन

iii. पीवीसी पेस्ट रेज़िन के सभी सह-पॉलिमर या सह-पॉलिमर ग्रेड
iv. बैटरी सेपरेटर रेज़िन
v. ग्रेड पीवीसी 173GB और 174GY
vi. निम्न-कार्बन ग्रेड बायोविन, नियोविन और रेकोविन, सततता के स्वीकार्य साक्ष्य के साथ
vii. क्रॉस-लिंक्ड रेज़िन

*ऊपर उल्लेखित कंपनियों के लिए निर्धारित अलग-अलग शुल्क दरें तभी लागू होंगी जब सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान (इनवॉइस) प्रस्तुत किया जाए। उस चालान पर जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए, जिसमें उसका नाम और पद स्पष्ट लिखा हो, और घोषणा इस प्रकार हो: 'मैं, हस्ताक्षरकर्ता, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान में दर्शाया गया (मात्रा) का (संबंधित उत्पाद), जो भारत को निर्यात हेतु बेचा गया है, का निर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा जापान और यूरोपीय संघ में किया गया है। मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।' यदि ऐसा चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी कंपनियों पर लागू सामान्य शुल्क दर लागू होगी।
यह शर्त लागू सीमा शुल्क कानून और नियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली जाँच प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगी।
** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बाध्यकारी रूप से निर्धारित नहीं करता है।

ढ. आगे की कार्यवाही

227. इस अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकृत प्राधिकारी के निर्धारण/पुनर्विचार के विरुद्ध अपील, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष दायर की जा सकेगी।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी